खण्ड-111, अंक-3
बुधवार, 16 आश्विन, शक संवत् 1874
(8 अक्टूबर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 111 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र पाल वाजपेयी, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सागर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देव नन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुष धारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुट्टन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल शीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगु नाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राज वंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम बली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूपगुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रज भूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज विहारी मिश्र, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिव नारायण सिंह, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिव राम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव स्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री

सीता राम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

म्युनिसिपल बोर्ड, गाजीपुर में श्री शिवनाथ राय को मनोनीत करना

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उसने म्यूनिसिपल बोर्ड, गाजीपुर में किसी व्यक्ति को मनोनीत किया है? यदि हां, तो उनका नाम क्या है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी हां, उसका नाम श्रीशिव नाथ राय है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, गाजीपुर, ने म्युनिसिपल बोर्ड, गाजी पुर ने और कमिश्नर, बनारस डिवीजन, ने किस आदमी की सिफारिश सरकार से इस पद के लिये की थी?

श्री मोहन लाल गौतम--ये सिफारिशें गोपनीय हैं और इसके सम्बन्ध में बताना मुनासिब नहीं है।

फैजाबाद जिले में मैसनरी वेल्स के लिये आर्थिक सहायता को बन्द करना

*२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सत्य है कि सरकार ने फैजाबाद जिले के लिये जो प्रदेश का एक अन्नाभाव जिला है, मैसनरी वेल्स के लिये ५०० रुपया प्रति कुंआ वाली आर्थिक सहायता को बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

कृषि उप-मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां। कारण आर्थिक कठिनाई थी। साथ ही सरकार से जो सब-सिडी कूप-निर्माण के लिये मिलती थी, वह इस वर्ष से बन्द हो गई है। यह भी अनुभव किया गया था कि यदि काश्तकार को समय पर कूप-निर्माण की सामग्री मिल सके तो वह बिना सब-सिडी के भी कुंआ बनवा लेगा। इसके अतिरिक्त नल कूप, नहर इत्यादि की योजनाओं पर फैजाबाद जिले में शीघ्र कार्य आरम्भ ो जायेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जब प्रान्तीय सरकार ने अन्नाभाव के ११ जिलों में यह सहायता और ए० पी० की स्कीम चालू की है और फैजाबाद में भी अन्नाभाव है और ए० पी० स्कीम है तो क्यों नहीं वहां भी लागू कर दी जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार ने फैजाबाद जिले को उन पूर्वी जिलों में, जिनमें अन्नाभाव है, शामिल नहीं किया है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि फैजाबाद जिले में कुछ ए० पी० की दूकानें और टेस्ट वर्क खोले गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१--श्री दत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ १८६ पर]

*२--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--[५ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा अस्पताल में शय्याओं में वृद्धि की आवश्यकता

*३--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह भी विदित है कि आगरा अस्पताल में शय्याओं की कमी के कारण प्रवेश न मिलने से हाल में कई रोगियों की मृत्यु अस्पताल के बाहर सड़क पर हो गयी ? क्या सरकार वहां शय्यायें बढ़ाने का विचार रखती है ?

अन्न मंत्री के संसदीय सचिव (श्री बनारसी दास)--गत १५ मास के अन्तर्गत ३ शव अस्पताल के समीप सड़क के किनारे पाये गये, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे रोगी ही थे और अस्पताल में प्रवेश होने के लिये आए थे और उनको जगह नहीं दी गई।

जी हां, सरकार वहां शय्यायें बढ़ाने का विचार रखती है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो शव पाये गये उनकी शव परीक्षा की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बनारसी दास--इस प्रकार की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है कि उनकी शव परीक्षा की गई या नहीं की गई।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्हें यह विदित है कि वहां गरीब लोगों को प्रवेश करने में जो दिक्कत होती है उसका एक कारण वहां की प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, जो कि कालेज के प्रोफेसरों में चल रही है ?

श्री बनारसी दास--यह जो आपकी आपत्ति है यह तो प्रायः तमाम प्रान्त में सब जगह है, परन्तु आगरे के अन्दर केवल इस कारण से कोई विशेष कठिनाई गरीबों के दाखिले में हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि ये शव कितने व्यक्तियों के थे और वे प्रान्त के किन जिलों के रहने वाले थे ?

श्री बनारसी दास--इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है कि आया वे शव उन बीमारों के थे, जो दाखिल होने के लिये आये थे, इसके बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है और न इस सम्बन्ध में कोई जांच ही सरकार के द्वारा की गयी है।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---क्या सरकार ऐसे मरीजों के लिये, जो अस्पताल में भर्ती नहीं होते हैं, विश्राम गृह बनवाने का विचार कर रही है, जिसके लिये प्लानिंग कमीशन ने रकम मन्जूर की है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, इस सम्बन्ध में जहां तक कि आगरा मेडिकल कालेज का सवाल है उसकी एक पंचवर्षीय योजना है, जिसमें २५ लाख रुपया व्यय किया जाने वाला है और जब यह योजना पूरी हो जायगी तो शय्याओं की संख्या, जो इस समय साढ़े चार सौ है, वह साढ़े सात सौ हो जायेगी जो वहां की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगी। इस समय अगर इमरजैन्सी केसेज होते हैं तो उनका प्रबन्ध किया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि आगरा अस्पताल के बाहर जो लोग भर्ती नहीं होते तो वह दिन-रात वहां पर पड़े रहते हैं ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि ऐसे मरीज, जिनका अस्पताल में रिकार्ड रखा जाता है कि इतने मरे, और इतने नहीं मरे, इस वजह से ऐसे मरीज, जिनकी हालत बहुत खराब होती है, अस्पताल में भर्ती करने से परहेज किया जाता है। अगर ऐसा है तो क्या कोई ऐसा इमकान है कि जो अच्छे नहीं होने वाले हैं और मरने वाले हैं वह सड़क पर न मरें कहीं और जाकर मरें ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार का कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं है।

*४-६---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[१२ नवम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में एलोपैथिक औषधालय तथा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल

*७---श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कितने एलोपैथिक औषधालय और कितने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और वे एक दूसरे से कितने दूर पर हैं ?

श्री बनारसी दास---बलिया जिले में ४ राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय और १३ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं। प्रत्यक औषधालय से दूसरे निकटस्थ राजकीय औषधालय कितनी दूर पर हैं इसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४० पर)

*८---श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---[देखिए आगे पृष्ठ २४० पर]

*९-१०---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---[१७ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ७९-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मऊ नगर में आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित अस्पताल की आवश्यकता

*११---श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ नगर में आधुनिक यन्त्रों से पूर्ण सुसज्जित एक बड़े अस्पताल के शीघ्र निर्माण की कोई योजना उसके पास है ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं, ऐसी तो कोई योजना नहीं है। किन्तु मऊ के वर्तमान जिला बोर्ड अस्पताल के प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री पद्मनाथ सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि मऊ, जहां की आबादी ४० हजार है, वहां पर केवल एक एल० एम० पी० डाक्टर और दो मामूली कम्पाउन्डर हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां, मऊ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है और इसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है कि उसके प्रान्तीयकरण पर विचार हो रहा है।

श्री पद्मनाथ सिंह--इस प्रान्तीयकरण की कब तक आशा की जाती है ?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न अभी विचाराधीन है जब इसका निश्चय हो जायगा तो इसकी सूचना दे दी जायगी ।

*१२--**श्री पद्मनाथ सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि मऊ नगर जिले का सबसे बड़ा शहर होने के अतिरिक्त आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के जिलों के ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जहां तीनों जिलों के सैकड़ों गांवों के निवासी दवा के लिये आते हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ ।

*१३--**श्री पद्मनाथ सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि इस स्थान पर केवल आरम्भिक उपचार मात्र के योग्य एक छोटा सा अस्पताल है और स्त्रियों के लिये कोई भी अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास--मऊ में एक जिला बोर्ड चिकित्सालय है, जिसमें डाक्टर सरकारी है । इसके अतिरिक्त मऊ में महिलाओं तथा बच्चों के लिये एक जच्चा-बच्चा केन्द्र भी है ।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--तो क्या सरकार मऊ में जनाना अस्पताल बनाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ ।

श्री पद्मनाथ सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहाँ के अस्पताल में सिर्फ एक अन्ट्रेंड दाई रहती है ?

श्री बनारसीदास---जी हाँ, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जो मर्दाना अस्पताल है उसमें एक स्त्रियों का विंग क़ायम किया जाय ।

रायबरेली जिले के कंडौरा ग्राम के बाजार रघुवीर गंज से बाला ग्राम को जाने वाला गलियारा

*१४--**श्री वसी नकवी** (जिला रायबरेली)--क्या यह सही है कि रायबरेली जिले के कंडौरा ग्राम के बाजार रघुबीर गंज से बाला ग्राम को जाने वाला गलियारा कुछ प्रभाव-शाली लोगों ने तोड़ कर अपनी जोत में डाल लिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--नहर आ जाने के परिणामस्वरूप रघुवीरगंज से बाला ग्राम को जाने वाला पूर्व मार्ग बन्द हो जाने के कारण अब वहाँ जाने का कोई सुगम मार्ग नहीं रह गया है । पुराने मार्ग में सिंचाई की नाली बन गयी है, जिसके किनारे खेत हैं किन्तु वे कोई नवीन नौतोड़ नहीं हैं ।

श्री वसी नकवी---क्या सरकार को इत्तिला है कि गलियारे के लिये नहर का पुल मौजूद है और नहर की नाली गलियारे के किनारे से होकर गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इतने विस्तार की इत्तिला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह मालूम है कि वहाँ नहर का पुल है और वहाँ जो पहले का रास्ता था उसको अब बदल दिया है ।

श्री वसी नकवी--क्या यह सही है कि पुराने खेतों का रक़बा गलियारे को तोड़कर बनाया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा कि मैं उत्तर दे चुका हूं, कोई नौतोड़ जमीन इन खेतों में शामिल नहीं की गई है ।

*१५--**श्री वसी नकवी**--क्या यह भी सही है कि वहाँ की ग्राम पंचायत में उक्त गलियारा तथा अन्य मार्गों को श्रम धन देकर सुधारने का कोई कार्य-क्रम बनाया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--उप प्रधान तथा प्रधान द्वारा क्रमशः दिनाँक १४-१२-'४९ व दिनाँक १-८-'५१ ई० को इस मार्ग की दशा सुधारने का प्रस्ताव रखा गया था और पास भी हुआ था किन्तु पारस्परिक विरोध के कारण उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

श्री वसी नकवी--क्या सरकार को इत्तिला है कि इस रास्ते को सुधारने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ था और बाद में जिन्होंने गलियारा तोड़ लिया है उन्होंने मुखालफत की ?

श्री मोहनलाल गौतम--जैसा कि मैं पहले उत्तर में कह चुका हूं, यह प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन किन्होंने विरोध किया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

*१६--**श्री वसी नकवी**--क्या यह भी सही है कि हाकिम तहसील रायबरेली तथा पंचायत अफसर के निरीक्षण के बाद भी उक्त कार्य-क्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका ?

श्री मोहनलाल गौतम--परगनाधीश, जिला रायबरेली, ने अपने यहाँ दायर हुये मुक़द्दमें के क्रम में उक्त स्थल का स्थानीय निरीक्षण किया था। जिला पंचायत अधिकारी को भी वह स्थान देखने का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ था किन्तु उस समय धारा १०७ CR. P. C. की कार्यवाही हो रही थी अतः पंचायत अधिकारी ने हस्तक्षेप करना अनुपयुक्त समझा।

श्री वसी नकवी--क्या यह सही है कि दफ़ा १०७ की कार्यवाही खत्म हो चुकी है और अब गलियारे को सुधारने में कोई बाधा नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हाँ, मुझे मालूम है कि दफ़ा १०७ की कार्यवाही खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो मुनासिब कार्यवाही है वह की जा रही है।

कानपुर में ग्वालटोली एरिया राशनिंग आफिस द्वारा शक्कर के अनियमित परमिट

*१७--**श्री हमीद खां** (जिला कानपुर)--क्या अन्न मन्त्री अनुग्रह करने की कृपा करेंगे कि गत फरवरी मास में ग्वालटोली एरिया राशनिंग आफिस से कुछ ऐसे शक्कर के परमिट कटे जो कि क़ायदे से नहीं दिये जाने चाहिये थे ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ।

*१८--**श्री हमीद खां**--क्या अन्न मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के परमिट दिये जाने की कोई जाँच सम्बन्धित अधिकारी ने की ? यदि हां, तो कितने शक्कर के बोरों के परमिट इस प्रकार काटे गये और अनियमित कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ। २३० बोरे शक्कर के लिये ऐसे परमिट जारी हुये थे। वैभागिक जाँच की गई और संबंधित कर्मचारी को तुरन्त ही मुअत्तल कर दिया गया और मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया। कर्मचारी भागा हुआ है और दफ़ा ८७-८८ की कार्यवाही के उपरान्त भी अभी पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस की जाँच व खोज जारी है।

श्री हमीद खां--२३० बोरों के परमिट किस तारीख से किस तारीख तक काटे गये हैं ?

श्री बनारसीदास--१८-१०-'५१ से लेकर ७-२-'५२ तक परमिट काटे गये हैं।

श्री हमीद खां--जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है वह किस पद पर था ?

श्री बनारसीदास--वह एक क्लर्क था।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या इसका संबंध वहाँ के ए० आर० ओ० से भी था ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ, इसके संबंध में जाँच की गई तो मालूम हुआ कि ए० आर० ओ० की केवल एक नैगलीजेंस थी।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह क्लर्क कितने दिनों से फरार है ?

श्री बनारसीदास--यह फरवरी महीने से जब कि ऐक्शन लिया गया गायब है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--ए० आर० ओ० की नैग्लीजेंस के संबंध में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास--सजा के तौर पर उनका ट्रांसफर कानपुर से कर दिया गया है ।

कानपुर नगरपालिका की सुरक्षित (हरिजन) रिक्त सीट की पूर्ति

*१९--**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय रामलाल सोनकर, हरिजन सदस्य, नगरपालिका, कानपुर की सुरक्षित तथा नामजद (हरिजन) रिक्त सीट की पूर्ति जो लगभग एक वर्ष से रिक्त है, हुई है अथवा नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी नहीं हुई है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कब से यह सीट खाली है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसको कई महीने हो गये हैं, लेकिन इस संबंध में और भी कुछ प्रश्न विचाराधीन हैं और इसीलिये इसमें देर लगी है ।

*२०--**श्री जोरावर वर्मा**--अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीघ्र ही इसकी पूर्ति करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस संबंध में सरकार को कई नाम प्राप्त हुए हैं और उनमें से उपयुक्त व्यक्ति का इस पद के लिये चुनाव सरकार के विचाराधीन है ।

भर्थना, जिला इटावा में हैजे का प्रकोप

*२१--**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के भर्थना क़स्बा में हैजे के प्रकोप से जुलाई-अगस्त, सन् १९५२ ई० में कितनी मौतें हुई हैं ?

श्री बनारसीदास--हैजे के प्रकोप से इटावा जिले के भर्थना कस्बे में १५ मौत जुलाई १९५२ और २ मौत अगस्त, १९५२ में हुई ।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि जिस समय हैजा था उसके बाद भी वहां कुछ मृत्यु हुई हैं और हुई हैं तो कितनी ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

*२२--**श्री मिहरबान सिंह**--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के हेल्थ आफिसर ने भर्थना क़स्बे में फैले हुये हैजे को हैजा होने की बीमारी की घोषणा की थी या नहीं ?

श्री बनारसीदास--जी हाँ, घोषणा की गई थी ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि हेल्थ आफ़िस को जब पहले डेथ्स की इत्तला हुई तो उन्होंने क्या एक्शन लिया ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है कि इसका मुनादी के जरिये ऐलान करा दिया गया था कि बाहर शहर में हैजा है, लेकिन एक्शन के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है, लेकिन हेल्थ आफिस का जो कर्त्तव्य था उसने हैजे का ऐलान करा दिया था ।

टाउन एरिया तालबेहट (झांसी) को अव्यवस्था के कारण मुअत्तल करना

*२३--**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झांसी)--क्या सरकार टाउन एरिया तालबेहट (झांसी) को उसकी अव्यवस्था तथा कर्त्तव्यों को न करने के कारण मुअत्तल करने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं ।

श्री रामसहाय शर्मा---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि तालबेहट (झांसी) में ५ साल से टाउन एरिया की ओर से लालटेनें नहीं जलाई गईं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह खास सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसहाय शर्मा---क्या सरकार के पास वहाँ की जनता की ओर से टाउन एरिया के विरुद्ध संगीन शिकायतें आई हैं और आई हैं तो कितने समय पहले ?

श्री मोहनलाल गौतम---टाउन एरिया के खिलाफ शिकायतें आई हैं और उनकी जाँच भी हुई और प्रश्न यह था कि उस टाउन एरिया को सुपरसीड किया जाय या नहीं । अन्त में यह तय हुआ कि चूंकि अब एलेक्शन नजदीक है, इसलिये उनको वार्न कर दिया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह शिकायतें यह थीं कि वह अपना टैक्स वसूल नहीं करते और इसीलिये उनके पास पैसे की बहुत कमी है और फलस्वरूप धनाभाव से जो कुप्रबन्ध हो सकता है वह वहाँ था ।

*२४-२५---**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १८७ व १८८ पर]

*२६-२८---**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)---[१६ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जिला रायबरेली की तौलीपारा ग्राम पंचायत के सभापति द्वारा गबन

*२९---**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला रायबरेली, तहसील महाराजगंज के ग्राम तौलीपारा के ग्राम पंचायत के सभापति ने कर वसूली में जाली रसीदें जनता को देकर रुपयों का गबन किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हाँ ।

*३०---**श्री मदनमोहन उपाध्याय**---क्या यह सही है कि जब जिलाधीश को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सभापति को मुअत्तिल कर जिला पंचायत अधिकारियों को जाँच करने की आज्ञा दी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हाँ ।

*३१---**श्री मदनमोहन उपाध्याय**---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस जाँच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---जाँच की जा रही है ।

प्रदेश में परिगणित जाति के असिस्टेंट पंचायत आफिसर्स

*३२---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने असिस्टेंट पंचायत आफिसर्स परिगणित जाति के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---केवल एक ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कुल कितने असिस्टेंट पंचायत राज अफसर हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---हर एक जिले में एक एक हैं ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--उनका चुनाव इस प्रकार हुआ था कि एक एडहाक कमेटी बनायी गयी थी, जिसके दो मेम्बर थे, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति से सीनियर मेंबर बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा दूसरे संचालक पंचायत राज्य थे। उनके पास जो इंसपेक्टर्स थे उनमें से जो सीनियर इंसपेक्टर्स थे और जिनका काम अच्छा था उनके नाम आये थे और उन्हीं में से उन्होंने सेलेक्शन किया जो भी नाम उनके पास आये उनमें हरिजनों के उतने नाम नहीं थे जितने होने चाहिये थे इसलिये अधिक हिरजनों का चुनाव न हो सका।

*३३--**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)--[५ नवम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी पर पुल की आवश्यकता

*३४--**श्री खुशी राम** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कोसी नदी में पानी बढ़ जाने के समय अल्मोड़ा जिले के खास प्रजा, तल्ला तिखून के लोगों का नदी आर-पार जाना बन्द हो जाता है और सैकड़ों गाय, बैल, भैंस व कई औरतें आदमी इसमें बह जाते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--कोसी नदी में बरसात में कभी कभी थोड़ी देर के लिये पानी बढ़ जाता है और इस बढ़ी हुई नदी की हालत में उसे पार करना कठिन हो जाता है। परन्तु जहां तक मालूम है बहुत देर तक ऐसी बढ़ी हुई हालत पानी की नहीं रहती। दूसरे हिस्से के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाल के दूसरे हिस्से के बारे में सरकार किससे पूछगछ करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यदि सदस्य साहब कोई खास बात बतायेंगे कि इतने बैल और इतनी गायें बह गईं तो सरकार उनकी जांच अपनी मशीनरी द्वारा करायेगी।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां से यह शिकायत आयी थी कि अल्मोड़ा की पांच औरत, १० आदमी और ५० बैल बह गये ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस चाहिये।

*३५--**श्री खुशी राम**--क्या सरकार जहां पर कि इन पट्टियों के बीच रोनडाल गांव के पास पुराना पुल बना था उस जगह पर नया पुल या फिलहाल काम चलाऊ पुल बनाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा कोई आयोजन शासन के सामने अभी नहीं है।

श्री खुशी राम--क्या उपरोक्त हालात में सरकार इस पुल को बनवाने के लिये कोई योजना बना रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जैसा मैंने कहा, सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन वहां का जिला आयोजन विभाग, जिले के अधिकारी और गांव के लोग आपस में इस पुल को बनवाने की आयोजना कर रहे हैं।

*३६-३७--**श्री राम अवध सिंह** (जिला गोरखपुर)--[१४ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३८-३९--**श्रीमती ब्रजरानी मिश्र** (जिला कानपुर)--[५ नवम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले के जलालपुर टाउन एरिया के मेम्बरों का त्यागपत्र

*४०--**श्री जयराम वर्मा** (जिला फैजाबाद)--क्या स्वशासन मन्त्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले की जलालपुर टाउन एरिया के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है ? यदि हां, तो उनके त्यागपत्र का कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, एक हिन्दू और एक दलित वर्ग के सदस्यों ने त्यागपत्र भेजे हैं, परन्तु वह अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। त्यागपत्रों में इन सदस्यों ने यह आरोप लगाये हैं कि कर निर्धारण तथा बख्शी की नियुक्ति में कमेटी के अन्य बहुसंख्यक सदस्य पक्षपात कर रहे हैं। इन आरोपों के विषय में जिलाधीश स्वयं जांच कर रहे हैं। उनकी जांच समाप्त होने पर यदि आवश्यक होगा तो शासन उचित कार्यवाही करेगा।

श्री जयराम वर्मा--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनके त्यागपत्र कब आये ?

श्री मोहनलाल गौतम--एक सदस्य का त्यागपत्र १५-९-'५२ को आया था, उनका नाम बैजनाथ था और वे वाइस चेयरमैन थे। दूसरे साहब का त्यागपत्र ८-८-'५२ को आया।

श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि इस उद्देश्य से कि नियुक्ति में कोई पार्टीबन्दी न हो जिलाधीश ने स्वयं किसी आदमी की नियुक्ति की जिसे बहुसंख्यक सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया बल्कि एक दूसरे आदमी को नियुक्त कर दिया ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह अभी झगड़ा चल रहा है। इसके ऊपर चूंकि उचित कार्यवाही हो रही है, इसलिये मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा कि मैं उन सब डिटेल्स को इस समय आपके सामने रखूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि टाउन एरिया कमेटी के चैयरमैन और १० मेम्बरों ने अपनी राय से एक बख्शी की नियुक्ति की, लेकिन एस० डी० एम० अकबरपुर ने एक हिन्दू बख्शी की नियुक्ति कर दी, इसी वजह से यह झगड़ा चल रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जहां तक इस हिस्से का सम्बन्ध है कि एक आदमी की वहां नियुक्ति हुई थी वह सही है, लेकिन यह कि उन्होंने गलत तरीके से उसे हटाया, इन सब पर राय देना मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा। यह मामला अभी जेरे गौर है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पिछले जून के चुनाव में इस टाउन एरिया कमेटी के १२ सदस्यों में से ८ और चेयरमैन सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

जलालपुर टाउन एरिया द्वारा लगाये गये टैक्स के विरुद्ध जिला सहकारी सभा, फैजाबाद का आवेदन-पत्र

*४१--श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही है कि जिला सहकारी सभा फैजाबाद ने जलालपुर टाउन एरिया द्वारा लगाये गये टैक्स के विरुद्ध सरकार के पास एक रिप्रेजेन्टेशन (representation) भेजा था ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। वह आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन है।

श्री जयराम वर्मा--यह आवेदन-पत्र सरकार के पास कब आया और किस साल के टैक्स के बारे में था ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह २९-९-'५२ का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा, फैजाबाद द्वारा भेजा हुआ आवेदन-पत्र है और पुराने टैक्सेज के बारे में है।

श्री जयराम वर्मा--क्या यह सही नहीं है कि इस आवेदन-पत्र के बहुत पहले यानी एक साल से पहले भी एक आवेदन-पत्र सरकार के पास आया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---इस सम्बन्ध में एक दरख्वास्त जिला सहकारी सभा द्वारा फरवरी, १९५०, में भेजी गयी थी। तो सरकार कितने दिनों में उस पर अपना निर्णय करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये मुझे सूचना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर दरख्वास्त, जो कि वहां लोकली भेजी जाती है, उन सबकी मेरे यहां फाइल नहीं रहती है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के सवालों का मुझे नोटिस दे दिया जाया करे तो मैं सूचना मंगवा लूंगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि टाउन एरिया द्वारा लगाये गये इस प्रकार के टैक्स को कोआपरेटिव सभा हमेशा देती रही है और पिछली मर्तबा इस तरह के एतराज उसके खारिज हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

गाजीपुर जिले के बहादुरगंज कस्बे में अस्पताल बनवाने की योजना

*४२---श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले के बहादुरगंज कस्बे में कोई अस्पताल बनवाने की योजना थी ? यदि हां, तो क्यों स्थगित की गयी ?

श्री बनारसी दास---गाजीपुर जिले के बहादुरगंज कस्बे में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना जिला परामर्शदात्री चिकित्सालय सभा, गाजीपुर ने मई सन् १९४९ में प्रस्तुत की थी। चूंकि अन्य स्थानों पर अस्पताल खोलना अधिक आवश्यक था, अतः बहादुरगंज में अस्पताल न खोला जा सका।

श्री यमुना सिंह---क्या माननीय मंत्री जी निकट भविष्य में बहादुर गंज कस्बे में अस्पताल बनवाने की कोई योजना सोच रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---जी हां, यदि वहां पर इमारत का प्रबन्ध हो सका तो सन् ५३-५४ के बजट में वहां अस्पताल खोलना सम्भव हो सकेगा।

ठेकेदारों द्वारा कोयले का वितरण

*४३---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सच है कि निर्माण विभाग में विभिन्न जिलों में खर्च के लिए कोयले की, जो परमिटें पिछले सालों में विभिन्न डिवीजनों के एक्जिक्यूटिव इंजीनियरों के नाम से ली जाती थी और वे प्रान्त के १०० से ऊपर कोयले के ठेकेदारों द्वारा कोयला वितरित कराते थे, उनके बजाय इस वर्ष १,५०० वैगन की परमिट केवल विभाग के चीफ इंजीनियर के नाम ली गई है और प्रान्त भर में कोयले का वितरण भार केवल पांच बड़े बड़े ठेकेदारों के हाथ में दिया गया है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, यह ठीक है कि पिछले सालों में जिलों में खर्च के लिये कोयले की परमिटें एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के नाम से ली जाती थीं। यह भी सच है कि इस वर्ष १,५०० वैगन की एक परमिट चीफ इंजीनियर के नाम से ली गई। यह नहीं बताया जा सकता कि पिछले वर्षों में एक्जिक्यूटिव इंजीनियर कोयले की परमिट को कितने कोयले के एजेंटों को देते थे। १,५०० वैगन की परमिट चीफ इंजीनियर ने ५ बड़े कोयले के एजेंटों के हाथ में दी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी उन पांच कोल एजेन्ट्स के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास---

(१) मेसर्स करमचन्द थापर ऐण्ड सन्स।

(२) कोल एजेन्ट्स लिमिटेड।

(३) दि ग्रेफाइट कोल कम्पनी।
(४) साउथ इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी।
(५) ईस्ट इंडिया कोल एजन्सी लिमिटेड।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पांचों, जिनको कोल के परमिट्स दिये गये हैं, यह सब ऐप्रूव्ड लिस्ट में पहले से हैं या नहीं ?

श्री बनारसी दास---जहां तक सिविल सप्लाईज का सम्बन्ध है, एक ऐप्रूव्ड लिस्ट वहां रहती है। यह जो नाम मैंने अभी पढ़कर सुनाये हैं उनमें से चौथा और पांचवां नाम ऐप्रूव्ड लिस्ट के अन्दर नहीं है और एक, दो और तीन उस ऐप्रूव्ड लिस्ट के अन्दर शामिल हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इतने आदमियों का हक छोड़कर बड़े बड़े आदमियों को और बड़ी बड़ी कम्पनियों को ही क्यों परमिट्स दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास---अगस्त, १९५२, में तमाम हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स और सेक्रेटरीज की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि कोल के परमिट्स दिये जाते हैं, लेकिन कोल हमारे प्रान्त के अन्दर नहीं आता, जिससे प्रान्त में कठिनाई होती है, उसका मुख्य कारण यह था कि काफी कोल एजेन्ट्स ऐसे थे, जो कोल सप्लाई नहीं करते थे, इसलिये उस समय के मंत्री श्री कृष्णचन्द्र जी ने यह सुझाव पेश किया था कि कम से कम तादाद में कोल एजेन्ट्स को नियुक्त किया जाय और वही किये जायं जो कि इसका भार वहन कर सकें। इसी के अनुसार यह निश्चय किया गया कि कम से कम जो लोग इस काम में हों उन्हीं को कोल एजेन्ट्स नियुक्त किया जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को कोल के परमिट्स दिये जाते हैं ये लोग परमिट्स के बदले सरकार को या अधिकारियों को कुछ रुपया भी देते हैं ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि इन पांचों कोल एजेन्ट्स में से ईस्टर्न कोल कम्पनी, बंगाल की है और उत्तर प्रदेश में वह काम नहीं करती तथा दी ट्रेडर्स लिमिटेड कोल का काम नहीं करती ?

श्री बनारसी दास---इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक ऐप्रूव्ड लिस्ट रहती है, लेकिन यह तो बिलकुल चीफ इंजीनियर का डिस्क्रीशन है कि कोल मंगाने के लिये चाहे जिसको लाइसेंस दे सकें।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कोल के परमिट्स जो कम्पनियों को दिये जाते हैं उसमें प्रान्त की भी कोई कम्पनी है जिनको परमिट दिया गया है ?

श्री बनारसी दास---असल में जहां तक परमिट्स का सवाल है, वह तो प्राविंशियल आइरन ऐंड स्टील कंट्रोलर देते हैं और जिनको परमिट्स दिये जाते हैं वह फिर कोलियरीज से मंगाने के लिये कोल एजेंट्स को देते हैं और कोल एजेन्ट्स प्रायः कलकत्ते के अन्दर ही स्थित हैं।

राजकीय देशी चिकित्सालयों में शल्य कर्म तथा चिकित्सा

*४४—श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)---क्या यह सत्य है कि प्रदेश के सभी जिला हेल्थ आफिसरों को सरकारी आदेश भेजा गया है कि जिन राजकीय देशी चिकित्सालयों में (आयुर्वेदिक, यूनानी) हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी वैद्य या हकीम न हों वहां से सभी शल्य कर्म सम्बन्धी यन्त्र, शस्त्र वापस ले लिये जावें ? यदि हां, तो ऐसे आदेश का कारण क्या है ?

श्री बनारसी दास--जी हां। कारण यह है कि उक्त कालेजों को छोड़ कर अन्य सभी आयुर्वद एवं तिब कालेजों में शल्य विषयक ज्ञान प्राप्त करने के साधन पर्याप्त नहीं है और उन कालेजों के स्नातकों को शल्य शास्त्र का काफी ज्ञान नहीं हो पाता।

*४५--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रदेश में ५८० राजकीय देशी चिकित्सालय हैं, जो प्रायः शहरों से बीस बीस मील अथवा उससे भी कहीं दूरी पर हैं और उनसे प्रदेश की पर्याप्त जनता साधारण शल्य कर्म संबंधी तथा चिकित्सा सम्बन्धी लाभ उठा रही है?

श्री बनारसी दास--प्रदेश में लगभग ५२० राजकीय देशी चिकित्सालय हैं। यह प्रायः शहरों से दूरस्थ स्थानों पर ही स्थित हैं। प्रदेश की पर्याप्त जनता इन चिकित्सालयों से शल्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी लाभ उठा रही है।

*४६--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा संचालित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत पंचवर्षीय परीक्षा के बाद सरकार बी० आई० एम० एस० (बैचलर आफ इन्डियन मेडिसिन एवं सर्जरी) की उपाधि देना स्वीकार कर चुकी है और प्रदेश के राजकीय दवाखानों में उनकी संख्या लगभग ४५० के है?

श्री बनारसी दास--जी हां। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में बी० आई० एम० एस० स्नातकों की संख्या ३५० के लगभग है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या यह सच है कि बी० आई० एम० एस० की डिग्री प्राप्त करने के लिये पांच वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया है?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या यह सच है कि इस शल्य कर्म के लिए डिग्री देने वाले जो कालेज हैं उनको गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है?

श्री बनारसी दास--जी हां। इसका उत्तर दिया जा चुका है। दो कालेजों को छोड़ कर और जगह शल्य चिकित्सा की शिक्षा के लिए काफी प्रबन्ध नहीं है। यद्यपि सरकार कालेजों को मान्यता देती है, इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि कुछ समय में वह शल्य चिकित्सा का ज्ञान अपने स्नातकों को करा सकें।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या यह सही है कि बी० आई० एम० एस० डिग्री के अर्थ ही हैं कि चिकित्सा और सरजरी दोनों का ज्ञान हो?

श्री बनारसी दास--यह तो सही है। परन्तु सरकार का यह मत है कि अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटी के कालेजों को छोड़कर अभी तक वहां पर काफी प्रबन्ध शल्य चिकित्सा का नहीं है।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार को यह मालूम है कि बी० आई० एम० एस० की डिग्री बनारस या अलीगढ़ युनिवर्सिटी की नहीं है?

श्री बनारसी दास--जी हाँ। इसका उत्तर दिया जा चुका है। जहाँ पर यह डिग्री दी जाती है। बावजूद इसके कि अभी वहाँ सरकार के मत में शल्य करने के लिये काफी प्रबन्ध नहीं है, सरकार ने इस प्रकार की योजना बनायी है कि दो-तीन महीने की ट्रेनिंग के ऐसे वैद्यों को दी जाय और उनको इस ट्रेनिंग के बाद शल्य चिकित्सा करने की इजाजत दे दी जायगी।

बाजार रूरा (जिला कानपुर) के मार्केटिंग इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायत

*४७--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या यह सत्य है कि बाजार रूरा (जिला कानपुर) के मार्केटिंग इन्सपेक्टर के विरुद्ध अनाज की चोरी की शिकायत हुई थी, जिसमें चने के गबन का आरोप भी शामिल है, जिसे डिप्टी आर० एफ० सी० ने जाँच में सही पाया? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में फिर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। शिकायत यह की गई कि सरकार को मार्केटिंग इन्स्पेक्टर के मार्फत १२ बोरे दिये गए परन्तु उसने सिर्फ १० बोरे जमा किये। जाँच करने पर मालूम हुआ कि ये दो बोरे सरकारी गोदाम में मौजूद थे। यह गलती इसलिये हुई कि पर्चेजिंग एजेन्ट ने इन्वायस सिर्फ १० बोरे का दिया था और जो दो बोरे ज्यादा थे, उनके सम्बन्ध में यह समझा गया कि पर्चेजिंग एजेन्ट उनको अपने आगामी इन्वाइस में शामिल करेगा। इन दो बोरों का बिल अब बना दिया गया है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या डिप्टी आर० एफ० सी० ने इस बात की जाँच की कि बारह बोरों के स्थान पर दस बोरों का बीजक क्यों बनाया गया?

श्री बनारसी दास--इसका उत्तर तो दिया जा चुका है। यह केवल गलती थी।

***४८--श्री राम दुलारे मिश्र**--क्या यह बात सही है कि मार्केटिंग इन्स्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने वाले गल्ले के व्यापारियों के लाइसेन्स रद्द कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या लाइसेन्स कैंसिल करने के पहले व्यापारियों को इसका कारण बतलाया जाता है?

श्री बनारसी दास--यह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता, क्योंकि ४८ में उत्तर दिया जा चुका है कि सीधे लाइसेन्स कैंसिल नहीं हुए।

गल्ले के बी लाइसेंस की फीस

***४९--श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गल्ले के बी लाइसेन्स की ५० (पचास) रुपया फीस के अलावा ५०० (पाँच सौ) रुपये जमानत के जमा करने पड़ते हैं?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। प्रतीत होता है कि कानपुर रीजन में इस विषय के सरकारी आदेशों का सही अर्थ नहीं समझा जा सका है। यह स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि जमानत सिर्फ उन्हीं "बी" लाइसेन्सीज से ली जाय जो सरकारी पर्चेजिंग एजेन्ट हों।

तहसील डुमरियागंज उत्तर राप्ती क्षेत्र के संक्रामक रोगों की रोकथाम

***५०--श्री राम लखन मिश्र** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील डुमरियागंज उत्तर राप्ती के क्षेत्र की प्रधान बीमारी (संक्रामक रोग) क्या है?

श्री बनारसी दास--प्रधान बीमारी (संक्रामक रोग) मलेरिया, प्लेग, हैजा तथा चेचक हैं। फाइलेरिया तथा कालाजार भी प्रचलित हैं।

श्री राम लखन मिश्र--क्या इन रोगों पर शीघ्रातिशीघ्र प्रभुत्व प्राप्त करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है, स्थायी या अस्थायी?

श्री बनारसी दास--जहाँ तक मलेरिया का सम्बन्ध है, उसके लिये ऐन्टी मलेरिया स्क्वैड्स भेजे जा चुके हैं। उसमें बस्ती भी शामिल है। जहाँ तक चेचक का सम्बन्ध है, उसके लिये प्रिवेंटिव मेजर्स लिये जाते हैं। इसी प्रकार हैजा और कालाजार के बारे में भी है। बस्ती और अन्य जिलों में पहले से कालाजार को रोकने के लिये सरकार की ओर से यूनिट्स काम कर रही हैं और उससे संतोषजनक सफलता भी प्राप्त हुई है।

***५१--श्री राम लखन मिश्र**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कोढ़ तहसील डुमरियागंज राप्ती क्षेत्र के प्रायः प्रत्येक ग्राम में तेजी से बढ़ रहा है?

श्री बनारसी दास--कोढ़ की बीमारी इस क्षेत्र में अधिक नहीं है।

*५२—श्री राम लखन मिश्र—उसकी रोकथाम की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री बनारसी दास—कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये बस्ती जिला के प्रत्येक अस्पतालों को कुष्ठ रोग सम्बन्धी दवाइयाँ तथा इंजेक्शन दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

* * * *

देशी चिकित्सालयों के औषधालय और चिकित्सकों के रहने के लिये स्थान का प्रबन्ध

*१—श्री धर्म दत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५८० चिकित्सालय जो इस समय सरकार चला रही है उनमें से कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ औषधालय और चिकित्सकों के रहने के स्थान का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—इस समय सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या ५१४ है। अब तक ४८ जिलों में से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार २४७ चिकित्सालय ऐसे हैं जो किराये की ईमारतों में स्थित हैं। इसका किराया विभाग द्वारा दिया जाता है। २३७ चिकित्सालय बिना किराये की इमारतों में स्थित हैं। यह भवन गाँव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा चिकित्सालयों के बिना किराये के दिये गये हैं। उपरोक्त चिकित्सालयों में २६७ चिकित्सालय भवन ऐसे हैं जहाँ पर चिकित्सकों के रहने के स्थान का प्रबन्ध भी है। तथा शेष स्थानों में ऐसे अच्छे भवन उपलब्ध नहीं हो सके हैं जिनमें चिकित्सक भी रह सकें। उन स्थानों पर चिकित्सकों के रहने का प्रबन्ध अलग भवनों में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे भवन उपलब्ध होना अत्यन्त कठिन है। अतएव कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर चिकित्सकों को अच्छे भवन न मिलने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है। विभाग द्वारा निरन्तर इस बात का प्रयत्न किया जाता रहा है कि अच्छे-अच्छे भवन, चिकित्सालय तथा चिकित्सकों के लिये प्राप्त किये जायं। इस कार्य में धीरे-धीरे सफलता भी मिल रही है। कानपुर, खीरी तथा बाँदा की सूचना अभी आई नहीं है। आने पर सदस्य महोदय यदि वह चाहें तो सीधे भेज दी जावेंगी।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या भविष्य में इन वैद्यों के रहने के लिये संक्षिप्त प्रबन्ध के विषय में सरकार कोई योजना बना रही है या बनायेगी ?

श्री बनारसी दास—इस समय सरकार के विचाराधीन कोई खास योजना तो नहीं है।

श्री नवल किशोर—क्या यह सही है कि इसी कष्ट के कारण सरकार को अच्छे वैद्य नहीं मिलते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस तरह की कोई कठिनाई तो सरकार के सामने है नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि हिकमत खाने और वैदिक अस्पताल खोलने के लिये सरकार के पास कोई प्लांड प्रोग्राम है जिसके मातहत सरकार अमल करना चाहती है ?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल खोलने के लिये कोई खास योजना नहीं। जितनी कि प्रत्येक वर्ष बजट के अन्दर रुपये की गुंजाइश होती है उसी के अनुसार हर साल ही यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रबन्ध किया जाता है।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन ५१४ देशी चिकित्सालयों के लिये सरकारी भवन कितने हैं ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि वैदिक, यूनानी और एलोपैथिक अस्पताल को एक प्लांड तरीके में चलाने के लिये मुख्तलिफ मुकामात पर खोलने के वास्ते वह किसी योजना पर गौर कर रही है या करना पसन्द करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न १ श्री मदन गोपाल वैद्य ने पूछा।

श्री बनारसी दास---एक आधारभूत नीति के तौर पर यह तय किया गया था कि प्रत्येक ५ मील के अन्दर एक अस्पताल हो, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या एलोपैथिक हो और सन् १९४९ के बाद इस योजना के ऊपर विचार भी किया गया और जितने अस्पताल कायम किये जाते हैं जिला परामर्शदात्री समिति के अनुसार वह इसी योजना के अनुसार कायम किये जाते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इसके लिये तैयार है कि यूनानी, आयुर्वेदिक और अब नये होमियोपैथिक अस्पतालों को आयन्दा एक प्लान्ड तरीके पर खोलने के लिये एक कमेटी बनाये जो इस मामले पर गौर करके अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न तो अभी सरकार के विचाराधीन है नहीं, लेकिन पहले भी उत्तर दिया जा चुका है कि अस्पताल एक योजना के अनुसार खोले जा रहे हैं जिससे ओवरलैपिंग न हो और पाँच मील के अन्दर ऐसा भी न हो कि एक से ज्यादा अस्पताल हो जायं किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पहुंचाने के लिये जैसे जैसे फन्ड होंगे उसी के अनुसार आगे प्रगति की जायेगी।

श्री भगवानदीन मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार अपने बजट में एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये दो चार भवन बनाने की धनराशि रखती है ?

श्री बनारसी दास---जी हाँ, यह सही है।

श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार इन अस्पतालों में ऐसे अस्पताल भी खोलेगी जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा के ढंग से दवा दी जाती है ?

श्री बनारसी दास---इस प्रश्न पर तो अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

* * * *

म्युनिसिपल बोर्ड टांडा को नागरिक निर्माण-कार्य के लिये अनुदान

*८---**श्री रामदास रविदास** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष म्युनिसिपल बोर्ड टाँडा में नागरिक निर्माण-कार्य के लिये कितना रुपया दिया गया था और उस रुपये से कितनी लम्बी और कितनी चौड़ी सड़क बनायी ?

श्री मोहनलाल गौतम---गत वर्ष टाँडा को कोई सहायता नहीं दी गई। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं पैदा होता।

* * * *

बाराबंकी जिले में गोमती नदी पर नावों के पुल का पुनर्निर्माण

*२४---**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि लगभग पाँच वर्ष हुए बाराबंकी जिले में गोमती के ऊपर नावों का पुल जोकि नियत समय पर वर्षा के पूर्व हटा दिया जाता था, उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने प्रोक्योरमेंट (procurement) के गल्ला उतारने की सुविधा के लिये नियत समय पर तोड़ने से रोक दिया था जिसके फलस्वरूप नदी में बाढ़ आ जाने से वह बह गया और नावें बह गयीं, जिससे बोर्ड को काफी क्षति हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---सरकार को यह ज्ञात है कि लगभग पाँच वर्ष हुए बाराबंकी जिले में गोमती नदी के ऊपर औलानेसुर घाट में एक नावों का पुल बाढ़ से बह गया था, परन्तु जिलाधीश ने उसको वर्षा ऋतु से पहले नियत समय पर हटाने से रोकने की आज्ञा प्रदान की थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि यदि जिलाधीश की आज्ञा के कारण इसका तोड़ा जाना नहीं रोका गया था तो नियत समय पर न तोड़े जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जिलाधीश की आज्ञा ऐसी थी या नहीं कि वह तोड़ा जाय या न तोड़ा जाय। मैंने जो कहा है वह यह है कि उसका कोई

नोट---तारांकित प्रश्न २४ तथा २५ श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंका) ने पूछे।

प्रमाण लिखित नहीं मिलता है। हो सकता है, जिलाधीश ने जबानी कहा हो और उसकी वजह से वह रोका गया हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या उस वर्ष वर्षा और बाढ़ कुछ जल्दी आ गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका तो मुझे पता नहीं। मैं तो जो पहले उत्तर में कह चुका हूं कि यह हो सकता है कि जिलाधीश ने ऐसी कोई बात कही जिसकी वजह से वह रुक गया हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--उस पुल के बह जाने के कारण कितने की क्षति हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी मुझे नोटिस चाहिये।

*२५--श्री जगन्नाथ बख्श दास (अनुपस्थित)--क्या सरकार बाराबंकी जिले के निवासियों को जो कठिनाइयां इस पुल के न होने से होती हैं उनका ख्याल करके उसके पुनर्निर्माण के लिये धन एवं विशेषज्ञों की सहायता जिला बोर्ड को देगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस पुल के पुनः निर्माणार्थ धन एवं विशेषज्ञों की सहायता के लिये सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री ईश्वरी सिंह द्वारा मेरठ जेल में भूख-हड़ताल करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मलखान सिंह जी ने पेश किया है, वह इस प्रकार है:--

"यह सदन बुलन्दशहर जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री ईश्वरी सिंह द्वारा मेरठ जिले की जेल में बन्दी सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के प्रति अराजनैतिक दुर्व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप पिछले पांच दिनों से की जाने वाली भूख-हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय मलखान सिंह जी स्वयं सदन को यह बतायें कि इसकी क्या विशेष आवश्यकता है और अर्जेंसी क्या है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सभी सदस्यों को समाचार-पत्रों द्वारा यह पता चल गया होगा कि श्री ईश्वरी सिंह जी २ अगस्त से भूख-हड़ताल पर हैं। आज उनकी भूख-हड़ताल का सातवां दिन है और हमारे पास जो तार आये हैं उनसे यही पता चलता है कि वह अभी तक भूख-हड़ताल पर हैं और उनकी भूख-हड़ताल का कारण मुझे यहां पर खासतौर से बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हममें से बहुत से भाई इन्हीं कारणों पर भूख-हड़ताल पहले जमाने में करते रहे हैं। कारण यही है कि उनके प्रति अराजनैतिक कुव्यवहार किया जा रहा है और जबकि आपके जेल मैनुअल के अन्दर इस तरह की धारायें हैं कि उनको एक उचित व्यवहार कानून के अन्दर दिया जा सकता है, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि दूसरी तारीख से आज तक सरकार ने इस तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाया और उस दुर्व्यवहार को क्यों नहीं खत्म किया। इसलिये इन कारणों से मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है, एक आदमी अपनी जान पर खेल रहा है इसलिये कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और कारण यह है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर, को बाकायदा नोटिस देकर, गवर्नमेंट को बाकायदा नोटिस देकर सत्याग्रह आरंभ किया और उस सिलसिले में वह जेल भेजे गये और वहां पर इस तरह का अमानुषिक व्यवहार हो; यह अत्यन्त गंभीर बात है और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि सभी सदस्य जो इस सदन में बैठे हुए हैं निष्पक्षपात रूप से अपना मत प्रकट करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष--मैं इसकी अर्जेंसी के बारे में पूछ रहा था।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं वैधानिक आपत्ति रखता हूं कि इसमें न अर्जेंसी है और न इसमें कोई पब्लिक इम्पार्टेंस है। लेकिन इसकी बाबत कहने से पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त ने अभी इस भवन के सामने जो इत्तिला रखी है वह सही नहीं है यानी वह साहब जिनका यह जिक्र है भूख-हड़ताल नहीं कर रहे हैं और भूख-हड़ताल किसी शिकायत की बिना पर जो किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम या खुद गवर्नमेंट के खिलाफ की जाय वह बात इसमें नहीं है। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ थोड़ी सी बात उस इत्तिला की बिना पर जो मुझको जिला मैजिस्ट्रेट से हासिल हुई है इस वाकये को बयान कर दूं इसलिये कि उसके माने यह निकालना कि यह मोशन होना भी चाहिये या नहीं अलावा और बातों के जो उसकी असली इब्तदाई बात है वही मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है। मेरे पास इत्तिला यह है कि उन्होंने यह जो फास्ट किया है वह भूख-हड़ताल के तरीके से नहीं किया है, बल्कि मुझे माफ करेंगे, मैं एक अंग्रेजी का लफ्ज कह दूंगा और शायद हिन्दी में उसका सही तर्जुमा मैं नहीं कर सकूं, सेल्फ-प्योरिफिकेशन के लिये उन्होंने किया है और उसकी तादाद उन्होंने मुकर्रर की है एक हफ्ता की। चुनान्चे ९ तारीख को उनका फास्ट खुद ब खुद खत्म होने वाला है। जहां तक कि वहां के जो अधिकारी हैं जेल के उनकी निस्बत किसी किस्म की शिकायत होने का ताल्लुक है, उनको किसी की शिकायत नहीं है बल्कि वह उनकी तारीफ करते हैं कि उनके साथ में जो सलूक किया जा रहा है वह किसी तरह पर काबिले शिकायत नहीं है और उनको इस फास्ट में पानी, बरफ और फ्रूट साल्ट बराबर दिया जाता है।

हालत उनकी हेल्थ की बिल्कुल अच्छी है। उन्होंने यह चाहा था कि उनको सुपीरियर क्लास मिले, आनरेबिल होम मिनिस्टर से उनको खतो किताबत करने की इजाजत दी जाय और लीडर आफ दी अपोजीशन से आजादाना तौर पर मुलाकात करने की इजाजत दी जाय और यह भी इजाजत हो कि टेलीफोन के जरिये से प्रेस के साथ या गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के साथ जो बातचीत करना चाहें, कर सकें और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सात खतूत आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब के पास भेजे जोकि उनके उस्ताद भी हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई भी जवाब नहीं गया। इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज कर दूं कि आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब की इत्तला यह है कि उनके पास उनका कोई खत ही नहीं आया है। उनको तीन महीने की सजा हुई है और ११ दिसम्बर को वह छूटने वाले हैं। उनका फास्ट भी ९ तारीख को खत्म होने वाला है। भूख-हड़ताल जिस चीज का नाम है और जिस चीज की अहमियत पैदा होती है वह बात नहीं है, अगर होती तो मैं अर्ज करता। मैं बहुत ही सिगनीफिकेन्ट बात नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने अभी जो अपना बयान दिया उसमें वह वजह नहीं बतला सके कि उनकी भूख-हड़ताल करने का क्या कारण है।

श्री मलखान सिंह--मैंने यह नहीं कहा कि.....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम --यहां पर लिखा गया है। उसका मुलाहिजा फरमा लिया जाय कि उनको मालूम नहीं है कि भूख-हड़ताल करने का क्या कारण है। मैंने बयान कर दिया है। मैंने रिलायेबिल इंसान से जिस पर कि एतमाद होता है मालूम किया है। उसकी वजह कुछ नहीं कह सके। लिहाजा इसमें वाकेआत के ऐतवार से जो कहा जा चुका है वह सही नहीं है। दूसरे तरीके की बात है। अब यह मामला इस किस्म का है कि इसमें वह इम्पार्टेन्स और अर्जेन्सी जो रूल्स में चाही जाती है नहीं है और उनको फास्ट करते हुए ६-७ रोज हो चुके हैं। मेरे दोस्त ने ही कहा है कि ५-६ रोज से वह भूख-हड़ताल कर रहे हैं। अखबारों में कब खबर निकली मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त को खबर होगी। आज से पहले भी यह मोशन कल हो सकता था, परसों हो सकता था। उन वजूह से मैं अर्ज करता हूं कि इसमें न तो अर्जेन्सी ही है और न इम्पार्टेंस ही है और इसके साथ ही साथ यह मिस रिप्रेजेन्टेटेड है, इसलिये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो श्री मलखान सिंह जी ने काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसकी अर्जेन्सी में गुजारिश करना चाहता हूं। अभी अभी हमने माननीय वित्त मंत्री जी की बातें सुनीं और मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि वह किसको अर्जेन्ट समझते हैं और किसको नहीं। मैं आप से अपील करना चाहता हूं कि यह मामला बहुत ही इम्पार्टेंट है और इस भूख-हड़ताल के सवाल को लेकर सारे सूबे में आग लग सकती है और लगाई जा सकती है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि.....

अध्यक्ष--माननीय सस्दय अपने भाषण को अर्जेन्सी के सवाल पर ही सीमित रखें क्योंकि मैंने यही पूछा था।

श्री राजनारायण--जी हां, मैं अपने भाषण को सीमित ही रखूंगा। बुलन्दशहर की कोई नई बात नहीं है। इसके संबंध में सरकारी कर्मचारियों ने गलत सूचनायें दी हैं.....

अध्यक्ष--आप तो मेरिट्स पर जा रहे हैं। आपके पास कोई इत्तिला हो तो वह दे दीजिये।

श्री राजनारायण--मेरे पास जो वहां के सेक्रेटरी की इत्तिला है वह पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि--

"Ishwari Singh on fast since October 2 in Meerut jail on the issue of treating satyagrahis as political prisoners".

[ईश्वरी सिंह मेरठ जेल में सत्याग्रहियों को राजनीतिक बन्दियों की भांति व्यवहार करने के प्रश्न पर २ अक्तूबर से उपवास पर हैं।]

इसके माने यही होते हैं कि मेरठ जेल में जो बुलन्दशहर के सत्याग्रही हैं उनके साथ राजनैतिक कैदियों का सा बर्ताव नहीं हो रहा है इसीलिये वह भूख-हड़ताल कर रहे हैं। दूसरा तार जो अभी कल मिला है मैं उसको भी सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह यह है कि :--

"Ishwari Singh on fast in Meerut jail from October 2".

[ईश्वरी सिंह २ अक्तूबर से मेरठ जेल में उपवास पर हैं।]

और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय .. .. ..

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब के जरिये से पूछता हूं कि क्या वह तारों के पढ़ते वक्त कुछ इबारत को छोड़ देते हैं?

अध्यक्ष--वह यह जानना चाहते हैं कि आपने जो यह तार पढ़ा है उसमें से कुछ छोड़ तो नहीं दिया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आप तार की पूरी इबारत पढ़ दीजिये।

श्री राजनारायण--"Ishwari Singh on fast since October 2 in Meerut jail on the issue of treating satyagrhis as political prisoners".

[ईश्वरी सिंह मेरठ जेल में सत्याग्रहियों के प्रति राजनीतिक बन्दियों की भांति व्यवहार किये जाने के प्रश्न पर २ अक्तूबर से अनशन कर रहे हैं।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल हैरल्ड की कटिंग है इसको मैं नहीं पढ़ता हूं। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को देख लेंगे तो यह बात साफ हो जायगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इतना बतलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जब कल नैनीताल जा रहे थे तो उनसे फोन पर मेरी बातचीत हुई थी और बुलन्दशहर के सत्याग्रह के विषय को लेकर जो पत्र पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने लिखा था वह भी हमने उनको पहले दिखाया था। उस पत्र में आचार्य जी ने इस बात पर जोर दिया था कि वहां के सत्याग्रहियों को अगर राज-

प्रस्ताव की सूचना

नैतिक कैदी ट्रीट न किया जाय तो यह शर्म की बात है। माननीय गृह मंत्री ने यह बात कही थी कि अब तो एडजर्नमेंट मोशन आ गया है तो उस पर कुछ बातें साफ हो जायंगी मगर मेरे पास वहां के जिलाधिकारियों ने जो सूचना भेजी है उससे आपकी (मेरी) बात मेल नहीं खाती है। यह कल रात उन्होंने बतलाया था। हमने उनसे निवेदन किया था कि सरकार स्थानीय कर्मचारियों की बात पर विश्वास न करे, जो सूचना हमारे पास आई है उस पर भी विश्वास करे।

अध्यक्ष--माननीय श्री मलखान सिंह जी, क्या आपको भी कुछ इसकी अरजेन्सी के बारे में कहना है।

श्री मलखान सिंह--जी नहीं।

अध्यक्ष--जहां तक इस भूख-हड़ताल का संबंध है, इसमें माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि भूख-हड़ताल नहीं हुई है और यह आत्मशुद्धि के लिये की गयी है और वहां के जिम्मेदार अफसरों की उनके सामने रिपोर्ट उस संबंध में है। मैंने भी कल माननीय गृह मंत्री से इसकी थोड़ी सी तहकीकात करने की कोशिश की और मुझे भी उन्होंने इसी किस्म का उत्तर दिया। जहां तक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है मैं यह समझता हूं कि इसका सार्वजनिक महत्व है, यदि यह भूख-हड़ताल के स्वरूप में हो। चूंकि भूख-हड़ताल का स्वरूप बताया गया था इसलिये मैंने यह उचित समझा कि सदन में इसकी चर्चा हो जानी चाहिये। कामरोको प्रस्ताव का उद्देश्य यही होता है कि उसमें उस विषय पर चर्चा होकर वह खत्म हो जाता है। यदि सदन के सामने चर्चा हो जाती है तो उसमें वह चीज आ जाती है जोकि कोई वाकयात गुजरे हो जिसके संबंध में कोई चर्चा करना आवश्यक हो। तो जहां तक यह इत्तिला सरकार की तरफ से मिली कि यह आत्मशुद्धि के लिये किया गया है तो उसका महत्व कुछ कम हो जाता है। लेकिन उसके महत्व से अधिक अरजेन्सी का प्रश्न है कि क्या इसकी इतनी आवश्यकता है कि सदन के सामने इसको लाया जाय और आगे का काम रोक कर इस प्रश्न पर विवाद किया जाय। अगर भूख-हड़ताल आमरण होती तो मैं समझता हूं कि अरजेंसी का महत्व उसमें आ जाता। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकार की तरफ से यह स्पष्ट बयान दिया कि यह हड़ताल कल टूटने वाली है। ऐसी अवस्था में यह आत्मशुद्धि के लिये है और मैं इसकी अरजेंसी नहीं समझता हूं कि आज का काम इसके लिये रोक दिया जाय। परन्तु मैं इतना कह देना चाहता हूं कि यदि आगे चल कर यह अनशन कल नहीं टूटा या उसको आगे बहुत बढ़ाया गया तो माननीय सदस्य को अधिकार रहेगा कि वह इसको फिर सदन में लाने का प्रयत्न करें या यदि वह विशेष कारण समझते हों कि वहां के अफसरों ने गवर्नमेंट को गलत खबर दी है तो वह इस प्रश्न को फिर सदन के सामने ला सकते हैं। जहां तक वह इत्तिला है जो तार से पढ़ी गयी है वह कुछ स्पष्ट नहीं है। एक तार तो राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के संबंध में है। दूसरा तार यह है कि यह हड़ताल २ तारीख से है। सरकार की ओर से दूसरी तरफ खुलासा तौर पर हड़ताल के कारण बतला दिये गये हैं। ऐसी सूरत में मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि इसकी कोई अरजेंसी है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब

अध्यक्ष--दूसरे श्री गेंदा सिंह जी ने एक प्रश्न विशेषाधिकार का कुछ दिनों पूर्व मेरे सामने भेजा था कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर नियम के अनुसार जितने समय में मिलना चाहिये वह नहीं मिलता और उन्होंने इसके कुछ उदाहरण भी मेरे सामने रखे थे। चूंकि नियम के अनुसार जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है तो नियम यह है कि माननीय सदस्य उसकी रिपोर्ट सचिव विधान सभा के सामने भेजें और उसमें यह भी बतावें कि किसने विशेषाधिकार को भंग किया है। उन्होंने यह स्पष्टीकरण नहीं किया कि यह यह प्रश्न ऐसे थे और कितने प्रश्न उसमें सम्मिलित थे और उनके लिये यह संभव भी नहीं था कि स्पष्ट रीति से बतला सकें

[अध्यक्ष]

कि किसने क्या क्या किया। मने उचित समझा कि इस प्रश्न को भी सदन के सामने लाऊं क्योंकि कायदे के हिसाब से विशेषाधिकार के लिये जो रिपोर्ट होनी चाहिये उसके अनुसार रिपोर्ट नहीं है चूंकि यह भी नियम ५८ में दिया हुआ है कि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध जब आक्षेप हो तो उसका भी नोटिस देना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वह भी इस सदन के एक सदस्य हैं, उन्हें श्री गेंदा सिंह जी ने कोई नोटिस अलग से नहीं दिया इसलिये वह उस दृष्टि से नहीं आ सकता लेकिन तीन चार कारणों से जांच करने की आवश्यकता है और यह एक महत्व का सवाल है। आखिर में नियम २२३ में है कि --

"All questions not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct".

[ऐसे समस्त प्रश्नों का, जिनकी इन नियमों में विशेषरूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तर कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।]

अर्थात् ऐसे समस्त प्रश्नों का, जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तर कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा जैसे कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करे। तो चूंकि यह महत्व का प्रश्न है इसलिये इसका लाभ लेकर और सदन के लिये अपने नियमों का पालन करना मैं आवश्यक समझता हूं और उनको भंग करने की वजह से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वह सदन अच्छी तरह से समझता है और इसी पर विचार करने की आवश्यकता है। जो देर प्रश्नों का उत्तर देने में लगती है उसके कारण ढूंढने का मैंने प्रयत्न किया और यह पाया कि इसमें मैं अपने कार्यालय से ही शुरुआत करता हूं कि वहां से ही गलती शुरू हुई। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तो सदन को गलती मालूम हो जानी चाहिये और सत्य स्पष्ट सामने आजाना चाहिये जिससे हम कोई उचित उपाय सोच सकें। तो मैंने यह देखा कि कोई सूचना कि फलां तारीख तक यह लिया जाने वाला है हमारे सचिवालय से मंत्रियों को नहीं दी गई। यह भी एक कंट्रीब्यूटरी कारण हुआ। दूसरे मंत्रियों के सचिवालय में इसके संबंध में देर हुई। उसके बाद भी यह पाया गया, कुछ सवालों के बारे में, कि वे जितनी जल्दी से आ जाने चाहिये थे उतनी से नहीं आये। ऐसी हालत में मैंने यह उचित समझा कि सदन के सामने यह परिस्थिति रख दूं और गेंदा सिंह जी को मौका दे दूं कि वह यहां इस प्रश्न को रखें। वैधानिक दृष्टि से तो यह ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय। यहीं थोड़ी सी चर्चा होकर, और सरकार की तरफ से अगर उनका कोई वक्तव्य हो तो उसके आने के बाद, इस प्रश्न को मैं अभी समाप्त कर दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के कुछ अधिकार हैं और उनका पालन कराने का भार आप के हाथों में है। केवल मैं ही नहीं, बल्कि बहुत से सदस्यों का यह मत है कि पिछले कुछ दिनों से सदस्यों के अधिकार प्राप्त कराने में सरकार ठीक से सहायक नहीं हो रही है बल्कि सरकार धीरे-धीरे उनको छीनती जा रही है। मैं किसी की नियत का दोष तो नहीं लगाता लेकिन जो कार्यवाही हो रही है उससे इसी परिणाम पर पहुंचा जाता है। मैंने यह प्रश्न ४ भिन्न-भिन्न तारीखों के प्रश्नों के बारे में उठाया है। श्री राजनारायण जी का प्रश्न ४-९-५२ को शार्ट नोटिस क्वेश्चन माना गया और वह सरकार को भेजा गया और उसका उत्तर १७-९-५२ को दिया गया। फिर माननीय भगवान सहाय जी का शार्ट नोटिस क्वेश्चन २८-८-५२ को सरकार को भेजा गया और उसका उत्तर १८-९-५२ को दिया गया। २८ अगस्त को जो सूचना दी गयी है, सूचना नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदय के दफ्तर से सरकार

को भजा गया, उसके बाद १८ सितम्बर को उत्तर दिया गया। फिर श्री झारखंडे राय जी का प्रश्न ५–९–५२ को सरकार को भेजा गया और १९–९–५२ को उसका उत्तर मिला। श्री गंगा प्रसाद सिंह जी का प्रश्न ९–८–५२ को सरकार को भेजा गया जिसका उत्तर २२–९–५२ को दिया गया। ये केवल ४ मैंने उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखे हैं। जब आप किसी दिन के कार्यक्रम को उठाकर देखेंगे तो आप पायेंगे कि ऐसे बहुत स सवाल हैं जिनका महीनों के बाद उत्तर मिला है और वे शार्ट नोटिस क्वेश्चन थे। यद्यपि माननीय मंत्रियों को इस बात की सुविधा है कि वे किसी प्रश्न को चाहे वह कितनी ही अरजेंसी का हो चाहे उसका उत्तर सेक्रेटरिएट से दे सकते हों उसके लिये वे यह कह सकते ह कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन की तरह इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये तो प्रश्न स्वीकार कर लिये गये थे और स्वीकार कर लेने के बाद एक–एक महीने बाद उनके उत्तर माननीय सदस्यों को मिल पाये। मैं आपके सामने प्रक्रिया नियमावली की धारा.....

अध्यक्ष—इसमें सरकार की अनुमति का सवाल नहीं है। जवाब देने में कुछ देर जरूर लगी है।

श्री गेंदा सिंह—मैं सरकार को भजने की तिथि से ऐसा समझता था कि उसकी स्वीकृति के बाद ही वह सरकार के पास जाता है। फिर अध्यक्ष महोदय आपकी यह जानकारी है और यह जानकारी आपने हमें बतायी, मैं उसे मानता हूं लेकिन फिर भी आप यह देखेंगे कि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के बाद एक–एक महीना और डेढ़ डेढ़ महीने के बाद उनका उत्तर दिया गया और वे शार्ट नोटिस क्वेश्चन थे। तारांकित प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको वर्तमान एसेम्बली के पहिले सेशन के शुरू होने पर किया गया था लेकिन उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ अधिकार हैं, वे अधिकार सीमित हैं,उन अधिकारों का उपयोग करके हम प्रश्न करते हैं और उनके द्वारा कुछ बातों को प्रकाश में लाना चाहते हैं। उनसे सरकार को भी मदद मिलती है तथा सदस्यों और जनता का भी लाभ होता है। लेकिन जब उनके उत्तर देने में देर होती है तो उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर कुछ दिन के लिये यूं ही छोड़ दिया जाय तो वैसे ही खत्म हो जायेंगी इसी तरह देर होने से शार्ट नोटिस क्वेश्चन का कोई उपयोग ही नहीं रह जाता है। बाज औकात ऐसी रूलिंग भी आपकी ओर से दी गयी है कि बाज जो काम रोको प्रस्ताव होते हैं उनको न करके अगर शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर दिया जाय तो ज्यादा उपयोगी होगा। ऐसी हालत में शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देरी से देना सोलहो आना ब्रीच आफ प्रिविलेज है। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में पहिले ही एक व्यवस्था दी है लेकिन उस संबंध में मेरा यह कहना है कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९४ (३) में इस तरह की सुविधा हमको मिली है। यहां की लेजिस्लेचर को वही सुविधा है जो सुविधा इंगलैन्ड की पार्लियामेंट को है। उस सुविधा के अनुसार मेज की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के पेज ११० पर यह साफ लिखा हुआ है कि हाउस की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करना ब्रीच आफ प्रिविलेज, कंटेंट आफ दी हाउस है।

मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं इसे उचित समझता हूं कि मैं आपसे यह निवेदन करूं कि आगे से आप इस पर विचार करें कि इस प्रकार की चीजें न होने पायें। इसके लिये एक ही बात है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाय।

मैं एक बात जरूरी समझता हूं कि नियम ५८ के मुताबिक हमें नोटिस देना चाहिये लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि अध्यक्ष महोदय आपके विभाग से सवाल भेजे गये थे उनमें यह नहीं लिखा हुआ था कि किस विभाग से संबंधित हैं। उसमें लिखा था कि सरकार को भेजे गये। फिर नियम ५८ में इस बात की गुंजाइश है कि यदि

[श्री गेंदा सिंह]

अध्यक्ष चाहें तो जिस सदस्य ने प्रश्न किया है उसको मौका दें ताकि संबंधित सदस्य उसका नोटिस फिर से दे सके। आप मुझे अवसर दीजिये ताकि मैं उन्हें नोटिस दे सकूं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, यह विशेषाधिकार की बात जहां तक है मैं उसको यह समझता हूं कि मेम्बर ख्वाह गवर्नमेंट के हों, ख्वाह किसी दूसरी पार्टी के हों उनमें से हर एक को यह वाजिब है कि उनका इस दर्जा खयाल रखें कि किसी किस्म की कोई शिकायत, किसी मेम्बर को ऐसी न होने पाये जो किसी विशेषाधिकार की अवहेलना की तारीफ में आ सके। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट को भी इस बात को पूरी तौर पर अपने ध्यान में रखना है और इस बात का रेस्पेक्ट करना है कि जो प्रीविलेजेज हाउस और हाउस के मेम्बरों के हैं उनमें किसी किस्म का कोई फर्क और कमी न हो। और मैं समझता हूं कि वह गवर्नमेंट और वह मेम्बर जिससे इस ऐवान के मेम्बर के हुकूक की किसी तरीके से कोई तल्फी हो जाय, वह शायद सही माने में अपने फरायज का अंजाम देने वाला नहीं समझा जा सकता। तो मैं चूंकि एक सवाल उठा है, उस सवाल के मुताल्लिक कुछ राय रखता हूं और वह इख्तलाफ राय है मेरी। लेकिन मैं उस इख्तलाफ को अलग रख कर जनाब को और जनाब के जरिये इस ऐवान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई मेम्बर कभी यह नहीं चाहेगा और कभी भी इस बात की जुर्रह नहीं करेगा कि किसी विशेषाधिकार की इस तरह से अवहेलना हो और मेम्बरान को इस किस्म की कोई तकलीफ हो और मैं गवर्नमेंट की तरफ से यह भी यकीन दिलाता हूं कि इस तरह का शुबहा भी अगर पैदा हो गया है तो इस तरह की कोशिश की जायगी कि किसी शुबहे की कोई गुंजायश इस मामले के लिये आगे न रहे। मगर चूंकि एक सवाल सामने आया है और उसकी निस्बत कुछ कहा गया है जो कहा गया वह मेरे नजदीक सही नहीं है इसलिये मेम्बरान की इत्तिला के लिये मैं कुछ बात आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं और उसमें सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करूंगा वह यह है कि मैं इस बात को वैधानिक हैसियत से सही नहीं समझता हूं कि अगर किसी सवाल का जवाब देने में देर हो जाय तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।

मेरे दोस्त ने अभी सदन के सामने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया और उसका ११० सफहा बतलाया। मैंने उसको देखा है मेरे पास मौजूद है और उसका मतलब सिर्फ यह है कि डिसओबिडिएंस किसी रूल्स की जो प्रोसीज्योर बना है, किसी जगह पर हो, तो वह किसी सूरत में किसी हद तक विशेषाधिकार की अवहेलना की नौबत तक पहुंच सकता है मगर महज तनहा यह बात कि किसी सवाल के जवाब देने में देर हुई है यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। मेरे दोस्त ने संविधान की जिस आर्टिकिल का हवाला दिया वह सही है कि इस संविधान की रू से हमारे विशेषाधिकार और प्रीविलेजेज वे ही हैं जो इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हैं लेकिन इसी मेज पार्लियामेंट प्रैक्टिस को आप देखें, मैं उसे पढ़ सकता हूं लेकिन इसके मुताल्लिक कोई जरूरत नहीं है, इसलिये मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। तो इसी किताब में जो मेरे पास मौजूद है यह लिखा हुआ है कि रिकग्नाइज्ड जो प्रीविलेजेज हैं उनके अलावा कोई नया प्रीविलेज क्रीएट नहीं हो सकता है।

यह भी एक मुसल्लिमा बात है कि मेरी गुजारिश शायद यह होती कि इस किस्म के किसी विशेषाधिकार के अवहेलना का प्रश्न नहीं होता। तो यह तो महज एक वैधानिक बात थी जो बाई दि वे मैंने अर्ज कर दी। अब जहां तक इन सवालों के जवाब में देर होने की बात है उसके मुताल्लिक दो बातें है। एक तो यह कि जिस देर को देर समझा गया है वह देर फिलवाके ऐसी देर है या नहीं कि कोई शख्स हाउस में ला करके उस पर किसी किस्म का सवाल उठाये। यह बात एक ऐसी है कि जिन मेम्बर साहब ने इस सवाल

को उठाया उनकी तवज्जह के लिये और खास तौर पर जनाब के जरिये से इसलिये भी पेश कर रहा हूं कि हो सकता है कि मुझसे कोई कसूर हो और कोई गलती हुई हो जो शिकायत के काबिल हो तो उसके जरिये हो सकते हैं और एक शख्स से या किसी जमात से ऐसी बात हुई जो काबिल शिकायत नहीं है बल्कि टेकनीकल लफ्ज की तारीफ में वह बात आती हो और उसके लिये यह जरूरी समझा जाय कि वह नोटिस में लाई जाय तो मैं कहता हूं कि सही माने में वह देर नहीं है जिसको देर कहा जाता है और वह देर की तारीफ में आयेगा नहीं। दूसरी बात जो मैं जनाब की तवज्जह दिला कर अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जनाब को भी तजुर्बा है और उसी तजुर्बा की बिना पर इस बात को मैं इस वक्त अर्ज करता हूं कि जहाँ तक शार्ट नोटिस क्वेश्चन का ताल्लुक है पिछले लेजिस्लेचर्स की जिन्दगी में और उससे पहले के लेजिस्लेचर की जिन्दगी में भी कभी भी इतनी तादाद में शार्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं आये जिस कदर तेजी से और जितनी ज्यादा तादाद में शार्ट नोटिस क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी मिसाल पहले इस सदन की तवारीख में मौजूद नहीं है। उससे दिक्कत एक खास आती है और वह यह है कि अभी तक चूंकि मेम्बरान का नया साबिका है उनको काफी तौर से अहसास नहीं हुआ है किस माअज्जे के मुताल्लिक शार्ट नोटिस क्वेश्चन किये जायं जिनकी इत्तिला और जिसका जवाब उस थोड़े से अरसे के अन्दर गवर्नमेंट दे सके लेकिन हमने यह रिस्पेक्ट करते हुए इस बात को नजरन्दाज किया और जहाँ तक मुमकिन हो सका है जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश हमने की है। आप यह देखें कि एक सवाल का जवाब बुलन्दशहर से मंगाना पड़ता है, दूसरे सवाल की इत्तिला किसी और कोने से मंगानी पड़ती है। अब यह सोचा जाय कि जब क्वेश्चन ऐसा हो कि सूबे के इस हिस्से से या उस हिस्से से कुछ इत्तिला मंगा करके जवाब देने की जरूरत हो तो उस हालत में वह शार्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं होना चाहिये। मैं यह अर्ज करता हूं लेकिन मिनिस्टर साहबान ने मेम्बरान का एहतराम करके, कोशिश करके जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब मंगाया और उन सवालों का जवाब दिया और उनमें जो वक्त मजबूरी की वजह से लगना था लगा। उसकी वजह यह थी कि दरमियान में एक वक्त ऐसा आया जब गवर्नमेंट मजबूर थी और जिसकी वजह से जवाब देने में देर हुई और जिसमें गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के किसी मेम्बर का या जनाब के दफ्तर का किसी का कोई कसूर नहीं है वह यह था कि यह सब सितम्बर में हुआ था। एक बात मैं पेटेंट मेम्बरान की इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि १० सितम्बर से १६ सितम्बर तक असेम्बली का इजलास नहीं था और इसलिये उस जमाने में जवाब नहीं हो सकता था। अब आप इजाजत दें तो जो मेम्बर साहब ने सवाल किया कि इन सवालों के मुताल्लिक ऐसा हुआ और इन सवालों के जवाब देर से दिये गये तो उसके लिये मैं जरा सी बात ऐवान के सामने अर्ज किया चाहता हूं। मसलन हमारे दोस्त राज-नारायण साहब का सवाल था। उसके मुताल्लिक भी यह प्रिविलेज का क्वेश्चन उठाया गया है। उसमें यह मुलाहिजा फरमायें कि वह क्वेश्चन डिपार्टमेंट को चौथी सितम्बर को मिले। ६ सितम्बर को उन्होंने अपनी रजामंदी दी कि हम इसका जवाब शार्टनोटिस क्वेश्चन की हैसियत से दे देंगे। उसके बाद १७ तारीख को उसका जवाब यहाँ पढ़ा गया। तो ४ से ६ तारीखों तक का जो वक्त है वह तो इसलिये है कि उस चीज की मालूमात करके उसका जवाब तैयार करके मिनिस्टर के पास भेजा जाता है कि जवाब दे दिया जाय या न दिया जाय। तो मिनिस्टर ने कंसेंट दे दी। अब दस से सोलह तक असेम्बली की बैठक नहीं थी। उसके बाद १७ को जनाब की तरफ से जवाब देने की तारीख मुकर्रर हुई और जब १७ तारीख को असेम्बली बैठी तो जवाब दिया गया।

तो मैं अपील करता हूं इस हैसियत से नहीं कि मैं गवर्नमेंट की एक चीज को प्लीड कर रहा हूं बल्कि मैं मेम्बरान जितने तशरीफ रखते हैं जनाब के जरिये से उनके सेंस

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

आफ रेस्पाँसिबिलिटी से अपील करता हूं कि वह इस बात को सोचें कि ४ सितम्बर को एक सवाल किया गया है। चार-पाँच रोज के अन्दर उसके जवाब को असेम्बली के दफ्तर को पहुंचाया गया हो। फिर असेम्बली और असेम्बली का दफ्तर बन्द हो गया हो और १७ तारीख को जवाब दे दिया गया हो यह कोई देरी उस मानी म हो सकती है या नहीं जो मैंने पहले अर्ज किया था, उस हैसियत से देरी समझी जाय या इस देरी के ऊपर कोई पकड़ की जाय या नहीं। मेरे नजदीक पकड़ के काबिल कोई बात नहीं थी।

जहाँ तक मेरे दोस्त राजनारायण साहब के सवाल का जवाब है .....।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--वह मानते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--राजनारायण साहब ने नहीं पेश किया है। उसको दूसरे साहब ने पेश किया है।

उसके बाद श्री झारखंडे राय साहब का सवाल है। इसमें यह मुलाहिजा फरमायें कि मुहकमे को ५ सितम्बर को भेजा गया। ८ सितम्बर को उनकी मंजूरी हुई और उसके बाद दफ्तर असेम्बली को भेजा गया। दस और ग्यारह बीच में गुजरी। ग्यारह को बन्द हो गया १६ तक। और चूंकि जुमे के दिन, इनका जवाब हुआ करता है इसलिये १९ तारीख मुकर्रर की गयी। १७ को खुला और १८ का दिन गुजरा। सिर्फ दो दिन का फर्क इधर और उधर है और वह भी इसलिये कि खुद उन्होंने लिखा था कि १९ तारीख मुकर्रर कर दी जाय यह सोचकर कि १९ तारीख को जवाब देना है इसका भी जवाब दे दिया जायगा।

अब अगर जनाबवाला की इजाजत हो तो हाउस की समाखरोशी न करूं और भी केसेज मौजूद हैं। इसी तरह से बयान कर सकता हूं। लेकिन मैं यह बात दिखलाना चाहता था कि इन सवालों के मुताल्लिक अगर ताखीर कही जाय तो वह ऐसी नाकाबिल लिहाज है कि उसका नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन यह कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं है।

लेकिन इन सब के बावजूद जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया मैं फिर दोहराता हूं कि गवर्नमेंट अपना बहुत बड़ा फर्ज समझती है कि इस किस्म की कोई शिकायत हाउस को न होने पाये। किसी मेम्बर साहब को न होने पाये और किसी विशेषाधिकार के खिलाफ कोई कोई कार्यवाही गवर्नमेंट की तरफ से न हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि माननीय मंत्री जी ने, माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने जो ब्रीच आफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट आफ हाउस का प्रश्न उठाया उसको ब्रीच आफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट आफ हाउस का प्रश्न मानने से ही इनकार कर दिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कह दिया। "I have admitted it . . " (मैंने इसे स्वीकार कर लिया है .....)

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे बड़ा ऐतराज है। माननीय मंत्री जी को एकदम जोश चढ़ने लगता है। अब आप १११ पेज देखिए, ११० अभी तक देख रहे थे।

अध्यक्ष--अलग अलग किताबों में अलग-अलग पेजेज हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

"Disobedience to the orders of either House whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain

from doing a particular act or contravention of any rules of either House is a contempt of that House."

[किसी भी सदन के आदेशों की अवज्ञा चाहे ऐसे आदेश सामान्य रूप से लागू हों या किसी व्यक्ति विशेष से किसी कार्य विशेष को करने या उससे वंचित रहने की अपेक्षा करते हों या किसी सदन के नियमों का उल्लंघन उस सदन का अपमान है।]

तो इसके लिये ब्रीच आफ प्रिविलेज आता है। वह ऐसा सख्त शब्द है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब की इजाजत से .....

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी को रोका जाय। यह कनटेम्प्ट हो रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं आन ए प्वाइंट आफ आर्डर अर्ज करता हूं कि मैं जनाब की रूलिंग चाहता हूं। एक पोजीशन जिसमें कि कोई डिस्प्यूट्स और इख्तलाफ नहीं है, एक साहब कहते हैं कि रूल्स की डिसओबिडिएंस, विशेषाधिकार का प्रश्न है और दूसरा भी कहता है कि है, तो उसके ऊपर जो इस किस्म की बहस हो रही है वह रेलेवेंट है या नहीं?

अध्यक्ष--मैंने प्रिविलेज का सवाल इस सदन के सामने नहीं रखा। मैंने कहा कि नियम २२३ के अनुसार मैंने यह परिस्थिति देखी कि ऐसी देर होती है और बहुत से माननीय सदस्यों को इसमें कठिनाई मालूम होती है। उन सबके एतराज मैंने सुने और चूंकि गेंदा सिंह जी ने जो शिकायत की थी वह नियम के अनुसार नहीं थी, नियम का पूरा पालन नहीं हुआ था तो मैंने यह उचित समझा कि यह तरीका रखूं कि उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाय। इसी चर्चा में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपनी राय जाहिर कर दी और कोई दूसरे माननीय सदस्य भी जाहिर करना चाहें तो मैं उसकी इजाजत देता हूं। लेकिन यह सवाल कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुझे निर्णय देना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि मेज की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार रूल्स की अवहेलना, जो स्वीकार किये गये हैं, वह केवल श्री गेंदा सिंह की कनटेम्प्ट नहीं है बल्कि सारे सदन की कनटेम्प्ट मानी गयी है। मैं तो शुरू से ही सरकार की उत्तर देने की नीति को देखता आ रहा हूं। मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न गोरखपुर और देवरिया के गोलीकांड और भुखमरी के बारे में दिये और उसके बाद जितने प्रश्न अल्पसूचित भेजे गये उन सब का उत्तर नियमों के विरुद्ध और देर में दिया गया। मैं नियमावली के अध्याय ७ में दी हुई धारा २२ पढ़ा चाहता हूं, "कोई सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहे, अपनी प्रार्थना के साथ प्रश्न की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और सूचना में उस दिन का उल्लेख करेगा जिस दिन वह उत्तर चाहता है।" उसके नीचे विधि दी गयी है कि, "यदि कोई सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछना चाहता है तो वह ऐसे प्रश्न के लिये पूरे तीन दिन की सूचना देगा और प्रश्न सचिव द्वारा उत्तर के लिये नियत दिनांक से पूरे दो दिन पूर्व सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे।"

तो माननीय मंत्री जी यह दावा करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति बाद को दी और जब तक स्वीकृति न मिले हमारा असेम्बली डिपार्टमेंट उनको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में नहीं रख सकता था। ये तिथि जो बतायी हैं वे वही हैं जिनको नियमों के अनुसार माननीय मंत्री जी ने मान लिया है कि हम उनका अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के रूप में उत्तर देंगे। आपने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, जब मैंने अमृत पत्रिका के विषय में कामरोको प्रस्ताव की अनुमति चाही थी। ९ दिन के बाद स्वयं आपने रूलिंग दी थी कि चूंकि सरकार ने नारायण दत्त जी के अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अभी तक नहीं दिये, ९ दिन हो गये हैं, इसलिये मैं उनके कामरोको प्रस्ताव की इजाजत देता हूं। अगर सरकार अपने को ठीक करना चाहती, अगर हाउस की इज्जत करना चाहती, हाउस की अवहेलना करना नहीं चाहती तो वह संभल जाती, क्योंकि ९ दिन के बाद इस कामरोको प्रस्ताव को बिना किसी आक्षेप के आपने मुझे रखने की अनुमति दी। माननीय विरोधी दल के नेता ने चार बार हाउस में कहा कि मैंने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न बुलन्दशहर सत्याग्रह के बारे में दिये हैं. जवाब नहीं मिला, लेकिन माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि अब नये विधान के अनुसार सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ गयी है? माननीय मंत्री जी को शिकायत है कि अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बहुत ज्यादा आने लगे हैं। मैं तो यह देखता हूं कि बहुत दिन से व्यतीत हो जाते हैं जब कोई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आता ही नहीं है। आप की यह शिकायत है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और मुझे यह शिकायत है कि हम लोग ज्यादा प्रश्न पूछते ही नहीं हैं और अगर पूछते हैं तो १५ दिन के बाद जवाब मिलता है कि आपका अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं माना जा रहा है बल्कि तारांकित प्रश्न माना जायगा। मैंने दो-तीन अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे और रोज का अजेंडा देखता रहा लेकिन १५ दिन के बाद मुझे खबर मिली कि आपके प्रश्न तारांकित माने जायेंगे। इस प्रकार के चार उदाहरण मौजूद हैं।

नियम ५८ की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया। नियम ५८ मे भवन को अधिकार है कि शिकायत की प्रतिलिपि न मिलने तक यदि भवन चाहे तो विचार स्थगित कर दे। नियम ५८ इस प्रकार है:

"जब किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत करनी हो तब शिकायत करने वाले, याचिका देने वाले अथवा सचिव अथवा समिति द्वारा यथास्थिति, उस सदस्य को शिकायत की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। कोई पूर्व सूचना न दिये जाने की दशा में सदन विषय का उस समय तक विचार स्थगित कर सकता है जब तक कि संबद्ध सदस्य को सूचना न दे दी जाय अथवा वह (सदन) शिकायत को विचारार्थ लेना अस्वीकार कर सकता है। सदस्य, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, सदन द्वारा नियत अथवा शिकायत करने वालों द्वारा प्रस्थापित दिन में, यथास्थिति, सदन में उपस्थित होगा। यदि वह उपस्थित होने में असमर्थ हो तो सदन विषय के विचार को आगे के लिये स्थगित कर सकता है, परन्तु यदि वह जानबूझ कर अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी अनुपस्थिति में उस विषय पर विचार कर सकता है।"

तो इसमें आपकी आज्ञा से इस सदन को पूरा अधिकार है कि इस विषय के महत्व को देखते हुये हम इस प्रश्न पर विचार स्थगित कर सकते हैं और इस बीच में माननीय गेंदा सिंह जो चार माननीय मंत्री हैं उनको सूचना दे सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री हमको आश्वासन दे रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर बार-बार आकर्षित किया है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर देर में मिल रहा है, फिर भी क्या सरकार ने उधर ध्यान दिया। आज जो प्रांत में हालत है, आज जो प्रान्त की समस्याएं हैं उनके समाधान का जो हमारे पास रास्ता है वह केवल अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का है, परन्तु उनका भी उत्तर हमें समय से नहीं मिलता है। ऐसी दशा में इससे बड़ा कंटेम्प्ट क्या हो सकता है? यह केवल ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है बल्कि कंटम्प्ट आफ हाउस है। इस बारे में मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि आप और यह सारा सदन माननीय गेंदा सिंह जी को अनुमति दे कि वे माननीय मंत्रियों को नोटिस दें और उसके पश्चात् इस विषय पर इस सदन में विचार हो या जहां आप उचित समझें वहां विचार हो।

राजा बीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वादविवाद सवालों के संबंध में भवन में हो रहा है, उसके सिलसिले में मैं भी अपने विचार भवन के सामने

रखना चाहता हूं। हम जो प्रश्न करते हैं उनका पता नहीं किस कारण उत्तर समय से नहीं मिलता है। बहुत से कारण हमारे मित्र ने बतलाये। जो हम अल्प सूचित तारांकित प्रश्न करते हैं उनका उत्तर जितना समय नियम में दिया हुआ है उतने समय में नहीं मिलता है, और क्या कारण है इसका कोई संतोषजनक उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस भवन के सदस्यों की संख्या अब अधिक हो गयी है। ४३० के क़रीब मेम्बर हैं। पहले जहां तक मैं समझता हूं २२८ सदस्य थे। अब इस भवन के सदस्यों की संख्या दूने के क़रीब हो गयी है फिर भी सचिवालय में या दफ्तरों में शायद उतने ही लोग काम करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आपके दफ्तरों में बहुत समय लग जाता है जिससे हम लोगों को समय के अन्दर उत्तर नहीं मिलता है। स्टाफ के बारे में एक दफ़ा सरकार को सचेत भी किया गया था, परन्तु सरकार की ओर से यह उत्तर दे दिया गया कि हम तहक़ीक़ात कर रहे हैं और जो स्टाफ है उसको सरकार ठीक समझती है। उदाहरण के रूप में मैं सरकार को आप के द्वारा बतला देना चाहता हूं कि श्री झारखंडे राय जी ने एक सवाल १८ सितम्बर, १९५२ को भेजा था और उसका ७ अक्तूबर, १९५२ को उत्तर मिला कि आपका प्रश्न अल्प सूचित नहीं माना जायगा और वह तारांकित हो गया। तो मैं आपके ज़रिये से यह बतलाना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही स्टेज में इतनी देर होती है। तो श्रीमन्, इसका भी ध्यान सरकार को होना चाहिये कि जो आफिस में देरी होती है और जो इतना अधिक कार्य हो गया है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे ज़िले के जो अहम मसले हैं वे भवन के सामने आयें तो यह तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से यह हो कि इधर तो नियमों का पालन किया जाय और साथ साथ साधन इकट्ठे किये जायं। जब साधन नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि आप नियमों का उतना पालन नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर गौर किया जाय।

श्री गेंदा सिंह--केवल एक बात मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। मैं नियम ५८ के सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल तो संयुक्त मंत्रिमंडल है और संयुक्त जिम्मेदारी उसकी है। इसलिये यह चार्ज भी मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसा समझते हुये आप कोई निश्चय करें कि संयुक्त मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी प्रश्नों का उत्तर देने की भी है। दूसरी बात यह कि यह सब कुछ समझते हुये भी यदि आपकी यह व्यवस्था है कि हमको नोटिस देना ही चाहिये तो फिर मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे आप अवसर दें कि मैं नोटिस दूं।

अध्यक्ष--जो प्रश्न गेंदा सिंह जी ने उठाया उसके ऊपर वादविवाद थोड़ा बहुत हो गया और मैं समझता हूं कि सब पक्षों का विचार सदन के सामने आ चुका है। मैंने इस प्रश्न को सदन के सामने लाने की इस तरह से इजाजत नहीं दी थी कि विशेषाधिकार भंग हुआ है बल्कि नियम २२३ के अनुसार मैंने यह उचित समझा कि इस सदन के सामने यह प्रश्न आ जाय कि प्रश्नों का उत्तर देने में देर होती है, किस कारण से देर होती है, कहां देर होती है, क्या विधान सभा के सचिवालय में, यानी मेरे सचिवालय में कुछ देर हो जाती है या सरकारी सचिवालय में होती है। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि विधान सभा सचिवालय में एक गलती हो गयी कि उन्होंने निश्चित समय मुक़र्रर नहीं किया कि फलां दिन इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुक़र्रर किया गया है, यह सूचना सरकार को नहीं दी गयी। एक बात तो यह है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि सदन की यह इच्छा है कि नियमों का पालन हो और शीघ्र से शीघ्र उत्तर दिये जायं और सरकार की तरफ से भी अभी आश्वासन दिया गया कि वह इस तरह का प्रयत्न करेंगे। दो एक बातें जो प्रश्नों के बारे में सामने रखी गयीं उनका भी उन्होंने उत्तर दिया कि किस वजह से उसमें देर हुई। जब कि वह कहते हैं कि देरी होना अवश्यम्भावी है, यानी देरी के लिए कोई उनको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिसका स्पष्ट कारण यह यानी कुछ छुट्टियां अगर हो गयीं तो अवश्यम्भावी है कि देरी हो। इस तरह की बात उन्होंने उत्तर में कही और उन्होंने अपना इरादा भी बताया सरकार की तरफ से कि हम

[अध्यक्ष]

हर तरह से कोशिश करेंगे कि अगर कोई शक भी लोगों को रह जाता है कि नियम का पालन सरकार नहीं कर रही है तो वह शक भी न बाक़ी रहे, इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। मैं भी अपने सचिवालय की तरफ से सदन को यह कह देना चाहता हूं और उसके लिए सजग होने के लिए मैंने उसको आगाह कर दिया है कि वह नियम के अनुसार सरकार को एक नियत समय बता दे कि उत्तर देने का इतना समय है। उस बीच में सरकार यह बता दे कि जो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न हैं उनका उत्तर वह दे सकती है या नहीं। केवल यह अधिकार नियम के अनुसार सरकार को ही है कि अल्प सूचित प्रश्न वह स्वीकार करे या न करे। उसमें अगर वह यह जवाब दे देती है कि हम नहीं जवाब दे सकते हैं, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न हम इसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं की जा सकती है। ऐसी अवस्था में हमारे सचिवालय की तरफ से पहले से समय बता दिया जाय तो सहूलियत हो जायगी, हां या न का जवाब दे देने की या जो नियत समय मुक़र्रर होगा उस तारीख को जवाब दिये जाने की।

जहां तक विशेषाधिकार के बारे में श्री गेंदा सिंह जी ने यह कहा है और प्रार्थना की है कि उन्हें मौक़ा दिया जाय कि वह माननीय मंत्रियों को नोटिस दें तो मैंने अभी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं की। उन्हें नोटिस देने का हमेशा अधिकार है मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वह मुझसे इजाजत मांग भी नहीं सकते हैं कि मैं उनको इजाजत दूं कि वह किसी को नोटिस दें। वह हमेशा किसी को भी नोटिस दे सकते हैं जिसके बारे में वह ब्रीच आफ प्रिविलेज समझें। उसका सवाल मैंने पैदा नहीं किया है और न रूलिंग ही दे रहा हूं। ऐसी अवस्था में वह आजाद हैं। जब प्रश्न उठेगा तो मैं फैसला दूंगा कि आया इसमें विशेषाधिकार को भंग किया गया है या नहीं।

एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं और उसकी तरफ माननीय गेंदा सिंह जी को भी खयाल होना चाहिए कि यह अधिकार विशेषाधिकार का जो इस सदन को है वह सर्वमान्य है, गवर्नमेंट को भी मान्य है और गेंदा सिंह जी को भी। वे जानते हैं कि जो अधिकार बृटिश पार्लियामेंट के हैं वे ही इस सदन के हैं। इसीलिए मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का उन्होंने जिक्र किया है। उसके साथ साथ उन्हें सोचना भी है कि क्या केवल किसी रूल के तोड़ने से विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूं कि ६०० वर्ष का इतिहास बृटिश पार्लियामेंट का है। इसके लिए वह ऐसा उदाहरण भी सामने रखेंगे कि जिसमें किसी प्रश्न के उत्तर देने में देर होने से कोई कार्यवाही किसी माननीय मन्त्री के खिलाफ उस पार्लियामेंट में कभी हुई हो। यह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैंने इशारा कर दिया कि मैं चाहता हूं कि दिमाग़ खुला रहे। इस प्रश्न का फैसला करने के पहले मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा हूं और मैंने भी ढूंढने का प्रयत्न किया तो मुझे कोई भी ऐसा हवाला न मिला जिसमें कि प्रश्नों के उत्तर में देर हो जाने की वजह से किसी माननीय मन्त्री के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के लिए चार्ज किया गया हो। ऐसी अवस्था में मैं खुद संकोच में था कि इस तरफ फैसला दूं या उस तरफ दूं। जब वह सवाल उठायें तो ऐसी नज़ीर यदि मौजूद हो तो वह पेश करने की कृपा करें। मैं भी उसे देखने का प्रयत्न करूंगा अगर सवाल उठेगा।

मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अभी एक दृश्य सामने आया और कभी कभी ऐसे दृश्य सामने आते रहते हैं। नियम क्या है सब को मालूम है, लेकिन फिर भी दो मेम्बर एक साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बीच में बोल देता है, इस प्रकार अनेक बार नियम तो भंग हो जाता है। अगर हर एक नियम भंग के प्रश्न को विशेषाधिकार का प्रश्न बना दिया तो मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य की यहां पर इज्जत कायम रहे या न रहे हर एक को विशेषाधिकार की अवहेलना का सामना करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है कि विशेषाधिकार की किस अवस्था में अवहेलना हुई मानी

जाय और इसके लिये इशारा माननीय वित्त मंत्री जी ने किया भी है कि कोई विशेषाधिकार नया कायम नहीं हो सकता है। विशेषाधिकार जो कायम हैं, जो मान लिये गये हैं, वही विशेषाधिकार हैं। कुछ सिद्धांत इसके लिये मौजूद हैं। इसका भी लिहाज रखना चाहिये कि सदन में इसको विशेषाधिकार माना गया है या नहीं। सदन का रवैय, क्या है? इसलिए इसको देखना पड़ता है कि सदन किसी नियम भंग को अवहेलन, मानता है या नहीं या केवल इतना कह कर बात को खत्म कर देता है कि आइन्दा ऐस, माननीय सदस्य न करें। इस तरफ भी ध्यान होना चाहिये।

इन कारणों से मैंने उचित समझा कि पहले आगाह कर दूं। आज तो केवल यह प्रश्न हमें जरूर सुलझाना है जिस से कि प्रश्नों के उत्तरों में देरी न हो। प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में कई जगह से शिकायत मेरे पास आई हैं। यह नहीं कि विरोधी बेंच वालों ने ही शिकायत की है बल्कि और लोगों ने भी शिकायत की हैं। उनकी शिकायत जा है या बेजा इस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यह आश्वासन है या नहीं कि वह जल्द से जल्द जवाब देगी। इस प्रकार का आश्वासन इस सदन को मिल चुका है। और मैं अपनी तरफ से, चूंकि मुझे गलती नजर में आयी ,तो अपने सचिवालय के बारे में सदन को यह आश्वासन दे देना चाहता हूं कि इस तरह की बात आइन्दा नहीं होगी और जल्द से जल्द नियम के अनुसार उत्तर आयेंगे और उसके लिये कोई वक्त मुकर्रर कर देने के नियम का पालन होगा।

इसके बाद यदि कोई प्रश्न माननीय गेंदा सिंह जी उठाना चाहते हैं तो वे उठा सकते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। उस वक्त नियम के अनुसार उसके ऊपर जो मेरा फैसला होगा वह मैं कर दूंगा और आज इस बहस के समय वह बात सदन में आ भी गयी, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आइन्दा माननीय सदस्यों की देरी के सम्बन्ध में निश्चित ही शिकायत कम होंगी अगर बिलकुल ही वह खत्म न हो। अब यह विषय खत्म होता है।

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से जनाब से सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४२ पर)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम १५८ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि "राज्य की संचित निधि से धन के विनियोग की व्यवस्था करने के लिये सम्बद्ध विधेयक के सम्बन्ध में विधान सभा में वही प्रक्रिया लागू होगी जो अन्य विधेयकों के लिये है" फिर मैं ९५ नियम के "ग" को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं उसमें यह है कि "परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के लिये उपलब्ध न कर दी गयी हों और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलब्ध न कर दी गयी हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकता है" इसलिये यह विनियोग विधेयक यहां पर विचार करने के लिये उपस्थित नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष--आप नियम १५९ को देखें उसमें अध्यक्ष को विशेष अधिकार दिया गया है कि वह इजाजत दे सकता है। नियम १५८ में भी उसको अधिकार है कि वह किसी भी प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत दे सकता है। "The Speaker may suspend the operation of any rule for the timely passing of such Bills."

[अध्यक्ष ऐसे विधेयकों को समय के भीतर पारित करने के लिये किसी नियम की क्रिया का निलम्बन कर सकेगा ।]

उसके अनुसार ही मैंने इस प्रस्ताव के पेश करने की इजाजत दे दी है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--इसके मुताल्लिक कोई ज्यादा कहने की इस वक्त जरूरत नहीं है इसलिये कल और परसों जो इस सदन में सप्लीमेंटरी एस्टीमेंट्स पर बहस हुई उनमें से हर एक का जिस कदर रुपया था वही सब इस बिल में लिखा हुआ है और संविधान की रू से जब कोई अनुदान मंजूर किया जाय और उनके मुताल्लिक जो रुपया हो उसको कंसोलिडेटेड फंड से निकालने की इजाजत देने की जरूरत होती है तो इस में वह सब रुपया रखा गया है उन खर्चों के लिये जिन के ऊपर यहां काफी बहस हो चुकी है । इसलिये इस पर कोई मजीद रोशनी पड़ने की अब कोई खास जरूरत भी नहीं है और न मौका है । मैं तजवीज करता हूं कि सदन इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के मकसद को पूरा करने के लिये इस बिल पर विचार करेगा ।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल के जरिये संचित निधि से व्यय करने की जो इजाजत माननीय वित्त मंत्री जी चाहते हैं मैं उसका विरोध करता हूं जैसे कि कल ही हमारी मनोवृत्ति का परिचय सरकार को मिल गया होगा । अभी सुबह समाचार-पत्रों में मैंने देखा तो मालूम हुआ कि कल केवल ९ आइटम्स पर ही वादविवाद हो पाया यद्यपि जब हमारा वाकआउट हुआ तो हम समझते थे कि अब तो एक ही सरकारी पक्ष यहां रह गया है और वह जल्द से जल्द तमाम मदों को विचार कर के पास कर देगा, परन्तु हमारे वाकआउट का जस्टिफिकेशन कितना जबरदस्त होता है कि जिस बात को लेकर वाक आउट हुआ था उस बात को कल की प्रोसीडिंग्ज ही जस्टीफाई (समर्थन) करती हैं। बजट की जितनी मदों पर कल वाद-विवाद हुआ उसमें केवल ६ लाख ७९,१०० रुपये के ही अनुदान इन्क्लूड हो पाये थे। हमारे लिये ऐसी हालत में बड़ी दिक्कत मालूम होती है कि हम किस तरह से सरकार को अधिकार दे दें कि वह संचित निधि में से इतनी बड़ी रकम खर्च करे जब कि हमारे वाकआउट के बाद भी सम्मानित सदस्यों ने सब अनुदानों पर अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं । इस में सब से बड़ी रकम दुर्भिक्ष सहायतार्थ ५० लाख की रखी गई है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि वह रकम कहां खर्च होगी, किस पर खर्च होगी, इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा एक एतराज माननीय वित्त मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि यह रकम इतनी बड़ी होते हुये भी इस काम के लिये कम है और मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं कि वह किस प्रकार खर्च होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें क्योंकि यह दुर्भिक्ष सहायता का विषय बहुत अहम है और जिस तरीके से अब तक दुर्भिक्ष सहायतार्थ जो रकम खर्च की गई है उसमें बहुत अनुचित ढंग से सार्वजनिक कोष का दुरुपयोग हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जब यहां पर बिहार की चर्चा हुई थी कि वहां की सरकार ने १४ करोड़ रुपये की रकम दुर्भिक्ष निवारणार्थ एक साल में खर्च की उस पर कहा था कि यह

गलत बयानी है। मेरे पास विहार के माननीय अर्थ मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह का भाषण प्रस्तुत है। मैं उस में से सदन की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं जिस में स्पष्ट कहा गया है कि लगभग १४ करोड़ रुपया सरकार से जनता के हाथों में दुर्भिक्षग्रस्त लोगों की सहायता में गया है और इस में सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई आदि की सरकार की ओर से योजनायें बनाई गईं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में जो गलतफहमी है कि सरकार दुर्भिक्ष सहायतार्थ ज्यादा रकम खर्च कर रही है वह दूर हो जानी चाहिये। दूसरे प्रान्तों की सरकारें भी हैं जो ज्यादा रकम खर्च कर रही हैं।

अब हमें देखना है जो रकम यहां खर्च हुई उसकी ओर जो रकम खर्च हुई उसमें टैस्ट वर्क्स में जो रुपया मजदूरी में दिया गया वह भी शामिल है। एलान हुआ इस सदन में कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में टैस्ट वर्क्स के मजदूरों को १२ आना मजदूरी दी जायगी, लेकिन दी गई केवल १० आने। मैं पूछना चाहता हूं कि किस जगह पर काम करने वाले को १२ आने दिये गये। हजारों व्यक्ति १०-१० मील से चल कर काम करने आये हैं, मगर उनको रोजाना मजदूरी दिन की दिन नहीं दी गई। इससे उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि वह कई दिन बाद दी जाती थी। शाम को मजदूर १० आना लेकर अपने बाल-बच्चों के पेट पालने के लिये सामग्री जुटाने के लिये आया तो उससे कहा गया कि यहां खांची और खुर्पी नहीं है। तुम वापस जाओ। क्या सरकार इन बातों को बुरा नहीं समझती है? वह तो अपनी पावर में मतिमन्द है।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो गल्ला वितरण के लिये अकालग्रस्त क्षेत्रों में भेजा गया है वह भी समुचित रूप से नहीं बांटा गया है। जो भाव सरकारी तौर से निर्धारित था उससे ऊंचे भाव पर वह जनता को दिया गया। अकालपीड़ित जनता के साथ सरकार की ओर से क्या व्यवहार किया गया है? सरकार की तरफ से अखबारों में काफी चर्चा है कि हवाई जहाज से अकाल क्षेत्रों में अनाज गिराया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा ध्यान से सुनें तभी तो वह कुछ जवाब दे सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित भाव से अधिक भाव पर अकालपीड़ित जनता को गल्ला दिया जाता है। जितना गल्ला भेजा गया उसका ४० फीसदी भी जनता को नहीं मिल पाया है। ५० लाख रुपये की रकम यह सरकार हमसे चाहती है मगर उसका कितना लाभ गरीब को मिलेगा?

फिर बीज का सवाल है। आज जहां अकाल है और फसल मारी गई है वहां सरकार की ओर से बीज वितरण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। बीज नहीं मिल पा रहा है। जनता की पर्चेजिंग पावर (क्रयशक्ति) खत्म हो गई है। फसल बोने का समय आगया है। किसान कहां से बीज पावेगा?

सरकार की ओर से कहा जाता है कि वह तकावी देगी। क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने तकावी में कितना गल्ला बांटा? तकावी में बीज का गल्ला किसको बांटा गया? मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस तरीके से दुर्भिक्ष की सहायता नहीं हो पायेगी।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में टिड्डी और एक अजीब तरीके का कीड़ा है जो फसल को खा रहा है और उस फसल को इस तरीके से बरबाद करता है कि उसमें कुछ सत्त बाकी नहीं रहता। पहिले तो जो दवा उसके लिये खेतों में छिड़की जाती थी वह मुफ्त में मिलती थी लेकिन अब ४-४, ५-५ रुपया एकड़ किसानों से लिया जाता है। सरकार एक ओर तो कहती है कि लोगों की परचेजिंग पावर (क्रयशक्ति) बाकी नहीं रही है दूसरी ओर ५-४ रुपया फी एकड़ किसानों से दवाई छिड़कने का लिया जाता है। मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि एक-दो या चार किसान तो हर इलाके में इस तरह से मिल जायेंगे जो दवा पैसा देकर छिड़कवा लें और सराकार कह सकती है

[श्री राज नारायण]

कि देवरिया और बनारस में इतने किसानों ने दवा खरीदी और अपने खेतों में छिड़कवाई । अगर किसी इलाके में किसी एक किसान ने दवा छिड़कवाई और दूसरे किसान ने अपने खेत में दवा नहीं डलवायी । मान लिया कि पहिले खेत की टिड्डी मर गयी फिर दूसरे खेत की टिड्डी उड़कर उसके खेत में चली गयी तो उसका सारा रुपया नष्ट हो गया । जिन किसानों ने रुपया देकर दवा छिड़कवाया है उनकी सर्वसम्मति से यह राय है कि उनका सब रुपया मारा गया क्योंकि उनके पड़ौसी किसानों ने दवा रुपया देकर नहीं छिड़कवाई । क्या सरकार मिस्लेनियस रुपये से यह खर्चा नहीं कर सकती थी और उन लोगों की सहायता नहीं कर सकती थी ? क्या दुर्भिक्ष बचाने के लिये सरकार की जो योजना है उनसे काम चल सकता है ? जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वह सब अनुचित तरीके से खर्च किया जा रहा है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय यह संकट है । सरकार अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गयी है । उसके ३९० सदस्य यहां विद्यमान हैं उनके बल पर यह निरंकुश हो रही है । उस पर हम इस हालत में अंकुश नहीं लगा सकते । हमारा अंकुश लगाने का तरीका दूसरा है और उस हालत में हम असमर्थ नहीं हैं । अतः कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हुए उन सदस्यों को, जो मंत्री नहीं हैं, उपमंत्री नहीं हैं और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज नहीं हैं, यह कहना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी आज सबसे ज्यादा है । वही इस सरकार को इस सदन में तानाशाही के रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं । वही इस सरकार को इस सदन में और निरंकुश होने से बचा सकते हैं । वही सरकार को इस सदन में मनमाने तरीके अपनाने से बचा सकते हैं । वे जरा गंभीरता के साथ विचार करें ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टेस्टवर्क के लिये सुना गया कि अब वे चल नहीं सकते । क्यों ? क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिल गयी है कि अब अन्न अधिक उत्पन्न होगा, अब फसल अच्छी हो गई है ? किसानों के पास गल्ला आ गया है और किसान वह गल्ला खाकर भूख की ज्वाला को शांत कर सकता है ? मैं पूछना चाहता हूं कि कितना कितना पानी बरसा, कहां कहां धान की फसल कितनी कितनी हुई । उसके बारे में सरकार की ओर से कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये । मैंने जैसा अध्यक्ष महोदय पहिले अर्ज किया कि इन टेस्ट वर्क्स को चलाने में सरकार पार्टीपालिटिक्स से काम ले रही है ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राज नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि यह सरकार जिन तरीकों को अख्तियार कर दुर्भिक्ष को मिटाना चाहती है वे तरीके नाकाफी हैं । उसी के साथ साथ थोड़े में मैंने यह भी अर्ज किया कि सरकार की ओर से दुर्भिक्ष का सामाना करने के लिये जो उपमंत्री और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज पूर्वी जिलों में नियुक्त किये गये थे उन्होंने किस तरीके से क्या काम किया इसकी भी सरकार जरा खोजबीन करे । मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि शोशलिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा और हमारे माननीय सम्मानित सदस्य श्री गेंदा सिंह द्वारा या और अनेक माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर जब भी वहां के अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया गया जब भी वहां पर अन्न के संकट से मरने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया उसका खंडन हुआ सरकारी मंत्रियों की ओर से । देश के मशहूर गांधीवादी नेता श्री कुमारप्पा साहब ने जब वहां की स्थिति के बारे में बयान निकाला तो उसका भी खंडन करने के लिये बहुत शीघ्रता के साथ एक उपमंत्री महोदय दौड़ पड़े । खंडन तो हुआ मगर मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन उप-मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को नियुक्त किया गया था उन्होंने क्या कारनामे

वहां किये, जरा उसका भी वर्णन सदन के सामने आता तो समझा जाता कि यह सरकार दुर्भिक्ष का सामना कैसे कर रही है। क्या हमारे माननीय उपमंत्री महोदय या माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदयों ने, जहां दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है और जहां जनता अकाल के गाल में जा रही है, उन क्षेत्रों में कभी जाने की तकलीफ उठायी या अखबारों में केवल लम्बे-लम्ब बयानात ही निकाले ? मुझे पूरा विश्वाश है और मैं पूरी जानकारी और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सुविधाजनक स्थानों में बैठ कर लम्बे-लम्बे बयान निकाल देना तो दूसरी बात है और उन गरीबों की कुटियों तक पहुंचने के लिये तकलीफ उठाना यह दूसरी बात है जिसे कि हमारे माननीय उपमंत्री महोदयों ने नहीं उठायी। इस सरकार ने एक बहाना पाया है कि जो कुछ भी हालत है वह हालत दैवी प्रकोप की वजह से है। खुदा की मेहरबानी कहिये या ईश्वर की कृपा कहिये आज हमारे मुल्क और सूबे पर नहीं है इसलिये दैवी प्रकोप से अकाल भी पड़ा है। यह सरकार बार बार राम राज्य की चर्चा किया करती है और यह सरकार बार-बार महात्मा गांधी का नाम लिया करती है। आखिर रामराज्य की बात मैं क्या कहूं। "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य काहू नहिं व्यापा" है। रामराज्य के बारे में यह बहुत ही प्रचलित चौपाई है कि रामराज्य में किसी को शारीरिक कष्ट, किसी को मानसिक कष्ट और किसी को दैवी कष्ट नहीं सताता था। आज यह सरकार रामराज्य की चर्चा करते हुए नहीं अघाती। मैं तो कहता हूं कि ऐसी बात पर सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिये। गांधी जी जिनका नाम लेकर यह सरकार जनता को गुमराह करती है और जनता में यह बुद्धिविभ्रम फैलाती है कि कांग्रेस के लोग ही गांधी जी के कार्यक्रम के ठेकेदार हैं मैं आज उनसे कह देना चाहता हूं कि गांधी जी ने फेमिन (अकाल) के बारे में क्या कहा है उसे भी जरा समझने की कोशिश करें। गांधीजी का कहना है—

"It is the fashion to blame nature for famine. Scarcity of rain is by no means a monopoly in India. In other countries, though people welcome rains, they have made themselves fairly independent of rainfall during a season or two. Here Government have used themselves and the public to the idea that famines come when there is shortage of water fall."

[यह प्रथा है कि अकाल के लिए प्रकृति पर आरोप लगाया जाय। वर्षा का अभाव केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, अन्य देशों में भी यद्यपि लोग वर्षा का स्वागत करते है उन्होंने एक या दो मौसमों के लिए अपने लिए यथेष्ट रूप म स्वतंत्र कर लिया है। यहां सरकार ने अपने लिए तथा जनता के लिए इस विचार को अभ्यस्त कर लिया है कि जब वर्षा की कमी हो तो अकाल आ सकता है।]

अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो यह किताब आसानी से उनके लिये सुलभ रहेगी। वे इसको किसी समय पढ़कर अपने दिमाग को खोल सकते हैं, बुद्धि कपाट को खोल सकते हैं।

तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी और दूसरे मन्त्रियों से कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस के सदस्यों का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार को निरंकुश होने से बचावें। उनकी जिम्मेदारी सदन के अन्दर और हमारी जिम्मेदारी इस सदन से बाहर है और उसमें अगर वह हमारी किसी क्रिटिसिज्म की कमी पायेंगे तो हमें कोसेंगे लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि वे हर्गिज इस ऐप्रोप्रियेशन बिल को पास नहीं करेंगे और अगर वह पास कर देंगे तो वह अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जायेंगे और अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि श्रम जहां मिलता है, जहां अथाह श्रम भरा पड़ा है, वहां पर पार्टी पालिटिक्स की वजह से टेस्ट वर्क नहीं चलाया जा रहा है। टेस्ट वर्क के बारे में अभी माननीय मन्त्री जी की सेवा में मैं बनारस जिले के प्लानिंग आफिसर का पत्र पेश कर सकता हूं जिसमें उनसे निवेदन किया गया था वहां की सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कि एक सड़क

[श्री राजनारायण]

को मिलाओ और वहां के लिये मजदूर श्रमिक देने के लिये हम तैयार हैं, यद्यपि १० आना रोज उनके लिये कम है लेकिन १० आने में भी वह काम करने के लिये तैयार हैं और उसकी जिम्मेदारी सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि हमारे ऊपर है। लेकिन उस स्कीम को नहीं लिया गया और ऐसी स्कीम को रखा गया जहां पर श्रम नहीं मिलता है और जहां पर कम मेहनत करके ज्यादा मजदूरी लोग दूसरे कामों से प्राप्त करते हैं। सरकार की गतिविधि यह है और इसी गतिविधि को निरंकुश और अनियंत्रित ढंग से चलाने के लिये यह सरकार चाहती है कि लगभग एक करोड़ की रकम खर्च करने के लिये यह सदन आज फिर उसको दे। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों वे इसके लिये इतनी तकलीफ कर रहे हैं। जब साधारण बजट पास हुआ था उसी वक्त उसी में यह जो बातें हैं ले ली जा सकती थीं। मगर यहां पर तो एक लकीर के फकीर हैं। यह सरकार चाहती ही नहीं है कि किसी तरीके से जनता के हित के कार्य वह कमाये और उसके लिये थोड़े छलांग मार करके पुरानी लकीर को जिसको साम्राज्यवादी शक्ति ने यहां पर प्रतिपादित किया था उस पुरानी लकीर को वह छोड़ें। यही सरकार पुरानी लकीर छोड़ना नहीं चाहती और उस काम को अपने लिये अपमानजनक, लज्जाजनक और अशोभनीय समझती है। मैं समझता हूं कि जब तक यह आदत सरकार की रहेगी और जब तक वह हीनभावग्रस्त रहेगी, जब तक हीनभावग्रस्त यानी इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स से ग्रस्त यह सरकार रहेगी और जब तक उस परिपाटी को, जिसके द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यशाही दो सौ वर्ष तक हिन्दुस्थान की छाती पर कोदों दलती थी, चलाती रहेगी तब तक जन-कल्याण हो नहीं सकता। यह सरकार उसी तरीके से सोचती है कि जब दो सौ वर्ष तक अंग्रेजी सरकार चलती रही तो क्या १०, ५, २० वर्ष तक उसी पुराने तरीके को अख्तियार करके यह सरकार नहीं चल सकती है। इसी भ्रम को सामने रखते हुए पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी परम्पराओं को, प्रतिक्रियावादी तरीकों को चलाने में सरकार आनन्दित हुआ करती है। इसलिये आदरणीय उपाअध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी अपने मस्तिष्क को परिष्कृत करें और अपनी बुद्धि को परतन्त्रता में न डालकर जो जम्हूरियत की आबोहवा पैदा हो गई है उसमें अपने दिमाग को बदलें इसी तरीके से ही वह फैमीन (अकाल) को रोक सकते हैं, भुखमरी को रोग सकते हैं, जनकल्याण कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, चाहे एक-दो नहीं चार-छः, दस-बीस जितने भी सप्लीमेंट्री बजट ले आवें वे जनकल्याण नहीं कर सकते, यह बात उनको साफ हो जानी चाहिए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करूंगा कि यह उनके लिये बहुत ही शान की बात होगी जबकि वह खुद खड़े होकर कहें कि सप्लीमेंट्री बजट को वह नाकाफी समझते हैं और वे दूसरे तरीके से ले आवें। मगर यदि वह यह सोचेंगे कि यह कहीं हुआ है या नहीं या किताबों में खोजने लगेंगे कि कहीं उनके काम का समर्थन दूसरी जगह से हो रहा है या नहीं तब मैं समझता हूं कोई काम नहीं हो सकता और वह मजबूर करेंगे कि इस एप्रोप्रियेशन बिल को आज ही पास कर दिया जाय। चूंकि बहुमत तो उनका है ही। और बहुमत के सामने नत मस्तक होना ही पड़ेगा। इसलिये मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि इस एप्रोप्रियेशन बिल को रिजेक्ट करके यह हाउस आत्मसम्मान जनक कार्य करे और वह इनकार कर दे कि किसी भी मन्त्री या विप के जोर से, दबाव से सदन इस बिल को जो कि गलत तरीके से एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में हमारे सामने पेश हुआ है नहीं पास करता। मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने केवल नौ मदों पर वादविवाद किया और २० में से ग्यारह मदें गिलोटिन हो गयीं वह किस मुंह से, किस दिमाग से, किस अक्ल से इस एप्रोप्रियेशन बिल को पास करेंगे। अगर पास करेंगे तो जनता यह समझेगी कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वे तमाम लोग अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऊपर से डिक्टेशन हो जाता है उसी के अनुसार यह सम्मानित सदस्य काम कर दिया करते हैं। मैं उनकी

बुद्धि को, उनकी जम्हूरियत को, जनतन्त्र प्रणाली को अपील करना चाहता हूं कि जिन मदों पर उन्होंने वाद विवाद नहीं किया है, अपने ख्याल का इजहार नहीं किया है उनको निकालन के लिये तैयार हों और इस एप्रोप्रियेशन बिल को रिजेक्ट करने को तैयार हों। जब ऐसा होगा तभी जाकर जनतन्त्र प्रणाली प्रतिष्ठित हो पायेगी हमारे मुल्क में वरना नहीं हो पायेगी।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर एक आइटम मिसलेनियस का है। उसमें धार्मिकता की भी बात कही गयी है कि धार्मिक केन्द्रों की सुरक्षा की जायेगी। मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बनारस से बढ़कर प्राचीन नगर दुनिया में कौन सा है। अगर पुराने इतिहास के पन्नों का अवलोकन करें तो हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी भी सहमत होंगे कि बनारस सबसे प्राचीन नगर है। बनारस को विश्व का नगर होने का गौरव है। आज बनारस के घाटों की क्या दशा है? क्या मिसलेनियस में बनारस के घाटों के लिये रकम रखी गयी है? या पुराने बजट में रकम रखी गयी है बनारस के घाटों के लिये क्या वह काफी है? क्या बनारस के घाटों के लिये इंजीनियरों को नियुक्त करके जाँच करवायी गयी है? आज माधोदास का धौरहरा धराशायी हो गया है। बूंदी का परकोटा जिसके बारे में कल माननीय सदस्या श्रीमती सज्जन देवी महनौत ने प्रश्न किया था वह भी धराशायी हो गया है। कितने बड़े बड़े मकान धराशायी हो गये हैं। आज बनारस गंगा की धारा घाटों को काट रही है, उनके अन्दर घुसती हुई चली जा रही है। मगर यह सरकार बराबर घाटों को काट रही है, उनके अन्दर घुसती हुई चली जा रही है। मगर यह सरकार बराबर धार्मिक स्थानों की सुरक्षा का ढोल पीटा करती है। जैसे पन्डा होते हैं उसी तरह की पन्डा-गिरी इस सरकार ने अख्तियार कर ली है, चन्दन लगाती है, दक्षिणा लेती है और कहती है कि कल्याण हो जायगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई सप्लीमेंट्री बजट रखना चाहें तो ऐसा बजट रखें जिससे सही मानों में जन-कल्याण हो। आज क्या बनारस विश्व का नगर नहीं है। क्या दुनिया के कोने कोने से लोग बनारस के घाटों की सुन्दरता देखने के लिये नहीं आते हैं? यह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये एक शान की बात होगी अगर वह बनारस का इस तरह से निर्माण करें कि जो लोग वहां आएं वे वहां से इन्सपाइरेशन (प्रेरणा) ले कर जायं। जब एलेक्शन का जमाना आया तो बनारस के घाटों को बनाने और संस्कृति पाठशालाएं खोलने की योजना होती है। लेकिन एलेक्शन जीत जाने पर इस प्रकार की सप्लीमेंट्री बजट लाकर जनता को गुमराह करने का बारजाल रचा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये आज पुनः माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह जो पोथा सप्लीमेंट्री बजट का हमारे सामने रख रहे हैं जिसमें खर्च हुई रकमों की स्वीकृति चाही गयी है, वह बताएं कि क्यों स्वीकृति चाहते हैं। उन्होंने बताया नहीं। इसीलिये अगर दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर जैसा कि इस बजट का नाम कहीं कहीं पूर्वी जिलों की दुर्भिक्ष सहायता का बजट माना गया है, तो हम तो चाहते हैं कि इससे ज्यादा रकम वहां के लिये स्वीकृत हो और उस रकम का खर्च किस तरीके से हो वह तरीका भी बताने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी टेक्निकैलिटीज और नाईसिटीज में जाना छोड़ दें और सदन को यह सूचना दें कि कितना रुपया उपमंत्रियों और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों के जाने में खर्च हुआ है और उन्होंने कितना काम किया है। एक नक्शा और चित्र आना चाहिये। वह नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये बनारस की एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक गरीब मुसलमान था, कई दिनों से भूखा था। वह अपने बाल-बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता था। उसको क्या सूझा, उसको वही सूझा कि वह अपने लड़कों को लेकर आया और उसको आत्म हत्या के रूप में घाट में उतार दिया। वह समाचार अखबारों में भी छपा। शायद माननीय वित्त मन्त्री जी ज्यादा कार्य-भार से जो कानून का जंगल यहां बना हुआ है उसमें फंसे हुए हैं और वह घटना उनकी नजर से न गुजरी हो, लेकिन इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने पढ़ा होगा। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या सरकार चाहती है कि हम भी वही तरीका अख्तियार करें, अपनी तलवार उठायें,

[श्री राजनारायण]

अपनी आत्म हत्या करें, सरकार की आत्महत्या करें और देश को भी चौपट करें? नहीं, मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं चाहती। तो जब सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो सरकार इन तरीकों को क्यों नहीं अख्तयार करती। जब सरकार के सामने यह तरीके भेजे जाते हैं तो वह उनको बाग्जाल में, सुन्दर सुन्दर शब्दों के भुलावे में क्यों गुमराह करना चाहती है? इसका उत्तर सरकार की ओर से मिलना चाहिए।

हम पुनः माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर ६ करोड़ के ऊपर की आबादी है और पूर्वी जिले जो कहे जाते हैं जहां पर करीब २ करोड़ की आबादी है वहां पर बड़ा फाको लेबर पावर भरा पड़ा है। अगर उसका तनिक भी जानकारी वित्त मन्त्री जी करना चाहें तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको कुछ नक्शा बता सकता हूं। वह चले जायं रंगून में, बम्बई में, कलकत्ते में। इन बड़े-बड़े शहरों में देखें कि गोरखपुर, देवरिया जिले से कितने आदमी जाकर वहां पशुओं-सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां बम्बई जैसे बड़े शहरों में जहां पर भारत का वैभव दिखलाई देता है साथ ही वहां पर भारत की दरिद्रता भी दिखलाई पड़ती है। बम्बई शहर में जाकर देखिए वहां पूर्वी जिलों के लोग जाकर रहते हैं। १०-२० फीट लम्बी कोठरी में १०-१० और २०-२० आदमी सोते हैं जिनके दो हाथ के नीचे भैंस का गोबर पड़ा रहता है। वे क्यों वहां जाते हैं? इसलिये जाते हैं कि उनको काम यहां नहीं मिलता है। उनको काम करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सारा अवसर छिन गया है, साधन छिन गये हैं और वह स्थान छिन गये हैं जहां पर लेबर पावर यूटिलाइज की जा सकती है (श्रम शक्ति लगाई जा सकती है)। वह केवल प्रोलेटेरियट हो गये हैं, आंकिचन हो गये हैं। लेबर पावर को खर्च करने का सरकार का क्या तरीका है, वह है पंचवर्षीय योजना। एक पोथा उसका भी आया है। उसका सिस्टेमेटिक तरीके से (क्रम से) अवलोकन तो किया नहीं है, लेकिन जानकारी है। इसमें है बख्शी का तालाब। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बख्शी के तालाब की बड़ी शोहरत है। वहां पर आफिशियल ट्रेनिंग कैम्प खुला हुआ है। वलेडिक्ट्री सेरेमनी (अंतिम समारोह के दिन यह बन्दा भी वहां मौजूद हुआ था, क्या हुआ? माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण हो चुका और वह जब यहां आये तो वहां पर वही नक्शा, वही चित्र, कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े इजलास जो हुए हैं उसमें पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने क्या कहा, कोई दूसरे बड़े नेता क्या कहते हैं, वही तमाम जनता को बिठला कर सुनाया जाता है। जनता कहती है कि अब उसको सुनाने से काम नहीं चलेगा। सुनते-सुनते कान पक गये, थक गये, अब कुछ करने की बात करो। वह बात जनता नहीं पाती, वह इन्स्पायर (प्रेरित) नहीं होती, उसको प्रेरणा नहीं मिलती तब सरकार की ओर से कहा जाता है कि जनता कोआपरेट (सहयोग) नहीं कर रही है, सरकार कैसे काम करे, सरकार कैसे चले। एक बार नहीं, दस बार, बीस बार, चालीस बार यहां पर मन्त्रियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के मुंह से उद्गार निकल चुके हैं कि जनता कोआपरेट नहीं करती है। जनता कैसे कोआपरेट करे, किससे कोआपरेट करे, किसके लिये कोआपरेट करे। यह प्रश्न है? परन्तु इसका जवाब नहीं मिलता है। जनता कहती है कि हमारा कोआपरेशन चाहते हो तो हमें जमीन दो, हम उसमें श्रम शक्ति लगाने के लिये तैयार है, अन्न पैदा करने के लिये तैयार हैं, खेती को बढ़ाने के लिये तैयार हैं। जनता कहती है कि हमें कल-कारखाने दो, हम उसमें मेहनत करके कपड़ा पैदा करने के लिये तैयार है, मशीनें पैदा करने के लिये तैयार हैं। जनता कोआपरेशन के लिये तैयार है, मगर जनता से कोआपरेशन कहां लेती है सरकार। अमरीका के इस बजट में भी बहुत प्रशंसा की गई है। फोर्ड फाउन्डेशन की भी चर्चा है। यह सरकार कहती है कि उसके बहुत शुक्र गुजार हैं कि वह हमारी बहुत मदद कर रही है। उसकी मदद से हम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करेंगे। उसके पूरे डिटेल दे दिये गये हैं कि दो वर्ष तक सारा धन वहां से आयगा, तीसरे वर्ष में आधा सूबे की सरकार और आधा केन्द्र की सरकार देगी, चौथे और पांचवें वर्ष का भी कुछ नक्शा दे दिया गया है मगर मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना और कम्यूनिटी

प्रोजक्ट्स चलाये जा रहे हैं वह तरीका हिन्दोस्तान की गरीबी को मिटाने वाला तरीका नहीं है, अगर हिन्दोस्तान की गरीबी को मिटाना है तो यहां पर जितने विधान सभा के सदस्य आये हैं वे जमीन में जिस तरह से गोबर और खाद मिल जाती है उस तरह से जब अपने को आम जनता में मिला देंगे तब उसमें से जनहित का अन्न प्रस्फुटित होगा और तब जनता की गरीबी और भुखमरी मिटेगी वरना इधर-उधर की सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विनियोग विधेयक को वापस ले लें। यदि उनको सप्लीमेंट्री बजट लाना है तो ऐसा बजट लावें जिससे इस सरकार की सारी खामियाँ दूर हों और ऐसा सुन्दर चित्र निर्माण किया जाय अपने सूबे के अन्दर जिससे सचमुच गरीब जनता को प्रेरणा मिले, गरीब जनता को उत्साह हो, जनता कार्य करने के लिये निकल पड़े, मचल पड़े, चल पड़े। तब तो गरीबी मिट सकती है वरना गरीबी नहीं मिट सकती। यह कम्यूनिटी प्रोजक्टस का काम ही गलत है। डेवलपमेंट की बात कही जाती है। डेवलपमेंट के नाम पर विकास के बजाय पतनोन्मुख होते जाते हैं। कभी-कभी सरकार को बुद्धि विभ्रम हो जाया करता है कि सोशलिस्ट पार्टी की क्या स्कीम है, सोशलिस्ट पार्टी की क्या योजना है। इस चीज को समझने में कभी-कभी सरकार कुछ गलती करती है और कभी-कभी हमारे कुछ मित्र भी जो सरकार के पक्ष में हैं वह इस बुद्धि विभ्रम में पड़ जाया करते हैं कि सोशलिस्टों की स्कीम दुनियाँ में कहीं चालू नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दोस्तान की सारी जमीन लें, अपने सूबे की सारी इन्डस्ट्री को डेवलप करने के मीन्स को देखें तो उनको मालूम होगा कि वह अमरीका का तरीका नहीं हो सकता, रूस का तरीका नहीं हो सकता, वह हिन्दोस्तान का नवीन तरीका होगा और वह तरीका होगा जिसमें अधिक से अधिक लेबर पावर इस्तेमाल हो, जिसमें अधिक से अधिक श्रमिकों का हाथ हो और मुनाफे में उसका शेयर हो। जैसा मैंने निवेदन किया था कि बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि यूज वैल्यू और एक्सचेन्ज वैल्यू क्या है (भोग्यार्थ और विनिमयार्थ) बहुत से लोग गलती कर जाते हैं समझने में कि वैल्यू इज दि क्रिस्टलाइजेशन आफ लेबर पावर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन वाक्यों को समझने में गलती न करें। आज सरपल्स वैल्यू की परिभाषा चेन्ज हो करके रहेगी और वह परिभाषा हो करके रहेगी कि दुनियाँ में जितना धन पैदा होता है वह उन तमाम वर्कर्स पर बट जो काम करते हैं और उनसे एक वर्कर्स के वेज (मजदूरी) का जो फर्क होता है वही जाकर सरपल्स वैल्यू के रूप में आयेगा। जब इस परिभाषा को मानेंगे तब जाकर भव्य भारत का निर्माण होगा, भारत का प्राण यह जो उत्तर प्रदेश है उसका निर्माण होगा वरना इन थोथी और कोरी स्कीमों से निर्माण नहीं होगा। निर्माण वह करना है जिसमें प्राण फूंकने की क्षमता हो। वह चीज निर्माण कर सकती है। बार बार कागज की योजनायें निर्माण नहीं करेंगी और बार बार हमारे माननीय मन्त्रीगण शिकायत करेंगे कि जनता कोआपरेट नहीं करती। क्या करें, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी से, वह हम बतायें कि कौन सा काम करें, सोशलिस्ट पार्टी या जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, जिससे जनता उनसे सहयोग करना लगे। जरा वह बतायें तो। मगर हाँ, अगर वह यह कहेंगे कि दसगुना लगान दो, या यह करेंगे कि ५ रुपया फी एकड़ लगान बढ़ाओ, डेवलपमेंट लेवी और बेटरमेंट लेवी एक रुपया प्रति एकड़ बढ़ाओ तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी स्कीमों में हमारा क्या कोआपरेशन हो सकता है? जनता रत्ती भर भी कोआपरेट करने को तैयार नहीं होगी और जनता की भूख की ज्वाला से वह शक्ति प्रज्वलित होगी जिसमें वह प्रतिक्रियावादी सरकार भस्म हो जायगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अपने मित्र की बातें सुनने का इस सदन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विचारता था कि सदन को उन पर विचार करने का सौभाग्य प्राप्त हो क्योंकि जो बातें मेरे मित्र ने इस सदन के सामने कहीं मेरा निश्चित विश्वास है कि विचार की परिपाटी पर वह नहीं उतर सकेंगी। कहने की परिपाटी पर तो वे बहुत आसानी से उतर आती हैं और जब वे बहुत

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

जोर से कही जाती हैं तो शायद और भी एक नयी आभा उनमें जुड़ जाती है। लेकिन जहाँ तक पर विचार का प्रश्न है, जहाँ गम्भीरता और निश्चित तत्वों को सामने रखकर उन पर विचार करने की बात पैदा होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरे मित्र उसके सम्बन्ध में स्वयं भी किस प्रकार से विचार कर सकेंगे। जहाँ तक कि उनके विचारों का सम्बन्ध है यह सदन तो अर्से से या यदि यह कहूं कि कुछ अर्से से उन विचारों को सुनता चला आता है तो शायद गलती न होगी। लेकिन जहाँ तक कि आज कुछ और नये विचार आ गये और आना ही चाहिए क्योंकि वह केवल समाजवादी दल तो अब रहा नहीं, अब तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एक नयी प्रसूत पार्टी जिसमें कि एक और चीज होगी, ऐसी चीज इस सदन के सामने आयी और इसलिये यदि उनके विचारों में कोई परिवर्तन हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो विचार आज रखे गये हैं यदि उनके सम्बन्ध में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से मेरे मित्र प्रसन्न होना चाहें तो मैं भी उनकी प्रसन्नता में सम्मिलित हूं। मैं विचारता हूं कि शायद वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे चल कर कुछ और नये बनें और सम्भव है कि वह बनते बनते में अन्त में बनते में ही रह जायं ऐसी भी आशा कुछ असंभव आशा नहीं है।

किन्तु जो विचार मेरे मित्रों ने आज सदन के सामने रखे वह सचमुच में कई बार लज्जा का प्रश्न उठा है, शर्म का प्रश्न उठा है, राम राज्य की चर्चा करने वालों में शर्म की यह नई परिपाटी है और भी बहुत सी बातें उन्होंने कहीं। उनमें से जो कुछ भी उन्होंने कहा वो तीन तत्व की बातें सदन के सामने विचारार्थ रखी जा सकती हैं। जहां तक प्रश्न है कि किस प्रकार से सरकार कार्य करती है। इसके संबंध में अगर मेरे मित्र चर्चा न करें तो अच्छा है क्योंकि उनके विचारों से हमारे विचार मिलते नहीं हैं। हम अपने विचारों को लेकर खड़े होते हैं। एक तरह के विचारों को लेकर हम देश का शासन चलाते हैं। आप अगर राजी नहीं होते हैं तो न हों और हम जानते हैं कि आप राजी हो भी नहीं सकेंगे और राजी होंगे भी तो आप कहेंगे नहीं कि हम राजी हैं।

इसलिये वह प्रश्न बहुत पुराना है और इसके संबंध में चर्चा करना अनावश्यक है। लेकिन दूसरी चर्चा मेरे मित्र ने की। इसके संबंध में सदन विचार ले और जो कुछ इसके संबंध में विचारा जा सकता हो वह मेरे मित्रों के सामने रखा जा सके और उनसे कहा जाय कि वह इस संबंध में विचारें तो शायद अनुचित न होगा।

जहां तक पूर्वी जिलों का प्रश्न है वह बहुत पुराना है। आज के समाचार पत्रों से और पूर्व के समाचार पत्रों से ज्ञात है, चाहे श्री कुमारप्पा जी की बात चाहे किसी और की बात हो। एक साहब ने तो यह कहा कि हमारे उपमंत्री उछल पड़े। लेकिन पूर्वी जिलों के प्रश्न को लेकर काफी चर्चा इस सदन ने की और इस सरकार ने काफी कार्य भी किया। उसको मानें या ना मानें, लेकिन मेरे मित्रों ने एक कार्य अवश्य किया कि जो भूख के काल के गाल में जाने के लिये अकाल पीड़ित जनता नित्य प्रति अकाल की छाया के नीचे दबती जाती थी और काल के गाल में चली जाती थी तो उनकी गिनती करने की इन्होंने कोशिश की। इस बात की कोशिश की इस भुखमरी की देवी के समक्ष कितने लोग बलिदान होते हैं। बाहर खड़े होकर उनकी गिनती अवश्य की जाय और यह कहा जाय कि इतने आदमी बलिदान हुये।

हमारे लिये यह गौरव की बात है क्योंकि आपके लिये अगौरव की बात है। जब जब सरकार ने प्रयास करने की कोशिश की तो मैं बहुत बड़े निश्चय के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने सरकार के उस प्रयास को विफल करने की चेष्टा की। हम बहुत बड़े निश्चय के साथ कहते हैं कि जितने आंकड़े सरकार के सामने आये उन सबसे निश्चित है कि उन्होंने इस बात की कोशिश की कि गलत आंकड़े इकट्ठे किये जायं। भूख हड़ताल की गई इसलिये कि सरकार को बदनाम किया जाय इसलिये नहीं कि अकाल को दूर किया जाय, इसलिये नहीं कि भूख से मनुष्यों को बचाया जाय बल्कि इसलिये कि सरकार बदनाम होकर ज्यादा से ज्यादा देश के सामने काला मुंह लेकर खड़ी हो सके और मेरे मित्र हंस सकें।

इस प्रकार के कार्य मेरे मित्रों ने किये। मैं समझता हूं कि किसी भी सभ्य देश में जहां पार्टी का शासन होता है वहां दूसरा दल इस प्रकार के कार्य कभी नहीं किया करता है। जिन शब्दों का प्रयोग मेरे मित्र ने राम राज्य के सिलसिले में किया मैं उनको अपने मित्र के लिये प्रयोग करता हूं। कभी दूसरे किस्म की चर्चा मेरे मित्र ने की। हम लोग इस संबंध में बहुत अर्से से देखते आते हैं और मेरे मित्र बराबर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस दल के दूसरे सदस्य कांग्रेस की डिक्टेटरशिप के कारण उसका साथ देते हैं। मैंने बहुत बार सुना है और सब्र के साथ सहन करने की कोशिश की है। लेकिन आज सचमुच सीमा के बाहर की बात है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र का यह अपना विचार है कि कांग्रेस दल के सारे सदस्य एक इशारे पर कार्य करते हैं। क्यों नहीं वह विचारते कि आखिर हम लोगों के भी आत्म सम्मान हैं। हम भी कुछ विचार लेकर इस सदन में आये हैं। हम लोगों के भी कुछ अपने विचार हैं। हम लोग भी अपने मस्तिष्क से काम करते हैं। हमारे कपाट खोलने की वह बात करते हैं। मैं कहता हूं कि वह स्वयं अपने कपाट खोलें, हममें से प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह इस दल का हो और चाहे वह उस दल का हो, मैं अपनी तरफ से यह बात कहता हूं कि हममें से हर एक आदमी इस सदन में या बाहर किसी के इशारे पर काम नहीं करता। अपने निश्चय के अनुसार अपनी बातें इस सदन के सामने रखते हैं और अपने विचार इस सदन के सम्मुखप्रस्तुत करते हैं। जो कुछ सरकार कार्य करती है उसमें हमारी निष्ठा है और जो कुछ भी सरकार कार्य करती है वह कार्य निश्चयपूर्वक होता है और उसको हम लोग सम्मानपूर्वक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हम यह समझते हैं कि वह कार्य ठीक है। हमारा यह निश्चयपूर्वक विश्वास है कि आज के संसार में हमारे मित्रों की लाल टोपी से काम नहीं चल सकता है। हम लोग बिलकुल दृढ़ता के साथ इस चीज में विश्वास करते हैं कि जिस नीति को आज कांग्रेस सरकार अपना रही है वह नीति इस युद्ध से जर्जरित हुये संसार के लिये शान्ति का सन्देश दे सकती है। हमारी यह धारणा निश्चय के साथ है और इस नीति में हमारी पूर्ण निष्ठा है। हमारे मित्रों की लाल टोपी से आज दुनियां में काम चलने वाला नहीं है। मैं यह बात किसी ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूं मैं तो केवल इस आशय से कहता हूं कि लाल टोपी तो रक्त की पिपासा का एक रूप है और उसी ओर संकेत करती है और हिन्सा का प्रतीक है। मैं यह कहता हूं और निश्चय के साथ कहता हूं कि लाल टोपी हिन्सा में विश्वास करती है। आज संसार में हिन्सा का रूप मौजूद है। आप उसको क्यों नहीं देख लेते कि क्या परिणाम यह लाती है। यह तो उस कैपिटलिज्म को पैदा करती है जिसको स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। जहां पर संसार में निरंकुश शासन सदा के लिये समाप्त हो गये वहां इसी लाल टोपी की देन थी कि जन समुदाय में एक लहर पैदा हुई और उसने ऐसा किया। आज वह उसके लिये एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहते। इस तरह से परिणाम हिन्सा का निकला है। और वह आज आप संसार में देख सकते हैं और वह मौजूद है। लाल टोपी निश्चय पूर्वक इसी चीज में निष्ठा रखती है और उसी सिद्धान्त को लाती है। हम उसको किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं और न मंजूर करेंगे। इसके लिये हमारी उनसे लड़ाई नहीं है हम तो केवल इतनी बात कहते हैं कि आप इस निष्ठा को अपनी लाल टोपी के ऊपर रखिये लेकिन कृपा कर हमसे यह न कहिये कि हमारी निष्ठा बिकी हुई है और हम लोग अपने आत्मसम्मान को सामने रखकर किसी के इशारे पर न नाचा करें, स्वयं अपना कार्य करें। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपना कार्य करते हैं और अपने विचारों के अनुसार ही कार्य करते हैं और निश्चय-पूर्वक और निष्ठापूर्वक उस कार्य को करते हैं। आज यह सरकार जो कार्य कर रही है वही एक ऐसा कार्य जो किया जा सकता है इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। जिससे संसार को शांति का संदेश मिल सके। यदि मेरे मित्र मेरी इन बातों पर ठंडे हृदय से विचार पूर्वक कार्य करेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगे कि जो आज कांग्रेस नीति के अन्तर्गत किया जा रहा है वह ठीक है। हम लोग जो भी हमारे विचार होते हैं उनको सचाई के साथ और निष्ठा के साथ इस हाउस के अन्दर रखते हैं। किसी अवसर पर यह बात जरूर होती है कि जब मैं यह सुनता हूं कि बनारस के घाटों की बात यहां पर आई है तो मैं भी मथुरा के घाटों की बात करूं और हमारे दूसरे मित्र जो हरिद्वार से आते हैं वह भी

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

हरिद्वार की बात करें और फिर जैसा कि हमारे मित्र कहते हैं यहाँ पर घाटों की बात छिड़ जाने पर सदन के समय को और किसी काम में नहीं लगाया जा सकता है। जिस प्रकार की समस्या बनारस की है अन्य स्थानों की समस्या भी इसी प्रकार की है। यहां पर इस हाउस में चाहे हिन्दू सदस्य हो और चाहे मुसलमान सदस्य हो या और कोई हो, जो बनारस की संस्कृति की बात करता हो, मैं समझता हूं कि, वह कोई विवाद नहीं है और न था और न मैं पंडों की बात कहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि उस संस्कृति के नीचे भी बड़ी भारी निष्ठा है। आज सहस्रों यात्री उस प्रदेश में आते हैं और वहां की पवित्र भूमि का रजकण अपने सर पर रखकर अपने को धन्य समझते हैं। मेरा विश्वास है कि बनारस के संबंध में भी इसी प्रकार की निष्ठा इस देश के हिन्दू समाज में आज भी है और सैकड़ों नहीं वरन् सहस्रों यात्री वहां प्रति वर्ष आकर लाखों रुपये की धनराशि लुटाते हैं और दान देते हैं और वहां धर्मशालायें और मन्दिर आदि बनवाते हैं। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि जो देश विदेश से वहां यात्री जाते हैं क्यों नहीं आप उनके इस धन का कोई सदुपयोग करते। मैं मथुरा की बात कहता हूं कि वहां के कुछ सम्मानित सदस्यों और व्यक्तियों ने प्रयास किया कि इस धन का लाभ उठाया जाय और वहां उस दान का लाभ भी उठाया गया और वहां पर बहुत से धर्मस्थान और दूसरे काम उस धन से किये गये और मैं उनकी जानकारी के लिये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मथुरा में उस रुपये से जलाशय जैसे पिथौरा कुंड और सरस्वती कुंड बनाये गये और बहुत से पवित्र स्थल वहां हैं जिन का निर्माण और मरम्मत उस रुपये से कराई गई और वह सब वहां की जनता ने अपने बल से और दान के धन के बल पर किये और कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि यह भी जन सरकार के कर्त्तव्य का प्रश्न है और सरकार ने बनारस को ठीक करने का प्रश्न छोड़ा नहीं है और उसके सामने बनारस और दूसरे तीर्थस्थानों के प्रश्न हैं। बनारस का भी प्रश्न इस सरकार ने इस सदन के सामने रखा था और अगर मैं नहीं भूला हूं तो पिछले बजट के अवसर पर माननीय चरण सिंह जी ने बहुत सी बातें वहां के बारे में बतलाई थीं और उसके लिये धनराशि भी बजट में रखी गई थी। सरकार की जितनी भी सीमित धनराशि है और उसका संचित कोष है उसके द्वारा वह आवश्यक बनारस का कायापलट करना चाहती है, ऐसा मेरा विश्वास है। वह अवश्य चाहती है कि वहां के घाटों की पवित्रता और अपनी संस्कृति के उच्च स्थान की सुरक्षा की जाय। उन्होंने यह भी बताया कि बनारस की गंगा वहां के घाटों को काटती जाती हैं इसका प्रबन्ध भी सरकार करेगी लेकिन मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वह तो बड़े ऊंचे दर्जे के समाजवादी हैं और उनके साथी दूसरे सदस्यों से भी मैं कहूंगा कि यदि वाकई में वह बनारस से दिलचस्पी रखते हैं और उनकी तरफ से इस तरह की तमाम बातें केवल सफेद टोपी पर छींटें देने के लिये नहीं कही जाती हैं और यदि दलगत रूप देकर वह यह बातें नहीं कहते हैं तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वह बनारस में कृपा करके जायं और वहां एक समिति स्थापित करें और वहां जो सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में बड़े बड़े दानी मानी और धनदाता आते हैं उनसे सहयोग लें और यदि वह ऐसा करेंगे तो उनको वहां विशेष धन और मान दोनों मिलेंगे और सम्भव है कि वहां की जो वह शिकायत है वह दूर हो जायगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि उन्होंने बहुत जोर के साथ बड़े गम्भीर गर्जन के साथ कहा कि यदि इस विधेयक में कुछ गरीबों के लिये भी होता तो न मालूम मेरे मित्र क्या करते। मैंने सारे विधेयक को आदि से अन्त तक पढ़ने की कोशिश की। मैंने सोचा कि जरा देखूं कि उसमें सरकार ने अमीरों के लिये क्या क्या किया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सिंचाई के लिये, जल विद्युत के लिये, सामान्य प्रशासन के लिये और कलिक्टरों के व्यय के लिये धनराशि रखी गई है। परन्तु समझ में नहीं आया कि नहर से या सिंचाई से हमारे अमीर मित्र के दिमाग में क्या यह बीज आई कि सरकार धनीमानियों के लिये कुवें खुदवाना चाहती है। मैं तो नहीं जान सका कि इसमें कौन सी रकम ऐसी है जो गरीबों के स्थान पर अमीरों के लिये रखी गई है। उनमें जो गरीबों का दर्द है मैं उसकी कद्र करता हूं। मैं उनसे कहना

चाहता हूं कि इस बिल में कौन सी ऐसी मद है जो गरीब के लिये नहीं है और अमीरों के लिये है। मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना कहूंगा कि यह दल जिसके द्वारा देश का शासन होता है वह किसके लिये क्या करता है। आखिर इस दल ने किस चीज के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया है और इस दल की नीति तो सारा संसार जानता है। यह दल निश्चयरूप से एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जिसमें अमीर और गरीब का फर्क न रहे और पूज्य बापू के शब्दों में यह देश ऐसा बन सके जिसमें यह फर्क सदा के लिये मिटकर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिये समान अवसर मिले। इस प्रकार की सामान्यता या समानता को सामने रखकर यह दल कार्य करता है। तो यदि गरीबों के लिये इस बजट में कुछ नहीं है तो किसके लिये यह सिंचाई की योजना है?

और जो बातें मेरे मित्र ने सदन के सामने रखीं उनमें फोर्ड फाउंडेशन स्कीम, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट तथा सोशलिस्ट आउटलुक इन सब चीजों का जिक्र किया। जहां तक फोर्ड फाउंडेशन और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का सम्बन्ध है, इसमें फोर्ड फाउंडेशन को तो वे सदा से शक की दृष्टि से देखते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि कुछ और भी लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं या जिनको इस बात का संदेह है कि इस स्कीम के पीछे कोई साम्राज्यवादी लिप्सा का हाथ तो नहीं है। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस स्कीम को बहुत सोचकर मंजूर किया है और यह उनका गौरवपूर्ण निश्चय इसी बात पर निर्भर है कि इसमें अमेरिका की ओर से हमारे लिये कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं जिनको हमें स्वीकार करना पड़ा हो। इसके पीछे किसी साम्राज्यवादी लिप्सा का हाथ नहीं है। हमारे यहां जो चीजों की कमी है, भुखमरी है और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये यह योजना है। हमारे यहां जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि की आशंका रहती है और हम रा पानी बेकार चला जाता है उसे काम में लाने की योजना है। जैसा एक अंग्रेज ने कहा था कि पावरटी इज प्लेंटी। तो इस अपनी प्लेंटी से काम लेने के लिये इसे स्वीकार किया गया है। यदि हम इसके लिये कोई बाहरी सहायता स्वीकार करते हैं तो यह कोई बुराई की बात नहीं है। हम इसे समानता के रूप में स्वीकार करते हैं अमेरिका ने कभी हमसे यह नहीं कहा कि इसके एवज में वह हमसे कुछ चाहता है। ऐसी सूरत में इस सहायता को स्वीकार करने में क्या दोष है, वह तो मेरे मित्र ही जान सकते हैं।

अन्त में मैं केवल इन शब्दों से ही समाप्त करने का प्रयास करूंगा कि यदि जो बातें मेरे मित्र ने इस सदन के सामने रखी हैं वे उन्होंने सच्चे हृदय से रक्खी हैं तो हम उनके ऊपर दया करते हैं। हमारा विश्वास है कि वह भूले और भटके हुये हैं। यदि उन्होंने विरोध ही के लिये रखी है तो मेरा निवेदन उनके सामने उपस्थित है और वह इस पर विचार करें।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ६ महीने से विरोधी पक्ष के माननीय नेता जी का भाषण मैं बराबर सुन रहा हूं। मैंने तो आदि से अंत तक जितने भाषण सुने मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल का कोई छात्र कोई एक पाठ कंठ कर ले और हूबहू मास्टर साहब के सामने उसे वैसा का वैसा ही सुना दे उसी तरह से राज नारायण जी ने एक ही बात, एक ही तर्ज से, एक ही ढंग से और एक ही नक्शे से कही और अंत में एक कमजोर की तरह अभिशाप देना, भस्म कर देने की धमकी देना आदि बातें दुहराई और कहा कि सरकार जल जायगी, मर जायगी ऐसी बातें कहने का ही उनका ढंग रहा है, यही उनका तरीका रहा है और वे हमेशा इसी तरीके से चलते हैं। मैंने बीसियों तकरीरें उनकी सुनीं और मैंने बहुत कोशिश की उनको समझने की उसमें कोई लाभ की बात दिख जाय, कोई नया सिद्धान्त दिख जाय लेकिन मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ी जिससे कुछ प्रकाश पड़ता। वह बातें तो मिलती नहीं हैं, केवल कटु कटु शब्दों का प्रयोग जिनमें गालियों और अभिशाप का प्रयोग होता है, देखने को मिलती हैं। यही नहीं कि उनकी बातों में केवल गालियाँ और अभिशाप की बातें ही मिलती हों उनमें गैर जिम्मेदारी की बातें भी बहुत ज्यादा रहती हैं। प्रमाण के लिये मैं अपने जिले की बात लेता हूं। उन्होंने मिर्जापुर के कौन इलाके का जिक्र किया और उसके बारे में बड़ी गैर जिम्मेदारी की बातें कहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय व्रज-भूषण मिश्र ने विरोधी दल के नेता के लिये "गैर जिम्मेदार" शब्द का प्रयोग किया है। यह अनपार्लियामेंटरी है। उनको यह वापिस लेना चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र--मैंने जो शब्द कहे हैं वे बड़े नाप तौल कर और समझबूझ कर कहे हैं। इस चीज को मैं बेउनवानी कहता हूं और मैं इस आधार पर कहता हूं कि मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सेशन के दिनों में लखनऊ रहता हूं और सेशन समाप्त होते ही मैं उस क्षेत्र में जाता हूं जहाँ भुखमरी ७ महीनों से नंगा नाच नाच रही है। मैं उसके कोने कोने को जानता हूं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कभी उस क्षेत्र में गये हैं, क्या उन्होंने कभी उन लोगों के लिये जिनके लिये वे यहाँ को कोडाइलटिअर्स बहाया करते हैं कोई सामूहिक प्रयत्न किया? मेरा दावा है कि वे कोई भी बात वहाँ के बारे में नहीं बता सकते। वे जहाँ रहते हैं वहाँ से वह इलाका १५० मील दूर है और वहाँ तक जाने में उनको पच्चीसों नदियाँ पार करनी पड़ेंगी ऐसे जंगलों से उनको गुजरना पड़ेगा जो उन्होंने कभी देखे भी न होंगे, सैकड़ों नालों को पार करना पड़ेगा तब कहीं वे उस स्थान तक पहुंच पायेंगे। और यहाँ पर आप उनके लिये क्रोकोडाइलटिअर्स बहाते हैं और नारे बुलंद करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं वे अभी तक वहाँ क्यों नहीं गये, उनके बीच क्यों नहीं गये, जिनके प्रति आप यहाँ हमदर्दी दिखा रहे हैं। क्या आपने वहाँ के आदमियों को भूख से बचाने के लिये कोई प्रयत्न किया? फिर क्यों यहाँ आप उनके लिये बनावटी आँसू बहा रहे हैं? आप इतनी दूर रहते हैं उनके बीच में क्यों नहीं गये? आपने उनके लिये कोई संगठित प्रयत्न तो नहीं किया, उनके लिये अन्न का संचय नहीं किया किन्तु अब विधान सभा में बैठकर आप गालियाँ देते हैं, क्रोकोडाइल टीअर्स बहाते हैं। जनता उनको क्या जानती है तो जो उनके पास रिप्रेजेन्टेशन या दरख्वास्त भेजती। वह क्या बात है उसकी पोल मैं खोलता हूं। वहाँ एक गल्ले का व्यापारी है। उस व्यापारी को ब्लैक मार्केटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने पकड़वाया, पुलिस के हवाले किया और उस पर मुकद्दमा चलवाया। उसका भाई काँग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को बदनाम करने के लिये लखनऊ आया। वह मेरे पास भी आया था और मुझसे कहता था कि मैं राज नारायण जी के पास भी गया था। उसने मुझको भी एक रिपोर्ट दी थी और उसकी एक कापी उसने राज नारायण जी को भी दी होगी। वह अपने भाई की बदनामी को छिपाने के लिये और काँग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को बदनाम करने के लिये कोई औजार चाहता था। बदक़िस्मती से उसको लाल टोपी का औजार मिल गया। जिम्मेदार आदमी का तो यह फर्ज है कि जब वह कोई बात कहे और यह जिम्मेदार आदमियों से कहे तो अच्छी प्रकार से सोच विचार कर कहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इस एप्रोप्रिएशन बिल से क्या सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य ने किसी घटना का जिक्र किया था उसका उत्तर वे दे रहे हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--तो मैं कह रहा था कि एक जिम्मेदार आदमी का, फर्ज है कि एक जिम्मेदार मजलिस में अगर कोई बात कहनी हो तो पहले सौ मर्तबा सोच कर तब कहना चाहिये। एक लड़का आता है और वह उनको कोई चीज देकर चला जाता है। और उसे आप तो उड़ाते हैं। क्या वहाँ की जनता उनको जानती है, क्या वहाँ की जनता ने कभी उनकी सूरत भी देखी है, और क्या वहाँ की जनता ने राज नारायण जी को कभी रिप्रेजेंटेशन भी दिया है? अगर उन्हें कुछ कहना भी होगा तो वे मुझसे कहेंगे चूंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं और मैं बराबर उनके बीच में रहता हूं, मैं हफ्ते में एक मर्तबा उनके बीच अवश्य पहुंचता हूं, मैं वहाँ पर ६०-६० मील पैदल चलता हूं, रात दिन नदी नालों को पार करते हुए उनके पास पहुंचता हूं। तो वे मुझ अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो क्या श्री राज नारायण जी को देंगे जिनकी सूरत भी

उन्होंने कभी नहीं देखी है ? तो मैं कह रहा हूं कि आपने जिस रिपोर्ट का उद्धरण किया वह निहायत गैर जिम्मेदारी का उद्धरण है । वह एक मिनट के लिये भी विश्वास करने की चीज नहीं है । वह बदनियती से भरी हुई है ।

अभी जब मैं दशहरे की छुट्टी में वहाँ गया था तो मैंने जाकर देखा कि उस आदमी ने रिपोर्ट में जितनी बातें कही थीं वे सब बातें गलत निकलीं । जिन बातों का उद्धरण उन्होंने किया वे निहायत गैर जिम्मेदारी की हैं । मैं कोई गूढ राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं आपकी सारी बातें इसी तरह की थोथी, गैर जिम्मेदारी से भरी हुई और गलत होती हैं । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे तो ज्यादा मौका ही नहीं मिला नहीं तो सरकार ने जितनी भलाई की है उसके लिये उसे मैं बधाई देना चाहता हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि इस सरकार की मेहनत से, उसके उद्यम से सचमुच हजारों आदमी कोन क्षेत्र के भूखों मरने से बच गये । वहाँ बड़ी भीषण अवस्था थी । जिस समय हवाई जहाज से वहाँ गल्ला गिराया गया, उस बरसात के समय, जब कि नदियाँ भरी हुई थीं और वहाँ तक किसी का पहुंचना ही मुश्किल था वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर आज तक सड़कें नहीं बनी हैं और वहाँ तक पहुंचने का कोई साधन ही नहीं है, वहाँ का हवाई अड्डा भी कच्चा है जिसकी वजह से वहाँ हवाई जहाज नहीं उतर सकता था इसलिये जब ५ हजार मन गल्ला वहाँ पर हवाई जहाज से गिराया गया तो वही हालत हो गयी जैसे "सूखत धान परा जनु पानी" । कच्ची जमीन होने की वजह से हवाई जहाज उतर नहीं सकता था । पहुंचने पर वहाँ पर हजारों आदमी गल्ले के लिये जमा हो गये और उस गल्ले से उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की । मैंने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि सरकार का एक मन पर १० रु० पेट्रोल का खर्चा पड़ा है हवाई जहाज से गल्ला भेजने में । तो जिस सरकार ने वहाँ की जनता के जीवन की रक्षा के लिये इतना खर्चा उठाया, इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, उस सरकार को बधाई देने के बजाय इस तरह से कोसने पर हमें उनकी बुद्धि पर तरस आती है । इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता । वहाँ के काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने रात रात भर जाग जाग कर वहाँ के लोगों को नाना प्रकार की सहायता पहुंचायी । यहाँ से बैठे बिठाये असेम्बली के भीतर से कह देना कि सरकार नालायक है, वाहियात है, यह कुछ नहीं कर रही है बिलकुल आसान बात है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक बात उन्होंने रट रखी है जिसको वे बार बार दुहराते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि उनकी कोई बात भी सुनने का आप एक क्षण भी विचार न करें ।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मिर्जापुर के राबर्ट्स गंज के कोन क्षेत्र के प्रतिनिधि महोदय यह फरमा रहे थे कि कोई ब्लैक मार्केट करने वाला व्यापारी उनके पास भी गया और वही राज नारायण के पास भी आया । तो मैं आपके जरिये से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं और उन प्रतिनिधि महोदय को बताना चाहता हूं कि ब्लैक माकट करने वाले राज नारायण के पास नहीं पहुंचते ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--मैंने यह नहीं कहा कि ब्लैक मार्केटियर गया था बल्कि यह कहा है कि ब्लैक मार्केटियर का भाई उनके पास गया था ।

श्री राजनारायण--मेरे पास न तो ब्लैक मार्केटियर आया और न उसका भाई और ब्लैक मार्केटियर राजनारायण के पास नहीं आ सकता और न उसका भाई ही । अगर वह (प्रतिनिधि महोदय) उनके पास पहुंचा हो तो वह उनके लिये मुबारक । हमारे पास काशी विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्रों का दल श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन लेकर वहां पर गया हुआ था और वह डेपुटेशन वहां से लौटकर आया । उस डेपुटेशन ने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर मैंने इस सदन को सूचित किया । दूसरी बात मैं यह बताऊं कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि राज नारायण शायद उस क्षेत्र में कभी गये नहीं । लेकिन आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र में जितनी बार गया हूं उसके लिये कोई छिपी हुई बात नहीं है । (बहुत सी आवाजें) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में शांति होना चाहिए, नहीं तो अशान्ति तो हम लोग भी पैदा कर सकते हैं लेकिन हम टिट फार टैट नहीं करना चाहते,

[श्री राज नारायण]

लेकिन भाषा का प्रयोग हम भी करना जानते हैं। मैं उस क्षेत्र में इतनी बार गया हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं। सन् १९४२ ई० में पैदल उन क्षेत्रों में दौड़ा हूं जब वहां के प्रतिनिधि महोदय जेल में सोते थे।

उपाध्यक्ष---इतना लम्बा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता।

श्री राजनारायण---हर एक आदमी का अपना तरीका होता है एक्सप्लेनेशन देने का और वही मैं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष---नहीं, मैं आपको काफी मौका दे चुका हूं।

श्री राजनारायण---मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं उस क्षेत्र में गया या नहीं उसके लिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि १९४२ के जमाने में राबर्ट्सगंज के कोने कोने को छान कर हम यहां बैठे हुए हैं और इसके बारे में अगर वे कुछ विशेष जानना चाहें तो वे जाकर रिपोर्ट पढ़ें अमरी साहब की। इसमें वे सब कुछ पायेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई इस बात की, आज इस सदन में कुछ गरमागरमी हुई। मैं यह सोच रहा था कि सदन के माननीय सदस्य आज इस बजट पर बहस कर रहे हैं, या कहीं बाजार की गलियों में कांग्रेस का प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य ने इस सदन को बाजार की गलियों से उपमा देकर सदन का अपमान किया है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और पार्लियामेंट के नियमों के विरुद्ध है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं इस सदन को बाजार की गलियों में क्यों गिनने लगा, यह तो वे लोग गिन रहे हैं। मैं इस सदन की इज्जत करता हूं, मैं इस सदन का सदस्य हूं और इसको बाजार की गली कहना अपना अपमान समझता हूं लेकिन वही लोग इसको बाजार की गली बनाये हुए हैं। मालूम पड़ता है कि बजट पर भाषण हो रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य गालियों की बौछार कर रहे हैं और नालायक हैं वगैरह कहते हैं, तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब तालियां बजती हैं और जब हम खड़े होते हैं, तब शोर मचता है। जब ये बोल रहे थे तब हम चुप बैठे सुन रहे थे। माननीय व्रज बिहारी मिश्र जी ने मैं उनका नाम भूल गया, मिर्जापुर के माननीय सदस्य थे। मुझे इस बात की खुशी है कि वह एक दिन बोले तो। हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने उन्हें कुछ कहने का मौका दिया। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं इस सदन में जवाब देने लगूंगा तो मेरे लिये बहुत ही मुश्किल हो जायेगी। मैं तो जानता हूं, मैं बड़ी बड़ी महफिलों का निकाला हुआ हूं। मैं तो जानता हूं लोगों को कैसे डील किया जाता है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत सी महफिलों का निकाला हुआ हूं, लेकिन हमारे माननीय सदस्य बहुत सी पार्टियों से निकाले हुए हैं।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजट के ऊपर नहीं बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बजट पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह सब बजट पर ही बोल रहे थे। उसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि लोगों की यह आदत हो गयी है कि बजट को तो देखते नहीं हैं, बजट की बातों पर विचार तो करते नहीं और यहां शुरू कर देते हैं कि मैंने मिर्जापुर में कभी कार्य नहीं किया या कोई दूसरी बात करने लगते हैं। मुझे माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य का लम्बा चौड़ा भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने लाल टोपी की चर्चा की और उन्होंने हमारे माननीय नेता से यह पूछा कि उन्होंने इस प्रान्त के लिये क्या किया। मैं उनको आपके जरिये से बताना चाहता हूं कि हमने इस प्रान्त के सोने वालों को जगा दिया, जो लोग पूर्वी जिलों

के अन्दर भूखों मर रहे थे उनके लिये इस सदन में जो माननीय सदस्य हैं, जो माननीय मन्त्रीगण हैं, जो हुकूमत है उनको सोते से उठाया, उनसे कहा कि जाओ पूर्वी जिलों के अन्दर जहां लोग भूखों मर रहे हैं। इसका श्रेय आज विरोधी दल को है और आज हमने इस प्रान्त के पूर्वी जिलों में करोड़ों लाखों रुपया भेजवाया। माननीय परिपूर्णानन्द जी की तरह हम लोग नहीं हैं जिन्होंने कह दिया कि हमारे इलाकों में पांच सेर का चावल बिकता है। माननीय रावत ने गोरखपुर में कह दिया कि माननीय कुमारप्पा जी वहां की बोली नहीं बोल सकते। मैं माननीय रावत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पूर्वी जिलों की बोली बोल सकते हैं? मैं मानता हूं कि माननीय कुमारप्पा जी उतनी अच्छी तरह से हिन्दुस्तानी न बोल सकते हों। लेकिन जिन्होंने महात्मा गांधी के चरणों में शिक्षा पाई उसके लिये माननीय जगन प्रसाद रावत यह कहने की हिम्मत करते हैं कि वह बोली नहीं जानते और सारी गलत बातें उन्होंने कह दी हैं। जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ।

फिर माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी कहते हैं कि हमने क्या किया। हमने जी हुजूरी नहीं की। हम दरबारी नहीं हैं। इस सदन को बधाई देते हैं। क्या बधाई देते हैं? कौन सा तीर मार दिया आपने? एक चीज इस प्रान्त के लिये सोची थी, मिरजापुर में एक सीमेंट फैक्ट्री वर्षों से बनने जा रही है। अभी तक उसका नामोनिशान नहीं है। फिर हमारे माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कह दिया कि वहां पर हमने क्या किया और हमारी हुकूमत और हम काम कर रहे हैं। जिस हुकूमत में हजारों लाखों आदमी मर रहे हैं, जो हुकूमत डींगे मारती है कि वह गरीबों की भलाई करने वाली है, उस हुकूमत में गोरखपुर में हजारों नहीं तो सैकड़ों आदमी मर गये। उसको किसने इनकार किया?

आज शर्म नहीं आती है इस हुकूमत को। आज हुकूमत को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हुकूमत से अपने आपको बिलकुल छुट्टी दे देनी चाहिए और दूसरों को हुकूमत दे देनी चाहिए। आप डींग मारते हैं? हमें दुख हुआ है? यह जरूर कहते हैं कि कुछ आदमी मरे। इनकार करने में डर किस बात का? अंग्रेजों ने भी कबूल किया था जब पुराना अकाल बंगाल में पड़ा। उन्होंने मन्जूर किया कि आदमी मरे लेकिन २० लाख मरे, ३० लाख मरे इस पर झगड़ा था। हमारे प्रान्त के लोग क्या कहते हैं? हमारी हुकूमत क्या कहती है? वह कहती है कि नहीं साहब भूख से नहीं मरे, लेकिन भूख की कमजोरी हुई उससे मरे। उनको तो तब विश्वास हो जब कोई ईश्वर ही आकर, कोई देवता ही आकर बताये जो कि उसको उठा ले गया हो, कि यह भूख से मरा था। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जितने मरे सब भूख से मरे और उसको इनकार करना? शर्म नहीं आती इस हुकूमत को। फिर कहते हैं कि हमारी हुकूमत बड़ी है, उसका काला मुंह नहीं है। किसी प्रान्त में आपने सुना कि लोग भूख से मरे। मद्रास में भी पं० जवाहरलाल जी गये, यहां तो मन्त्रियों की बाढ़ लग गयी, पूर्वी जिलों में। और अगर कोई सच्ची खबर देता है तो उसको डराया जाता है, भय दिखाया जाता है, और जोर डाला जाता है कि अपना बयान वापस कर लो। और फिर सदन में कहते हैं कि जनता की गरीबी तो यही लोग समझ सकते हैं। हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। कहते हैं कि "प्रजा सोशलिस्ट पार्टी" हो गयी है अब तो वह सोशलिस्ट पार्टी नहीं रही "प्रजा" हो गयी है "प्रजा"। भूल गये वह दिन कि मुस्लिम लीग का साथ कांग्रेस ने किया, उसके साथ समझौता किया, मद्रास का म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ने के लिये, वह मुस्लिम लीग जो रिएक्शनरी कहलाई जाती थी?

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य प्रस्तुत विषय से बहुत कुछ दूर जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उन्होंने जो कहा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---इस सदन में बजट पर विवाद हो रहा है, न कि सोशलिज्म और उसके खिलाफ कांग्रेस का जो उसूल है उस पर। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को अपना भाषण बजट के सम्बन्ध में देना चाहिए।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। तो यह कहा गया कि यह पार्टी "सोशलिस्ट" नहीं रही "प्रजा" हो गयी है।

श्री रामनाथ तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जितनी बातें कहते हैं वह असत्य और अनर्गल कहते हैं। बिलकुल असत्य आपने कहा कि सरकार को दूर जाना चाहिए। सरकार की निन्दा की है। लेकिन जो काम सरकार ने पूर्वी जिलों में किया है . . .।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह जितना बोलना चाहें बोल लें। दो दिन तक इस बिल को चलायें मुझे कोई एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विषय पर ही चलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं अभी विषय पर ही आता हूं। एक बात और रह गयी है जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कितनी खराब है कि उसने ऐसा समझौता कर लिया। मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य को बतलाना चाहता हूं कि हमारे दल के जितने लोग बैठे हैं उसमें ६५ फीसदी ऐसे हैं जो फांसी के तख्ते से लौट कर आये हैं इस देश की आजादी की लड़ाई में। और जब उधर देखते हैं तो वहां ऐसे बहुत से मिलेंगे जो जेल के अन्दर भी नहीं गये, सिर्फ जेल विजिटर होकर गये होंगे और हमसे डींग मारते हैं। जनता की भलाई की बात करते हैं। स्वराज्य की लड़ाई में हमने सबसे बड़ा हिस्सा लिया। हम स्वराज्य की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहे। कोई रिएक्शनरी होता, कोई प्रतिक्रियावादी होता तो उसके लिये कोई बात कही जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी हमेशा अग्रसर रही है, इस आजादी के लड़ाई में, उसके लिये कहना कि "प्रजा-सोशलिस्ट" हो गये, यह उचित नहीं है। वह तो लाल टोपी और सफेद टोपी वाली बात भी बोल गये। बताऊं परिभाषा फिर सफेद टोपी की। मैं नहीं चाहता इसकी चर्चा हर वक्त सदन के अन्दर करना, लेकिन जब यहां इधर उधर की बातें होने लगती हैं तो उनका जवाब देना ही पड़ता है। इस समय मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन फिर अगर कुछ कहा जायगा तो मैं उसका जवाब देने की चेष्टा करूंगा। जब मैंने कल सबेरे अखबार पढ़ा और माननीय वित्त मन्त्री जी का जिस तरह से भाषण उसमें आया है उसको देखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं अपने उस भाषण में कोई गलती तो नहीं कर गया जो मैंने इस सदन के सामने दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने उसमें कहा कि साहब लोग तो जानते नहीं हैं, इस बात का उनको पता नहीं है कि जो सड़कों का काम होता है वह बरसात के बाद शुरू होता है, १५ अक्तूबर से शुरू होता है। जनता में जो इम्प्रेशन उस अखबार की स्पीच का हुआ है वह यह है कि हम लोग शायद इस सिलसिले में जानते नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह कहा था कि १५ अक्तूबर से काम शुरू होता है। १५ अक्तूबर से मतलब क्या होता है वह जरा बतला दें। क्या १५ तारीख को सड़कों का नामकरण होता है, या उस दिन कोई एस्टिमेट बनता है, या उस दिन कोई सरकारी आफिसर वहां जाते हैं या उस दिन सड़कों का काम शुरू होता है, या उस दिन टेन्डर लिये जाते हैं? इनमें से कौन सी बात १५ अक्तूबर से शुरू होती है, यह मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। हमारे यहां की सड़कें जो पहाड़ों पर हैं वे मंजूर हो चुकी हैं। उनके लिये लाखों रुपया मंजूर हो चुका है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उनका टेन्डर काल नहीं हुआ है। एक महीना टेन्डर काल होने में लगता है। उसके बाद एक महीना उसके मंजूर होने में लगता है। आज ८ तारीख अक्तूबर की चली गयी है और आज भी अगर यहां से हुक्म दिया जाये कि वहां की सड़कों के टेन्डर काल किये जायं तो ८ नवम्बर तक टेंडर आयेंगे। उसके बाद एक महीना उनके मंजूर होने में और दूसरी चीजों में चला जायगा और फिर उसके एक महीने के बाद काम शुरू होगा।

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी तरह १५ अक्तूबर से सड़कों पर काम हुआ करता है। इसी लिये मैंने उस दिन कहा था कि जो रुपया यहाँ पर पेश हो वह खर्च होना चाहिए उसे रोकना नहीं चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर फर्क क्या रह जायगा। आज ४३१ सदस्य इस सदन के हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत में कुछ तब्दीली हो, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बदलाव हो, जो चीज हम यहाँ से पास करें वह पूरी हो। ऐसा हम चाहते हैं। यह सरकार आज हमसे बहुत सी चीजें माँगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का मुझे कुछ आज अवसर मिल गया है। जो बहुत सी बातें हम कल नहीं बोल सके उसको आज हम इस बिल के सम्बन्ध में कहेंगे। आज ही इस सदन के सामने ब्रीच आफ प्रिवेलेज का सवाल आया।

उपाध्यक्ष--इस पर काफी वादविवाद हो चुका है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--सरकार की जिम्मेदारी बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष--जो बातें एस्टीमेट्स से ताल्लुक रखती हैं उनको ही आप कह सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ऐसी बात नहीं है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय सवालों की बात कह रहा हूं। कुछ ऐसा हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि शार्ट नोटिस क्वेश्चंस का तीन दिन के अन्दर जवाब मिल जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विषय पर काफी वादविवाद हो चुका है। जो कुछ इस सदन में हो चुका है उसकी पुनरावृत्ति करने की मैं माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने यह देखा कि इस प्रान्त में बहुत से ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में काम करने वाले लोगों को स्पेशल एलाउन्सेज और आनरेरियम दिया जाता है। इस प्रान्त में एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको बजट विभाग कहते हैं। बजट के लिये एक अलग विभाग बना हुआ है। जब बजट बनता है तब उसमें कुछ आदमी मुकर्रर किये जाते हैं। फिर भी जो लोग बजट बनाते हैं उनको एक एक महीने की तनख्वाह आनरेरियम में दी जाती है और बजट बनाने के बाद वे साल भर बेकार बैठे रहते हैं। जब ऐसी बातें हम किसी और विभाग के लिये कहते हैं तब वह कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। आज हमारे यहाँ जहाँ तक प्रश्नों के जवाब का सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक कारण यह है कि इस हुकूमत में हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को आदमी नहीं दिये हैं। हम सवाल देते हैं, हम अगर आपको दिखायें तो हमारे जुलाई के सवाल अभी तक नहीं आये हैं। इसका एक कारण यह है कि इस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले नहीं हैं, उनकी कमी है, जिसकी वजह से हमारे सवालों में इतनी देर होती है। जब इस हुकुमत से कहा जाता है कि यहाँ आदमी बढ़ाये जायं तो वह कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। यह बात मैं केवल विरोधी दल के फायदे के लिये नहीं सभी माननीय सदस्यों के फायदे के लिये कह रहा हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम सवालों से ही अपने विचारों को जगट कर देते हैं। इसलिये सवालों के भेजने के लिये और स्टाफ रखने के लिये कुछ रुपया . . .

उपाध्यक्ष--यह सप्लीमेंट्री बजट सवालों के लिये तो कुछ रुपया रखने के लिये नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--रखना चाहिए। मैं तो राय दे रहा हूं कि रखना चाहिए। तो मैं आपके जरिये हुकूमत को एक सुझाव दे रहा हूं कि आगे से जब सप्लीमेंट्री बजट लाये तो जो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिये प्रबन्ध करें। यही कहने के लिये माननीय उपाध्यक्ष, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं।

इसके अलावा मैं और भी बातें सुना करता हूं और कौंसिल वगैरह में भी बहुत से माननीय सदस्य यह कहा करते हैं कि भुखमरी का सवाल आया तो सोशिलस्ट लोग उसको एक्सप्लायट करने लगते हैं। मैं आज हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हम तो इसका फायदा नहीं

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उठाते हैं और न उठाना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ही फायदा उठा लीजिये हमें जरूरत ही न पड़े कि हम लोगों के पास जायं और यह कहें कि लोग भूखों मर रहे हैं। यह तो पूर्वी जिलों की बात है। मैं पहले भी आगाह कर चुका हूं और फिर अब आगाह करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आ रहा हूं यह बिलकुल बार्डर पर है। वहाँ के जो भोटिया लोग हैं, जो तिब्बत से तिजारत करते थे, आज तिब्बत में कम्यूनिस्ट गवर्नमेंट हो जाने से हमारे प्रदेश के वे तिजारती लोग वहाँ जाकर तिजारत नहीं कर सकते। आज उनका एक जरिया जो रोजी का था, वह तिब्बत से तिजारत करने का था और वह भी बन्द हो गया। उनके पास जमीन नहीं है और जो थोड़ी बहुत जमीन है भी, उसमें सिंचाई नहीं हो सकती। अगर हमारी हुकूमत न चेती और यह सोचे कि अरे, एक कोने में ये लोग पड़े हुए हैं, क्या जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे यहाँ आग लग जायगी। उस समय बुझाने से कुछ नहीं होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्योर। वहाँ काम लगाइए, वहाँ लोगों को रोजी दीजिए ताकि लोग काम में लगे रहें। अगर उनके पास काम नहीं होगा तो वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। यही कहने के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूं।

आज इस सप्लीमेन्ट्री बजट में बहुत सी और भी बातें भी हैं। जो यहाँ का गाँधी मेमोरियल अस्पताल है उसके लिये भी कुछ रुपया इसमें माँगा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने बजट के समय पहले कहा था कि इस मेडिकल कालेज के जो प्रोफेसर हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दीजिए। मैं इस बात पर अब भी स्टैन्ड करता हूं कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए। वे लोग ऐसे ऐसे नुस्खे लिखते हैं, जो सिर्फ वहीं बन सकते हैं, जहाँ से उनका तय होता है, उनको कुछ कमीशन मिलता है। उसके बाद हमारे इस प्रान्त में एक हाल ही में नयी बात पैदा हुई जो कि सर्जन माथुर साहब के सिलसिले में है। मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे हमारी सबकी आँखें खुल गयीं। यह हालत तो लखनऊ के अस्पताल की है, जो कि यहाँ पर है। अगर आप हमारे जिलों के अस्पतालों में जायं, गावों के अस्पतालों में जायं तो वहाँ की हालत और भी खराब है। आप इसमें देखेंगे कि ६०० रुपया एक अस्पताल की साल भर की दवाई के लिये रखा गया है। ६०० रुपये सालाना की दवाई से किस तरह से कोई अस्पताल चला सकता है। जो डाक्टर डाक्टरी जानता होगा तो वह इन अस्पतालों में जाकर डाक्टरी भूल जाता है। वह अगर किसी तरह से लोगों का इलाज करता भी है तो उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, तो वह बाजार से लेना पड़ता है। जनता समझती है कि डाक्टर अच्छी तरह से इलाज नहीं करता है और इसने ही कुछ गड़बड़ी कर दी है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अस्पतालों का सवाल है तो जब खास लखनऊ में अस्पतालों की यह हालत है तो और जगहों की क्या हालत हो सकती है? इसका अन्दाजा माननीय सदस्य स्वयं लगा सकते हैं, और वह जानते भी हैं कि वहाँ क्या हो रहा है?

मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिस भी चीज का फैसला करें तो उस पर डटे रहें। अगर वह फैसला ठीक है तो उस पर डटे रहें, बदलें नहीं चाहे कितना ही प्रेशर क्यों न पड़े। हमें खुशी है कि हमारी हुकूमत ने कम से कम इस मामले में बहुत सख्ती रखी है। इसका असर यह हुआ कि आज डाक्टर लोग महसूस करते हैं और उनको मालूम हो गया है कि अगर वह गलती करेंगे तो हुकूमत उनको कभी भी छोड़ेगी नहीं। चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, इस वक्त जो कार्यवाही हुकूमत ने की है, उसका बहुत असर हुआ है। मैं चाहता था कि उस पर सदन की राय भी प्रगट हो जाय और लोगों को मौका मिले और इस तरह से प्रान्त के जो और अस्पताल हैं, वह भी ठीक हो जायं। मैं समझता हूं कि मेरा कुछ कहना सदन में ही नहीं, बाहर भी लोगों को मालूम हो जायगा।

अब रही कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की बात । जहाँ तक माननीय लक्ष्मीरमण जी ने हमारे विरोध की बात कही तो वह गलत समझे । हम तो सिद्धांतः इसके खिलाफ हैं कि बाहर से कोई मदद न ली जाय, लेकिन जहाँ तक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का सवाल है, वह हमारे प्रान्त भर में ६ जगह हुआ है। हमारे जिले में भी एक हुआ है जिसका उद्घाटन करने हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी गये थे। हम लोग इसी गरज से और इसी इरादे से वहाँ गये थे कि कहीं हमारे यहाँ की जनता का खयाल यह न रहे कि हम लोग सहयोग दे रहे हैं या नहीं। इसलिये वहाँ पर मैं और कौंसिल के सदस्य श्री राजाराम शास्त्री जी गये थे और हम लोगों के इस कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में भाषण भी हुए थे। हम दोनों बोले और माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा बाबा राघवदास जी भी बोले थे। हम लोगों ने कहा था कि यह रुपया हमारे यहाँ बाहर से आ रहा है और हमारे यहाँ के कामों पर खर्च हो रहा है। इसलिये हमारा और जनता का फर्ज है कि सब मिलकर इस रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ायें। हमने इसलिये कहा कि दुनिया को यह न बतलायें कि हम लोग जो भलाई के काम करते हैं, सोशलिस्ट उनके खिलाफ करते हैं, ऐसा इम्प्रेशन जनता को देना गलत है। हम इसलिये वहाँ नहीं गये कि हम सरकार की खुशामद करने लगे, बल्कि इसलिये गए कि अगर रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं होता है तो हमारे प्रांत को रुपया मिलना मुश्किल हो जायगा। जिस नजर से आज कम्यूनिटी प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं, और उसका प्रदर्शन यह हुआ कि यह किसी सरकार के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि हमारी जनता के हैं। अगर इसी उद्देश्य से इस काम को सब जगह किया गया, तो सब जगह पर सबका सहयोग मिलेगा और देश की तरक्की होगी। इसलिये रमण जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह कैपिटल बना लें किसी एक शब्द का उनको शोभा नहीं देता है, बल्कि हमारी असलियत पर जाना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कारनामे देखना चाहिये। अगर हम गोरखपुर में बैठ जायं, तो उनको कौन बतलाएगा कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत से हमारे भाई क्लोजर मूव कर देते हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि इसको ज्यादा मत चलाओ क्योंकि क्लोजर बड़ी खराब बीमारी है। इस बीमारी से डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर सब पैदा हो जाते हैं। इसलिये हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी जगहों पर बैठे रहें क्योंकि हम पुकार करने ही यहां पर आये हैं। हमारे यहां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो रुपया वहां पर खर्च हो रहा है वह ठीक तरह से खर्च किया जाय। अगर हम कहीं पर यह देखेंगे, कि सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे और हिम्मत के साथ करेंगे। यह नहीं करेंगे कि यहां सदन में आकर कह दें कि हम मिनिस्टर साहब को बधाई देते हैं, और वहां पर कुछ भी न करें। इसलिये जहां तक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का संबंध है, उसकी मैंने सफाई यह आपके सामने कर दी। यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट उस पवित्र दिन शुरू किया गया है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिन था। वहां पर महात्मा गान्धी का नाम अवश्य था लेकिन वहां पर महात्मा गांधी की आत्मा नहीं थी। मैं यह चाहता हूं कि वह दिन आये जिस दिन हम लोग सब मिलकर ईमानदारी के साथ अपने देश के लिये रचनात्मक कार्य में लग जायं और उस समय किसी टोपी का ख्याल न रखा जाय कि यह सफेद टोपी है, और यह लाल टोपी है। चाहे सदन के अन्दर हम लोग आपस में विरोध करें, लेकिन बाहर जाकर देश के लिये मिलकर काम करें। लेकिन हमारे कांग्रेसी एम० एल० ए० तो यह समझते हैं कि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं और हम सब इस काम को चला लेंगे और किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। वह तो किसी की मदद की जरूरत ही नहीं समझते हैं और न किसी की बात मानते हैं क्योंकि वह यह समझते हैं कि वह बहुमत में हैं।

दूसरी बात यह है कि जब हमारी बात इस हाउस के अन्दर ही नहीं मानी जाती है तो हम यह कैसे उम्मीद करें कि बाहर हमारी बात मानी जायगी। हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात मानिये और हम यह बात ईमानदारी के साथ आपको कहते हैं कि जितने भलाई के काम होंगे, जिनसे देश का भला होता होगा, हम सब में आपके साथ रहने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह हम नहीं कर सकते जैसा कि १२-१३ आदमियों ने किया कि गोरखपुर के बारे में स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिया कि गोरखपुर में कोई आदमी नहीं मरा।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इस तरह की बात हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे दिल के अन्दर भी देशप्रेम है और देशभिक्त है, लेकिन आपके अन्दर बनावटी देशभक्ति है, और हमारे अन्दर असलियत है। आचार्य जी ने हमारी लाल टोपी को खूनी कहा। तो कम से कम आपको जरूर डरना चाहिये कि यह टोपी खूनी है कहीं आपका खून न कर दे। इस वास्ते हमारी बात को आप सुनें और मानें और हम तो इस वजह से भी यहां पर अपनी लाल टोपी इस्तेमाल करते हैं ताकि बाहर के लोगों को मालूम हो जाय कि सोशलिस्ट बोल रहा है, और दूसरा तो नहीं है। इसलिये मैं लक्ष्मी-रमण जी से कहूंगा कि आगे आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बात यहां पर कही जाय वह सोचविचार के बाद कही जाय। आपने यहां तक कह डाला कि शिष्टता नहीं है, और कुछ नहीं है। इस तरह की हिन्दी बोली कि कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिये मुझे हुकूमत की बातें जानकर दुख होता है, कि इस प्रकार की लोग बात क्यों करते हैं। हमारे पहाड़ी प्रदेश पर पिछली दफा ओले गिरे। हमने सरकार से सवाल पूछे कि सरकार क्या कर रही है तो जवाब दिया गया कि वहां पर टेस्ट वर्क शुरू हो गया है। मुझे बाद में यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वहां पर कोई भी काम टेस्ट वर्क का शुरू नहीं किया गया है और न आज तक कोई कागज उन्होंने दिया है। मैंने फिर सवाल किया तो उसका जवाब दिया गया कि आपके जाते जाते वहां पर टेस्ट वर्क शुरू हो जायगा। आज अक्तूबर का महीना आ गया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। जो नीचे के अफसर ने लिख दिया तो सरकार उसको आंख बन्द करके मान लेती है। मैं सरकार की नियत पर दोष नहीं देता और मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपने कर्मचारियों की देखरेख करे और उन्हीं के कहने पर विश्वास न कर ले। वह तो अब भी पुराने ही तरीके से हुकूमत चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आजतक चलाई जाती थी, आज तो आप देश के उत्थान के लिये यहां आ कर बैठे हैं, अब आप उन पर विश्वास न कीजिये और जनता के प्रतिनिधि भी जो कहें उस पर भी जरा ध्यान कर लिया करें ताकि आप का ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाय।

कहा जाता है कि हमारे प्रान्त में अन्न की कमी है और अधिक अन्न पैदा करो, काग़जी घोड़े दौड़ाये जाते हैं, नतीजा कुछ नहीं होता। हमारे तराई भावर के इलाके में लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और सरकार ने एक कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट खोला है और उसने वहां की तमाम जमीन रिजर्व कर ली है। मालूम नहीं क्यों उस जमीन को पोलिटिकल सफरर्स को दे दिया जाता है और हजारों भूमिहीन किसान हैं, उनको क्यों नहीं उठा दिया जाता है। सैकड़ों ट्रेक्टरों को आज जंग लग रही है, और वह किसी काम में नहीं आ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भूमिहीन किसान जमीन के लिये तरस रहे हैं, बेचारे हरिजन हजारों ऐसे हैं, जिनके पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है, तो उस जमीन के देने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन आज जमीन किसके पास है, जमीन मेजर जनरल चिमनी के पास है, वह नौकरी भी करते हैं मिलिटरी की और चार चार पांच-पांच सौ व हजार एकड़ जमीन उनके नाम पड़ी है। पयागपुर का बड़ा भारी फार्म है और लखनऊ के पास ही बड़ बड़े फार्म हैं, एक तरफ तो बड़े ताल्लुकेदारों की जमींदारी खत्म हुई और दूसरी तरफ वह बड़े बड़े फार्मों पर आज कब्जा किये बैठे हैं। हजारों पढ़े लिखे नौजवान निकल रहे हैं जो चाहते हैं कि वह जाकर जमीन पर खेती करें और अन्न उपजाने का यत्न करें लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। मैं आप से कहता हूं कि आप को रियेलिटी पर चलना चाहिये। और ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख कर हर काम को चालना चाहिये। अन्न उपजाओ योजना में ११ करोड़ रुपया प्रान्त में खर्च हुआ लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? कुछ नहीं। मैं आज भी हुकूमत से कहता हूं कि यह जो भूमिहीन किसान हैं, यह अब जागृत हो गये हैं और वह अपने हकूक को समझ रहे हैं, और कहीं जल्द ही वह दिन न आ जाय कि वह सारे भूमिहीन किसान तराई की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लें। फिर उस दिन आप कहने लगेंगे कि यह सब सोशलिस्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं और वायलेन्स करते हैं। सरकार को इस बात को मानना चाहिये कि भूखा क्या नहीं करता। आज बेकारी बढ़ रही है, अन्न खाने के लिये नहीं है और जमीन बेकार पड़ी हुई है, जो कमाई जा सकती है। इसलिये मैं सरकार

से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज पर सीरियसली विचार करे और सोचे कि आया हम अपने प्रदेश में किस तरह से अन्न अधिक उत्पन्न कर सकते हैं।

मुझे वैसे कहने को तो बहुत सी बातें थीं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय को शायद परेशानी हो रही है कि वह क्या कहता चला जा रहा है लेकिन हमें कल की सारी कसर आज ही तो निकालना है क्योंकि कल तो हमें कुछ कहने को मिला नहीं। मैं यह भी कहना चाहता था कि जो विशाल बहुमत की बात सदन के सामने की जा रही है, मैं कहूंगा कि यह विशाल बहुमत जनता से भी पूछ लिया करे कि जिसने यहां पर उसके ऊपर यह बोझ रखा है, उसकी क्या राय है। यह न समझें कि हमारा बहुमत है तो अन्त में सब हमारा है। आप इस भ्रम में न रहिये और जरा होशियार हो जाइये, मैं आप को आज चेतावनी देता हूं। जब हमारे यहां चुनाव हुआ वहां जरा बाद में हुआ था यहां तो जनवरी में हो गया था और पहाड़ में बाद में फरवरी में हुआ था ...।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--चुनाव के प्रश्न पर माननीय सदस्य अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि आज के विषय में यह असंगत है।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य आज बिल की जो मदें हैं उन्हीं पर अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अब मैं असेम्बली के चुनाव की चर्चा नहीं करूंगा। मैं चुनाव के तरीकों पर जा रहा हूं। किस तरह से म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव लड़े जा रहे हैं। उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं और उनका नाका खींचना चाहता हूं। ये चुनाव क्यों नहीं किये जा रहे हैं, और देर क्यों की जा रही है? जब हमारे यहां चुनाव हुआ था उस समय हुकूमत नहीं बनी थी लेकिन कांग्रेस का बहुमत हो गया था। उस समय जनता से यह कहा गया था कि कांग्रेस की हुकूमत है, अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो मर जाओगे। यह एक पर्चा है जो कांग्रेस की तरफ से बांटा गया था, इसमें लिखा है कि हमारे इलाके की भलाई और कल्याण अब सिर्फ कांग्रेसी उम्मीदवार द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल कांग्रेस का है। वह इस हुकूमत से आपकी और हमारी दिक्कतों को वहां तक पहुंचा सकते हैं और इसमें अनुकूल कार्यवाही करा सकते हैं। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप अपना बहुमूल्य मत दो बैलों की जोड़ी वाले बक्से में डालें। इसलिये मैंने चुनाव का जिक्र किया कि यह २ लाख रुपया हमसे चुनाव के लिये मांगा जा रहा है।

श्री अतहर हुसैन खवाजा (जिला सहारनपुर)--मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि अभी मेरे लायक दोस्त ने जो पर्चा पढ़ा है, क्या यह सर्टीफाइड कापी है किसी चीज की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इसी पर्चे की बिना पर तो वोट मिले हैं। इसमें वह लिखते हैं कि आपको यह जानकर हर्ष होगा कि माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त बरेली से निर्वाचित हो चुके हैं और हमारे प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत हो चुका है जिसकी वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने जा रही है। मैदानी इलाकों ने कांग्रेस को अपना कर अपना मस्तक उजला करके श्रेय हासिल किया है। हमारा जिला खासतौर पर पाली हमेशा से प्रगतिशील रहा है और सदैव कांग्रेस के साथ रहा है। हमें पूरी आशा है कि आप इस अवसर पर प्रतिक्रियावादी, हम प्रतिक्रियावादी हैं और ये प्रक्रियावादी हैं, को वोट न देकर कांग्रेसवाले को ही वोट दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से ऐसे ही पर्चे छपेंगे, कि आज हमारी हुकूमत कांग्रेस की है, वोट दो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिये लाखों रुपया हमसे मांगा जा रहा है, इसलिये मैंने इसका जिक्र किया। अगर माननीय वित्त मंत्री चाहेंगे तो मैं इस पर्चे को उन्हें दे दूंगा और अच्छा हो यदि वे अपने लोगों को कह दें कि हुकूमत का नाम इसमें न रखा जाता तो अच्छा होता।

कुछ उद्योगों की बात की गई, कुटीर उद्योगों की बात। आज महात्मा जी नहीं हैं, लेकिन बातें कुटीर उद्योग की बहुत सी की जाती हैं।

श्री रामनाथ तिवारी--जो आपने पर्चा दिखाया है, वह हो सकता है कि आपने ही हुकूमत की तरफ से छपवा लिया हो। यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें से और कुछ पढ़ूं। इसके अन्दर प्रेस का नाम है और दो बैलों की तस्वीर भी है। आप देखते हैं? हम इसे छपवा नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग की बातें की गईं लेकिन कार्यरूप में कुछ नहीं। कोई कुटीर उद्योग धंधे हमारे प्रान्त में नहीं हैं। आज तक जो खद्दर का चलन था, वह भी बहुत कम हो गया है। खद्दर महंगा पड़ता है और सूती बाजारू कपड़ा बहुत सस्ता पड़ता है और लोग खद्दर के बजाय सूती कपड़ा पहिनते हैं। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये क्या किया है। महात्माजी की जो भावना थी, वह वैसी की वैसी ही रह गयी। वह खद्दर जिसके नाम पर हमने देश की आजादी हासिल की, जिसको लेकर हमने देश में इतना बड़ा संगठन पैदा किया, आज उस खद्दर को कौन पहनता है? आज उस खद्दर को वही लोग पहनते हैं जो दिन भर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और शाम को डेढ़ अंगुल की सफेद टोपी पहनते हैं। और भी सब उद्योग धंधों की यही हालत है लेकिन मैंने खास तौर से खद्दर की बात इसलिये की कि यह एक ऐसी चीज रही है जिसके बल पर हमने भारत में संगठन खड़ा किया था। जब उसी की ऐसी हालत है तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि और नये उद्योगों की क्या हालत होगी।

माननीय विभव जी को चमड़े के काम की बाबत अधिक वाकफियत है क्योंकि वे आगरा में रहते हैं। वहां के बहुत से चमड़े के काम करने वाले बेकार पड़े हुए हैं। उनको काम दिलाने के लिये कोई काम नहीं किया गया। दूसरा गुड़ का उद्योग है तथा और भी जितने उद्योग हैं, आपने उनमें से किसी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। न तो छोटे उद्योगों को ही प्रोत्साहन दिया गया और न बड़े उद्योगों को ही। मिर्जापुर में एक सीमेंट फैक्टरी चलने वाली थी वह अभी तक नहीं चल पायी है। इसलिये मैं केवल गवर्नमेंट से इस संबंध में यह कहूंगा कि वह कुटीर उद्योग धंधों की ओर भी ध्यान दे।

जहां तक सड़कों की बात है, उनके बारे में पहिले भी कहा गया और आज भी बहुत कहा गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन बातों का उल्लेख किया मैं पूछना चाहता हूं कि वे कब बनने वाली हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें।

दुर्भिक्ष की बात हमारे नेता जी ने काफी कह दी। जो कुछ उन्होंने कहा है वही काफी है। लोग कहते हैं कि हम तो कैपिटल बना लेते हैं। हम इस दुर्भिक्ष को कैपिटल नहीं बनाना चाहते। पूर्वी जिलों में इस ५० लाख रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। ११ जिले हैं उनमें बड़े-बड़े कार्य आपको करने हैं। आपको गरीबी को दूर करना है। मैं समझता हूं उसके लिये ५० लाख रुपया बहुत कम है। आप ऋण लीजिये, कर्ज लीजिये और इसकी तरक्की कीजिय और इस इलाके को खुशहाल बनाइये। आप ५ रुपया लेवी की कहते हैं। वे तो १० रुपया लेवी देने को तैयार हो सकते हैं। खैर इस समय लेवी की बात तो है नहीं। जब वह आयेगी तब हम बतायेंगे। इसके अतिरिक्त मैं तो यह कहूंगा कि जहां दुर्भिक्ष होने वाला है, वहां के लिये अभी से आपको प्रयत्न करना चाहिये जिससे वहां दुर्भिक्ष पैदा ही न हो। आपको वहां के लिये जरूर कुछ व्यय करना चाहिये।

बनारस के घाटों की बात तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं कि अब सदन का ज्यादा वक्त लेना ठीक न होगा। बोल तो मैं और भी सकता हूं लेकिन बहुत से लोग शायद यह कहेंगे कि यह इसलिये बोल रहा है कि समय नष्ट हो जाय। समय तो नष्ट रमण जी ने किया। मैं तो बजट पर बोला लेकिन वे घाटों पर बोलते रहे। बजट पर वे बिलकुल न बोले क्योंकि वहां तो उनको डर था कि कहीं टिप न लग जाय इसलिये इधर उधर की बातें कीं और बजट पर न बोले और

इस वजह से कि वित्त मंत्री जी खुश हो जायं उन्होंने राज नारायण जी को ४ बातें सुनाना ही उचित समझा।

वे यह नहीं समझते हैं कि श्री राज नारायण जी के पास भी एक बड़ा दल बैठा हुआ है। तो हमारे नेता के लिये यह शोभा भी नहीं देता। मैं तो अपने नेता से प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसे लोगों का जवाब भी न दिया करें। इस सदन के लिये हम काफी हैं। हम उनका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्योंकि मैं चाहता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रश्न पर प्रकाश डालें। और लोग भी इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनको भी मौका मिले। मैं काफी कह चुका हूं। अगर मेरे कहने से सरकार की समझ में कुछ आ जाय तो मैं दूसरी मर्तबा दो तीन घंटे बोलूंगा ताकि हमारी सरकार दुरुस्त हो जाय। यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, श्रीमान् हमारे इस विधान सभा भवन और हम सदस्यों की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के द्योतक हैं, रक्षक हैं। आज इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में, वाद विवाद के दौरान में जो दृश्य यहां पर उपस्थित हो गया था, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, मैं श्रीमान् से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे न हमारी शोभा बढ़ती है, न किसी सदस्य की शोभा बढ़ती है। बाहर के जो लोग भी इस दृश्य को देख रहे होंगे वे न जाने कौन सी भावना लेकर यहां से जायेंगे। कांग्रेस बुरी हो सकती है, कांग्रेस सरकार बुरी हो सकती है लेकिन "चुल्लू भर पानी में डूब मरना" ऐसे वाक्य का प्रयोग करने से, मैं समझता हूं कि इस सभा भवन की शोभा नहीं होती है।

श्रीमन्, बहुत सी बातें सप्लीमेंट्री बजट के सिलसिले में कही जातीं, अच्छा था लेकिन न जाने कहां से कहां पहुंचकर, समाजवादी दल की बात भी छोड़ कर यहां तक कहा गया कि इस सदन में ऐसे सदस्य लोग भी हैं जो कभी जेलखाने नहीं गये, लेकिन यहां डींग मारते हैं। श्रीमन्, ऐसे सदस्य हो सकते हैं और हैं जो बेचारे किसी कारण से जेल नहीं गये लेकिन उन्होंने जेल जाने वाले राजनैतिक पीड़ित होने का लाभ भी नहीं उठाया है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कहां तो सप्लीमेंटरी डिमांड की बात है कहां उसका सामंजस्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से किया गया। यह कब हुआ ईश्वर जाने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि समाजवादी दल और शेडयूल्डकास्ट फेडरेशन में जिस तरह का समझौता हुआ उससे अधिक प्रतिक्रियावादी दूसरा नहीं हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि फेमिन रिलीफ की बात कहते कहते ऐसी बातें भी कही गयीं जिससे श्री जगन प्रसाद रावत भी झूठे हो गये और जिन्होंने भी पूर्वी जिलों के बारे में जो कुछ कहा था वे सब झूठ हो गये। उनमें एक मैं भी हूं। परसों की बहस में एक अच्छी बात तो यह हुई कि सफाई हो गयी धान और चावल के मसले की, फिर उस मसले को उठाना कहां तक शिष्टता थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से पूरे पूर्वी जिलों की जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन जैसा कि मैं इस सभा भवन में पहले भी कह चुका हूं और फिर आज भी इस बात को कहना चाहता हूं कि तहसील महराजगंज, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके कोने-कोने में मैं गया हूं, पैदल दौरा किया है, सवारी से भी गया हूं और उसी बिना पर मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। श्रीमन्, पहले भी मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी यह साबित कर दे कि उस क्षेत्र में एक आदमी भी भूख से मरा है तो मैं अपना प्रतिनिधित्व छोड़ दूंगा। मैंने यह चुनौती दी थी लेकिन मुझे खेद है कि आज तक श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने उसका जवाब तक नहीं दिया। चुनौती स्वीकार करने की बात तो दूर रही, मैं माननीय उपाध्याय जी को और अपने सभी मित्रों को दावत देता हूं, निमन्त्रण देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे एक बार चल कर वहां देखें तो कि वहां की परिस्थिति क्या है, कौन लोग मर रहे हैं, कहां पर मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह आपका राजनीतिक खिलवाड़

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

है ? लेकिन इस सभा भवन में इस खिलवाड़ से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर जानकारी हासिल करनी है तो समाजवादी दल के सदस्य हमारे क्षेत्र में चलें। हमारे क्षेत्र में जो समाजवादी दल है उसने भी इस विषय को शुरू में उठाया था लेकिन जब उसने देखा कि के० एम० पी० पी० इसमें पड़ी है और उसने ज्यादा प्रभाव हासिल कर लिया तो उसने उस विषय पर बोलना बन्द कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि डेढ़ दो महीने के भीतर एक भी विज्ञप्ति वहां के समाजवादी दल ने प्रकाशित की है ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जिस दिन से रचना हुई उस दिन से वहां भी के० एम० पी० पी० ने यह नारा बुलन्द करना शुरू कर दिया कि समाजवादी दल से एका न हो। हम नहीं चाहते कि समाजवादी दल में और उनमें कोई प्रतिद्वन्द्विता हो जिससे यहां भूखमरी का प्रश्न बिलकुल गलत ढंग से उठाया जाता रहे। इसका काफी भन्डाफोड़ भी हो चुका है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि समाजवादी दल सरकार की ऐसी भद्दी निन्दा करे ? वे मेरे बड़े सम्मानित मित्र हैं। मैं उनके दल का आदर करता हूं। यह हो सकता है कि हमारे मित्रों से हम कांग्रेस दल वालों का सैद्धान्तिक मतभेद हो सकता है लेकिन मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जो दिन दूर नहीं है जब हम और हमारे समाजवादी मित्र एक साथ मिलकर उस एक शत्रु से लड़ रहे होंगे आज जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा शत्रु है, कम्यूनिस्ट पार्टी। ऐसी अवस्था में मुझे एक बात महाभारत की याद आ जाती है जो युधिष्ठिर ने कही थी। युधिष्ठिर ने कहा था :

ते शतं तू वयं पंच परस्परे तू विवादिने।
परैस्तु विग्रहे प्राप्ते वयं पंचाधिकं शतं।

सौ और पांच भाई तब तक हैं जब तक आपस में मतभेद होता है लेकिन जब तीसरी शक्ति से लड़ना है तो हम मिलकर १०५ हो जायेंगे। कैसा कार्य हो, अमुक योजना ठीक नहीं है, ऐसी बातें हों, हम सब सुनने के लिये तैयार हैं लेकिन मैं समझता हूं कि गलत बातें कहने से दल की मर्यादा घटती है। माननीय राज नारायण जी ने बहुत सी बातें बिहार के बारे में और अकाल पीड़ितों आदि की कही है। उनका उत्तर तो माननीय वित्त मन्त्री ही दे देंगे लेकिन दो तीन दिन से जो बहस हो रही है उसमें मेरा कार्य यह नहीं है जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि कल की गैर हाजिरी की कसर निकालना चाहते हैं, उसकी कसर मैं भी निकालूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदन का समय अधिक ले रहा हूं लेकिन दो तीन बातें आवश्यक हैं और उन्हें निवेदन भी करना चाहता हूं। कोलम्बो प्लान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। समाजवादी दल ने कहा कि बाहर से किसी की सहायता लेकर किसी प्लान को चलाना, विकास करना इससे देश आर्थिक गुलामी में पड़ जायगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यदि यही बात थी तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम बन सकता है इस देश की मौजूद आर्थिक हालत को देखते हुए जिसमें कोई भी अपने देश की उन्नति की योजना हम बना सकते हैं बिना किसी प्रकार की सहायता के ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा देश है, मैं रूस के बारे मे भी निवेदन करूंगा, कि जिसने अपने देश का विकास किया हो बिना बाहरी सहायता के, बिना बाहरी द्रव्य के। और इस बाहरी द्रव्य और सहायता से कभी किसी को आघात पहुंचा हो। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं एकायक स्मरण आगया मुमकिन है दो चार रुपयों की उन आंकड़ों में कमी हो लेकिन मैं निवेदन करना चहाता हूं कि जिस वक्त कि ब्रिटिश सरकार का हमारे भारतवर्ष में उद्योग धंधों में कुल १९० करोड़ रुपया था उस वक्त कैनेडा ऐसे देश में जो हमसे कहीं छोटा है उसमें ४३ खरब रुपया इंगलैन्ड का लगा हुआ था और आज ऐसी शक्ति नहीं ब्रिटेन में कि कनैडा की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। धन इंगलैन्ड का, लेकिन कितनी उन्नति की है कैनेडा ने, कितने साधन कितना विकास कैनेडा का हुआ, यह देखने की बात है। यह आंकड़े पुस्तकों में मुद्रित हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश है जिसने इतना बड़ा विकास किया है लेकिन ३६ सौ लाख डालर आज इंगलैंड का अमेरिका के उद्योग-धंधों में लगा हुआ है। नहीं बिगड़ा अमेरिका का कुछ, अमेरिका का आर्थिक विकास नहीं रुका, उसकी हानि नहीं हुई। कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां

हो सकती हैं जिसमें रशियन एकोनामी अच्छी हो। हमारे माननीय समाजवादी मित्र बार-बार कहते हैं कि अमेरिका या रूस का मुखापेक्षी हमें नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने एक सदस्य से सुना और इसका जिक्र भी आया लेकिन मैं उस सदस्य की सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि हमारी योजनाएं प्रगतिवादी हैं। दूसरी योजनाओं के जरिये से दूसरे अनुभवों के आधार पर और दूसरों की हानियों से सीखने के बाद, उनके गुणावगुण को दूर करने के बाद हमने अपनी उन्नति और विकास की सीमा बनाई है। कहीं ऐसा नहीं है कोई ऐसी इकोनामी नहीं है जिसमें बाहरी सहायता पर कार्य न किया जाता हो। रूस ने जो कुछ विकास किया वह अपने द्रव्य से नहीं किया है। रूस में केवल ईस्टर्न रशन कंट्रीज का ४ अरब रुपया लगा था। १९४५ और ४७ के बीच में करीब ४० अरब रुपया रूस ने खींच लिया है पूर्वी यूरोप से, और अगर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को इन आंकड़ों में संदेह होता हो कि यह आंकड़े कहां से आये हैं तो मैं उनको छपे हुए दिखला सकता हूं।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि अगर राशन इकोनमी हम अपनाते तो हमारे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट अधिक सफल होते। मैं उनको दो चीजें बता देना चाहता हूं। रूस का सबसे अधिक औद्योगिक विकास सन् १९२६ से ३९ के बीच में हुआ। और राशन इकोनामी की स्टेटिस्टिक्स के अनुसार इस बीच में रशा की राष्ट्रीय आमदनी ३० प्रतिशत अधिक बढ़ गयी। सबसे अधिक औद्योगिक विकास जर्मनी का १९३५ और ३९ के बीच में, चार सालों के बीच में हुआ और इसमें जर्मनी की राष्ट्रीय आमदनी ४० प्रतिशत अधिक बढ़ गयी। सबसे अधिक औद्योगिक विकास जापान का सन १९१६ और २६, दस वर्षों के बीच हुआ। और इस बीच में जापान की राष्ट्रीय आमदनी दो सौ प्रतिशत बढ गयी थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक इकोनामी के बीच में फंसकर हम अपने देश का गला नहीं घोंटेंगे। हम गरीब हैं हमारे पास साधन और द्रव्य का अभाव है। हमारे पास प्राकृतिक साधन होने के साथ-साथ जैसा भाई राजनारायण जी ने कहा, हमको अपने उद्योग और श्रम का पूरा-पूरा उपयोग करना है।

जब कभी टैक्शेसन का मसला आयेगा तब तो इसके बारे में कुछ न कुछ कहा जा सकता है लेकिन जब कि केवल सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स पर वाद-विवाद हम कर रहे हैं ऐसी बातों को कह कर न किसी का कल्याण होगा न ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे लोगों को दुख हो।

मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वे भुखमरी की बातों को छोड़ दें। मैं फिर कहूंगा कि वे उन गलत बातों को न बढ़ायें जिन्हें लोग अपनी राजनैतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए फैला रहे हैं। अगर उन्हें हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का कल्याण करना है तो वे उस रास्ते से चलेंगे जो अधिक सौम्य है और जिसमें अधिक बल हो।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---इस विषय पर वादविवाद काफी हो चुका है। इसलिये मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्लोजर अभी नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष---इस पर काफी बहस हो चुकी है। मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं डिवीजन चाहता हूं।

अध्यक्ष---आपने देर कर दी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, आज तो बहस इस बिल पर आप की अदम मौजूदगी में हुई उससे मुझको इस दरजे अफसोस हुआ और दुख हुआ

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कि मैं यह सोचता रहा कि मैं उसी सदन में बैठा हूं जिसमें कि इससे पहले जिन्दगी में बराबर बैठता था या यह कोई और जगह है । जनाब तशरीफ नहीं रखते थे । अगर उस वक्त तशरीफ रखते होते तो जो कुछ मैं इस वक्त अर्ज करने वाला हूं वह मैं अर्ज न करता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष के ऊपर यह रेपलेक्शन है और ये शब्द वापस होने चाहिये ।

अध्यक्ष---अभी कुछ कहा नहीं । मैं सुन रहा हूं । अभी तो शुरुआत है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जो कुछ कि यहां हुआ है, उसका बहुत थोड़ा सा नमूना जनाब के सामने इस गरज से रखूंगा कि जनाब को और हमको यह फैसला करना है कि आया इस उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव भवन का दर्जा यही होना चाहिये जो आज हमारी मौजूदगी में है । यह सवाल किसी रूलिंग का नहीं है । आपके डिप्टी साहब जब तशरीफ रखते थे उनसे मैंने किसी मसले की रूलिंग तलब नहीं की । मैंने उनकी इस अम्र की तरफ तवज्जह नहीं दिलाई । उसकी वजह यह नहीं है । मेरे एतराज करने वाले दोस्त उनकी क्या इज्जत करेंगे जो मैं उनकी इज्जत करता हूं, जो वकअत उनकी मेरे दिलमें है और वह कब से मेरे साथी हैं और मैं उनका साथी हूं। आज उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला मुझ से ज्यादा इस ऐवान में कोई हो नहीं सकता । मैंने इसलिये ताम्मुल किया इस बात के बयान करने में उस वक्त कि मुझ को इसकी जरूरत महसूस हुई कि जनाब की खास तौर से इस तरफ तवज्जह दिलाई जाय ताकि वह मसला इस तौर पर हल हो कि उसके वास्ते किसी वक्त किसी रूलिंग की जरूरत न हो ।

क्या हुआ ? मैं सच अर्ज करता हूं कि मेरा दिल उसको बयान करने को चाहता नहीं है। मेरे कानों ने क्या सुना ? वह सुना कि जो मैंने इस ऐवान की तारीख में कभी नहीं सुना। यह गवर्नमेन्ट बुरी है ।

एक सदस्य---मैं . . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब से प्रोटेक्शन हासिल करता हूं कि कोई साहब मेरी तकरीर में इस तरीके से दखल नहीं देंगे । मेरे दिल पर अहसास है उस उसूल का, उस बात का कि जो कुछ मैंने यहां देखा है जिसको मैं गवारा नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि कोई साहब मेरी तकरीर में दखल दें । अगर कोई गलत बात कहूं तो बजा है सारा भवन कह देगा कि वह गलत है ।

तो गवर्नमेन्ट बुरी सही लेकिन कोई शख्स तकरीरों में गवर्नमेन्ट की आलोचना करने में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म और तनकीद करने में तहजीब के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करे तो क्या इस बात को कोई सदन गवारा कर सकता है ? मैं उनको दोहराता नहीं हूं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि मेरे दोस्त जिनकी कि मेरे दिल में बड़ी वकअत है जो उस तरफ बैठे हैं वह समझते होंगे फर्क अपने और मेरे दरमियान में लेकिन मैं कई दफा कह चुका हूं मैं उनको अपना ही समझता हूं और उतना ही उनको समझता हूं जितना कि इधर बैठने वालों को समझता हूं । यह भी हिन्दोस्तानी हैं वह भी हिन्दोस्तानी हैं । वह भी उत्तर प्रदेश के हैं और यह भी उत्तर प्रदेश के हैं । उनके सुपुर्द भी उत्तर प्रदेश की खिदमत है, इनके सुपुर्द भी है । यह सब है बावजूद इसके मैं जनाब के सामने सिर्फ इतना शिकायत करता हूं कि आज जो मेरे दोस्त उपाध्याय जी ने तकरीर फरमाई है उसका मुलाहजा फरमा लें कि उसमें क्या-क्या कहा गया । यह मैं किसी रूलिंग के लिये या किसी काम के लिये नहीं अर्ज कर रहा हूं । मैं तो एक खास हालत की तरफ तवज्जह दिलाने के लिये अर्ज कर रहा हूं जो पैदा हो गयी है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्री ब्रजविहारी मिश्र के बारे में भी कह दें ।

अध्यक्ष--जबतक आप खड़े हैं, आप कृपा कर के बैठ जायं या आपका प्वाइंट आफ आर्डर हो, उस पर आप टोक सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो कुछ भी उसमें कहा गया उसका मुझको इसलिये अफसोस है कि मैं यह समझता हूं कि किसी बाजार के अन्दर कोई आदमी किसी दूसरे को यह बात नहीं कह सकता है जो मेरे दोस्त ने गवर्नमेन्ट को कही है। न वह शिकायत है, न आलोचना है, न और बात है । क्या मैं उसको अर्ज करूं ? सिर्फ इतना ही अर्ज करता हूं कि आप उसको मुलाहजा फरमा लें और देखें और फिर इस बात के ऊपर नजर रखें कि यहां पर क्या कहा जाता है, किन अल्फाज में यहां तकरीरें की जाती हैं । क्या अल्फाज इस्तेमाल किये जाते हैं। वह इस्तेमाल किये जायं या नहीं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अपने मेम्बरों के बारे में भी अफसोस जाहिर कीजिए जिन्होंने गालियां दीं।

अध्यक्ष--आर्डर, आर्डर, सावधान।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, मैं जरूर कहता और मैंने कहा है इसी हाउस में अपन मेम्बरों को। इन मेम्बरों को जरूर कहता अगर मैंने पहले यह न सुन लिया होता कि उधर से क्या कहा गया। जो तकरीरें हुईं वह सब लिखी हुई मौजूद हैं। उसमें किसी के इंटरप्रिटेशन की, किसी को किसी बात के कहने की जरूरत नहीं है। मुलाहिजा फरमा लीजिए कि किसने शुरू में क्या कहा। मैं दूसरे के ऊपर या अपने ऊपर यही इलजाम लगा सकता हूं कि अगर कोई दूसरा शख्स तहजीब से हटा है तो हमको और आपको नहीं हटना चाहिये। यह अलग बात है लेकिन वह अशखास जो तहजीब के दायरे से निकल जायं, वह यह तववको करें कि दूसरों ने उनको क्यों कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह कहा गया कि सब बंधे हुए हैं, यह दलील मेरी समझ में नहीं आती है। जिस दिन से इजलास हो रहा है उस दिन से सुन रहा हूं कि बहुमत है, सब बंधे हुए हैं, कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सोशलिस्ट पार्टी अपने को उस वक्त भी सोशलिस्ट पार्टी कहने के लिये तैयार होगी जब उसका एक आदमी इधर जाता हो और एक आदमी उधर जाता हो ? जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं होगी वह क्या काम करेगी और क्या खिदमत करेगी ? यह क्या दलील है ? यह बिलकुल बेताल्लुक बातें हैं । इसमें जो चीजें थीं या जिसके मुताल्लिक तकरीरें होनी चाहिये थीं, वह नहीं हुईं । यहां इस हाउस के सामने कहा गया कि कल हमें कहने का मौका नहीं मिला। आज हम लेंगे बदला। आज हम करेंगे तकरीरें, घंटे-घंटे और तीन तीन घंटे तक। पब्लिक का जो पैसा इस ऐवान पर खर्च हो रहा है उसकी कीमत इस सदन के एक मेम्बर के नजदीक क्या यही है कि वह बदला निकाले और कल उसको बोलने का मौका नहीं मिला इसलिये आज छः घंटे तक तकरीर करे। किसने महरूम किया था, किस ने कहा था कि तकरीर न कीजिए ? जो कुछ आज कहा गया वही सब इतने ही वक्त में कल भी कहा जा सकता था। खैर, मेरी गुजारिश जनाब के जरिये से इस ऐवान से यह है कि मैं उन बातों को खोले बगैर यह दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि अगर गवर्नमेंट को कहो, अगर इब्राहीम को कहो तो मुझे कुबूल है लेकिन अपने आपको दूसरों से यह मत कहलाओ कि उत्तर प्रदेश की जनता के नुमाइंदे ऐसे हैं कि वह इस किस्म की तकरीरें करते हैं। मैं इसको गवारा नहीं कर सकता। चाहे कोई इधर का हो चाहे उधर का हो। मैं जनाबवाला, याद दिलाता हूं कि आपके इस सेक्रेटेरियेट की अलमारियां मेरी तकरीरों से भरी पड़ी हैं। दस बरस तक मैं इस जगह पर बैठा हूं और उस गवर्नमेंट की आलोचना की है, उस गवर्नमेंट की तनकीद की है जो आठ हजार मील से आने वाली गवर्नमेंट थी और जिसकी हर हिन्दोस्तानी के दिल में मुखालिफत थी। मैंने उसकी मुखालिफत की है लेकिन आप निकाल कर देखिए मेरी तकरीरें मैंने कभी उस गवर्नमेंट के लिये भी वह अल्फाज नहीं इस्तेमाल किये जो आज की हुकूमत के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। एक तहजीब है, एक शान है, उसका कायम

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रखना और उसके अन्दर रहना हमारा फर्ज है। हमारी तनकीद मत करो और अगर करते हो तो गलत करते हो, कब हमने इस बात को चाहा। कहा जाता है कि हम टेढ़े चलते हैं और वह बेचारे हमें सीधा करने की कोशिश करते हैं, हम सीधे होते ही नहीं हैं, हमसे ठीक रास्ते पर चला ही नहीं जाता है, सदन में यह फिकरे मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि जनाबवाला, जवाब देने वाला इसका क्या जवाब दे। जिस आदमी को यह एहसास होगा कि एक मेम्बर को क्या कहना चाहिये, क्या नहीं कहना चाहिये वह इस किस्म की बातों का जवाब देने की तरफ तवज्जह कर ही नहीं सकता। अब क्या है? सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स की बिना पर यह बिल बना, ऐवान के सामने आया। उसके ऊपर तकरीर शुरू की हमारे दोस्त माननीय राज नारायण साहब ने और पूरी तकरीर उनकी फेमीन रेलीफ के ऊपर रही। आज उन्होंने बिहार के फिनेन्स मिनिस्टर साहब की, अगर मैंने सही सुना, तकरीर सुनाई कि उसमें उन्होंने यह कहा कि १४ करोड़ रुपया हमने इसके ऊपर खर्च किया। अब वह तकरीर है मौजूद। मैं हुजूरवाला के जरिये से इस ऐवान के मेम्बरों को वाकिफ देता हूं कि वह राज नारायण जी से ले करके उसको कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखे हुए के खुलासा को दो लफ्जों में मैं जनाब के सामने अर्ज किये देता हूं। अपनी स्पीच में उन्होंने यह बतलाया बहुत सी मदें दी हुई हैं, पढ़ने में देर लगेगी, इसलिये मैं पढ़ता नहीं हूं, टोटल उनका यह है कि उन्होंने ७ लाख ९५ हजार रुपया उस बजट में फेमीन रिलीफ के लिये रखा और उसी के साथ यह कहा कि सड़कों पर, इरीगेशन पर और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के वास्ते हमने १४ करोड़ रुपया रखा है जिससे भी इस काम के अन्दर मदद मिलती है, फेमीन दूर होता है। सही है, इरीगेशन बढ़ जायगा तो फेमीन कम होने लगेगा। सड़कें बन जायेंगी उससे भी कुछ तरक्की होगी और फायदा होगा। लेकिन उन तरीकों को अगर मैं दिखलाऊं तो मैं अर्ज करूं, हुजूरवाला, कि २ करोड़ से ऊपर रुपया तो मैंने फेमीन रिलीफ पर खर्च करने के लिए रखा। 'मैं' से मुराद यू० पी० की गवर्नमेंट है और इस साल के अन्दर उस किस्म के डेवलपमेंट के ऊपर जिसको कि किसी ने फेमीन रिलीफ से कोरिलेट कर लिये करीब १० करोड़ रुपया इस बजट के अन्दर जो है रखा है और अभी तक उस काम के ऊपर साढ़े २० करोड़ रुपया इस स्टेट के अन्दर इरीगेशन और पावर बनाने के ऊपर खर्च हो चुका है जिससे कि फेमीन रेलीफ में मदद देगा। जब ट्यूबवेल बनते जायेंगे, नहरें निकलती जायेंगी, बिजली बनती जायेंगी तो बारिश न होने पर भी पानी बराबर मिलता रहेगा और गल्ला पैदा होगा। यह तो उसकी हकीकत है जो मेरे दोस्त ने बयान किया। और जितनी तकरीरें हुईं फेमीन रेलीफ के ऊपर मैं उनके जनाब में कुछ और कहना इसलिये नहीं चाहता कि यह बहस एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कितनी दफा मुख्तलिफ हैसियतों से इस ऐवान में हो चुकी है। राय जिसकी जो है वह ऐवान के सामने आ चुकी। उन्होंने कुछ कहा, इधर से मेरे दोस्त परिपूर्णानन्द जी ने वहां की हालत की बाबत कुछ कह दिया। मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने रुपया दिया। मेरे दोस्त ने एतराज यह किया कि वह रुपया उस तरीके से खर्च नहीं हुआ। यह उनकी तवक्को एक तवक्को है कि यह गवर्नमेंट जो है वह सोशलिस्ट बन जाय। तो यह गरीब किधर को बन जाय। यह कांग्रेस पार्टी जो बैठी है यह सोशलिस्ट बन जाय तो यह गरीब किधर को बन जाय, मेरी समझ में नहीं आता। हर दफा, हर तकरीर में मैं उसी बात का दोहराना, उसी को बतलाना कि हम तो सीधा रास्ता दिखलाते हैं। अरे साहब, वह सीधा रास्ता है कौन सा? जो रास्ता कि आपने देखा है वह तो मेरे नजदीक पहले से ही टेढ़ है। मैं उसे सीधा समझता नहीं तो मैं उसे देखूंगा कहां से। मैं तो पहले से ही टेढ़ा समझे हुए हैं। इसलिये आप जो रास्ता मुझे दिखायेंगे तो न जाने मैं कहां जा पड़ूंगा। इसलिये इस नसीहत को बार-बार करने के बजाय इस सदन के अंदर जो काम करना है वह तो सिर्फ एक है वह चाहे गलत बना हो, सही बना हो, इस हिन्दुस्तान की हुकूमत ने, हिन्दुस्तान के रहने वालों ने, उनकी

अक्सीरियत ने एक संविधान बना दिया। उसके जरिये से एक सैक्यूलर स्टेट कायम कर दी है और उसके मातहत यह तमाम स्टेट्स कायम हैं। उन सबको उसके अन्दर रह कर ही काम करना है। यहां कोई आदमी यू० पी० स्टेट से कहे और लड़े और अगर वह पार्लियामेंट में कुछ कहे तो मैं समझूं कि कुछ बात है लेकिन मुझसे लड़ा जाय कि इस संविधान की जिसकी तुम पाबंदी कर रहे हो उससे निकल कर फलां काम करो तो मैं कैसे कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता हूं। जो मेरे लिये मश्विरा देता है वह मुझे काबिले कबूल नहीं हो सकता है। उस पर मैं अमल नहीं कर सकता हूं तो इस आलोचना के निस्बत, इन तनकीद के निस्बत मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके बजाय कल जो मदें रखी गयी थीं उनके मुताल्लिक कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स अगर दिये जाते तो गवर्नमेंट उन पर गौर कर सकती थी और तब्दीली कर सकती थी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। आज की तकरीरों के रिकार्ड से यहां स्टेट में और बाहर लोगों को यह मालूम हो सकता था कि आज हमारे इस ऐवान के अन्दर क्या हो रहा है।

मैं अर्ज करूं, हुजूरवाला, वक्त थोड़ा है, देर हो गयी है। इस बिल को मेरे नजदीक आज खत्म हो जाना चाहिये। इस पर जितना वक्त सर्फ होना चाहिये था उससे कहीं ज्यादा वक्त सर्फ हो गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बातें यहां कही गयी हैं वे गैर-मुताल्लिक थीं उनकी तरदीद मैं नहीं करूं। मैंने गुस्से और अफसोस का जो इजहार किया वह मेरी जैनुइन फीलिंग थी। अगर मेरे दोस्तों को वह नागवार गुजरी हो तो मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं तो बैठते वक्त जनाब से, और जनाब के जरिये ऐवान से इस्तदुआ करूंगा कि आप गवर्नमेंट को बुरा कह लीजिए और जो चाहे बातें कह लीजिए। लेकिन इतनी बात तो न कहलाइये कि यहां गाली देने वाले जमा होते हैं यह न सदन की और सदन के मेम्बरों की शान में है, इससे न सदन की इज्जत है। और न वकअत है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं और तवक्को करता हूं कि यह ऐवान इस बिल को आज ही पास करके उठेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात अर्ज कर दूं।

अध्यक्ष--यदि आपका कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो तो कह दीजिए।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा और उन्होंने आपका ध्यान मेरी तरफ ज्यादा दिलया, इसलिये मैं श्री लक्ष्मी रमण जी और मिर्जापुर के श्री मिश्र जी की स्पीचेज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने स्पीचेज के मजमून की तरफ ध्यान नहीं दिलाया। चाहे सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के मुताल्लिक कुछ भी कहा हो या कांग्रेस के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के मुताल्लिक कुछ भी कहा हो . . .

अध्यक्ष--मैं तीनों स्पीचेज को देख लूंगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२--५३ के लिये ९४,७२,९०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले, वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ९४,७२,९०० रु० (चौरानबे लाख, बहत्तर हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खन्ड ३

विनियोग

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि धारा ३ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"अथवा ऐसी धनराशि या धनराशियों की प्रतिपूर्ति कर दी जायगी जो कि अप्रत्याशित व्यय के हेतु इन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये राज्य की प्रासंगिक व्यय निधि (Contingency fund) से प्राप्त किये गये"

जो सप्लीमेंटरी बजट कल स्वीकृत किया गया है उसके प्रयोजनों को देखते हुए इस विधेयक में संशोधन से पूर्ति किया जाना बहुत ही आवश्यक है और यह नियम के अनुसार है। नियम १५८ में प्राविजो इस प्रकार से लिखा है:

"Provided that no amendment shall be proposed to an Appropriation Bill which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any rant made under Article 203 of the Constitution."

[परन्तु किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायगा जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके उद्देश्य में परिवर्तन हो जाय।]

अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो जिस रुपये को असेम्बली मंजूर कर चुकी है और इसके अनुसार स्वीकार हो चुका है वह उस फंड में नहीं जायगा। इस कंटीजेंसी फंड से बहुत से एडवान्सेज ले लिये गये हैं, जिनके लिये जरूरत थी उनको पहले लेकर दे दिया गया है और उस फंड को बाद में पूरा कर दिया जायगा यानी रेकूप कर दिया जायगा। उस रुपये की यह मंजूरी होने जा रही है और यह मंजूर होने पर रिफंड कर दिया जायगा। उसी मसले को मेमोरंडम के पेज ६ पर यह दिया हुआ है कि:

"Since no provision for the purpose exists in the budget for the current financial year and the xpenditure is of an emergent and unavoidable nature, an authorisation of Rs. 2, 51,400 has been obtained on the State Contingency Fund and a Supplementary Demand is being presented now to recoup this advance."

[चूंकि चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और व्यय आवश्यक और अपरिहार्य है, इसलिये राज्य की प्रासंगिक व्यय निधि में से २,५१,४०० रु०

निकालने का अधिकार प्राप्त कर लिया गया है, और इस अग्रऋण की प्रतिपूर्ति के लिये अब एक पूरक माँग प्रस्तुत की जा रही है।]

अध्यक्ष--आपने जो यह कोट किया है १५८ नियम इसमें तो यह है कि आप एप्रोप्रियेशन बिल पर कोई भी संशोधन पेश नहीं कर सकते हैं, इसमें यह है:

"Provided that no amendment shall be proposed to the Appropriation Bill. . . .

[परन्तु विनियोग विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायगा . . . .]

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैंने जो संशोधन दिया है उससे बिल के अन्दर जो डेफिनिशन दी हुई है वह आल्टर हो जायगी। अगर इसी तरह से रहता है तो जो रुपया वह कांटिजेंसी फंड से ले चुके हैं वह रिफंड होकर नहीं जायगा। इस बात को इस विधेयक के अन्दर स्पष्ट कर देने की वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया है। केवल इतनी बात है कि उस रिफंड को स्पष्ट कर दिया गया है।

अध्यक्ष--मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ लेता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह बिलकुल ठीक है और उससे वह खतरा जो हमारे दोस्त को है कतअन नहीं है। जो इबारत है उसके मानी ही यह हैं। इसलिये इसमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--अगर आप आज्ञा दें तो मैं खंड २ की भाषा को पढ़ दूं:

"From and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 94.72, 900 (rupees ninety four lakhs, seventy-two thousand and nine hundred only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirtyfirst day of March, 1953, in respect of the services specified in column 2 of the Schedule."

[ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ९४,७२,९०० (चौरानबे लाख, बहत्तर हजार नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।]

यह खर्च की ही मद है। इसमें कहीं रिफंड की गुंजायश नहीं है। इसमें केवल नया खर्च कर सकते हैं। तीसरी भी मैं पढ़ देता हूं:

"The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on."

[इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश को संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन उन धनराशियों का विनियोग..... समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं]

शेड्यूल में जिक्र नहीं है कि कोई भी रुपया कन्टिन्जेन्सी फंड का रिकूप किया जायगा। जब तक इसको स्पष्ट नहीं किया जायगा जैसे ४ करोड़ रुपया बानगंगा प्रोजेक्ट के लिये लिया गया तो इस बिल के कौन से शब्द के द्वारा यह अधिकार मिलता है कि वह रुपया वापिस चला जायगा। जो ४ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है वह किस तरह से रिफंड

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होगा, यह स्पष्ट होना चाहिये। जो प्रयोजन पहले बतला चुके हैं उसको उन्हीं प्रयोजनों के लिये वापिस करना है। विधान की धारा २६७ की उपधारा (२) जो इस बारे में है उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है :

"And the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor or Rajpramukh of the State to enable advances to be made by him out of such Fund..."

[ऐसी निधि में से .....अग्रिम धन देने के लिये उसको योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख के हाथ में रखी जायेगी।]

एडवान्सेज इस्तेमाल किया गया है कि जब चाहें कन्टिन्जेंसी से खर्च कर दें। जब ऐडवान्स लेते हैं तो उसको रिकूप करना आवश्यक है। ताकि कन्टिन्जेंसी फंड बना रहे। इसलिये संविधान की धारा की पूर्ति के लिये भी यह आवश्यक है कि बिल में यह साफ कर दिया जाय कि जितना रुपया कन्टिन्जेंसी से लिया है वह वापिस कर दिया जाय।

अध्यक्ष--आप सरकार की आगे की दिक्कत को हल करना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जैसा कि मैंने कहा कि "आल्टरिंग दि डेस्टिनेशन आफ दि ग्रान्ट" वह काम पूरा नहीं होता। अगर यह मंजूर नहीं किया जाता तो नियम १५८ की भी अवहेलना होती है। यह बिलकुल रिलेवेंट है और एक निर्दोष संशोधन है और एक कमी जो रह गयी है उसको पूरा करता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो पहिले ही अर्ज कर चुका कि यह बिलकुल गैरजरूरी है और उसके मंजूर करने से कोई मकसद हासिल नहीं होता। यह उनकी गलतफहमी है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ३ के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :--

"अथवा ऐसी धनराशि या धनराशियों की प्रतिपूर्ति कर दी जायगी जो कि अप्रत्याशित व्यय के हेतु इन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये राज्य की प्रासंगिक व्यय निधि (Contingency fund) से प्राप्त किये गये हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२--५३ का प्रथम पूरक) विधेयक

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १ तथा अनुसूची

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक नाम

१--यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)			
२	मालगुजारी ..	१००	..	१००
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	१,३१,९००	..	१,३१,९००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत् स्थापना (हाइड्रो एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय ..	४००	..	४००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२,०७,५००	..	२,०७,५००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एड-मिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	२,९१,४००	..	२,९१,४००
१८	शिक्षा ..	१००	..	१००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	४७,४००	..	४७,४००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१००	..	१००
२१	कृषि-संबंधी विकास और खोज (ऐग्रि-कल्चरल डेवेलपमेंट ऐंड रिसर्च)	२००	.	२००
२४	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	१,५८,४००	..	१,५८,४००
२६	विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	४५,०००	..	४५,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	उद्योग ..	१००	..	१००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	६६,०००	..	६६,०००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) ..	१३,५०,०००	..	१३,५०,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	१००	..	१००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	१००	..	१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ) ..	५०,००,०००	..	५०,००,०००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	५०,१००	..	५०,१००
४२	योजना और एकीकरण ..	६,०००	..	६,०००
	योग-क ..	७३,५७,९००	..	७३,५७,९००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचितनिधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ख—राजस्व लेखे (Revenue Account) के बाहर पूंजी व्यय (Capital Expenditure) —			
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल विद्युत् निर्माण कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन (कन्स्ट्रकशन)	८,५४,८००	..	८,५४,८००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	१००	..	१००
	योग-ख	.. ८,५४,९००	..	८,५४,९००
	ग—जमायें और ऋण और अग्र-ऋण (डिपाजिट्स ऐन्ड लोन्स ऐन्ड ऐडवान्सेज)—			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र ऋण (ऐडवान्सेज)	.. १२,६०,१००	..	१२,६०,१००
	योग-ग	.. १२,६०,१००	..	१२,६०,१००
	बड़ा योग	.. ९४,७२,९००	..	९४,७२,९००

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। गवर्नर महोदय की सिफारिश की क्या . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो पहले आ चुकी है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के सम्बन्ध में संकल्प

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन . . .

अध्यक्ष---यह उपस्थित हो चुका है। उन्होंने भाषण नहीं दिया था। अगर आप भाषण देना चाहें तो दें, वरना मैं श्री नारायण दत्त तिवारी से कहूंगा।

श्री चरण सिंह---नहीं जी। यह एक सीधा सादा सा मामला है। अगर उनको कोई एतराज हो तो वह कहें।

अध्यक्ष---श्री नारायण दत्त तिवारी, पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके संशोधन के शब्दों के बढ़ा देने का मतलब यह है कि आप विधान सभा के नियमों में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिये आप कैसे बताते हैं कि यह वैध है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा संशोधन है वह वैध इसलिये है . . .

अध्यक्ष---मैं आपका ध्यान नियम १९९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसको आप पढ़ लीजिए और फिर भी अगर आप उसको पेश करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नियम को अमेंडमेंट करने के लिये १५ दिन के नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---रूल नंबर ७७ के अनुसार यह राय है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। माननीय न्यायमंत्री के संकल्प में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"तथा विधान सभा के नियमों में उन्हें यथास्थान सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा देती है।"

अध्यक्ष---इसकी वैधानिकता बताइये। यह मूव नहीं हो सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह फार्म आफ रिजोल्यूशन है, कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यायमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह ऐजेंडे में प्रस्ताव नंबर ७ है। यह तो केवल राय देने का सवाल है। नियम ७७ को यदि आप देखें तो वह इस प्रकार है---

"A resolution may be in the form of a declaration of opinion by the Assembly."

[संकल्प का रूप सभा की राय की घोषणा करना हो सकता है।]

अध्यक्ष---लेकिन उसमें तो यह है कि "यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों [नत्थी (ख) भाग (१)] को स्वीकार करती है।"

आप उन नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कि विधान सभा के नियम हैं। इसके लिये आप एक स्वतंत्र प्रस्ताव ला सकते ह, उसक लिये मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--लेकिन यह तो ओपीनियन के रूप में है।

अध्यक्ष--आपके पास वैध सिद्ध करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये इसको नहीं लिया जा सकता।

अगर आप इसके संबंध में और कुछ कहना चाहते हों तो कल कह सकते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
८ अक्तूबर, १९५२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

क्रम संख्या	राजकीय औषधालय का नाम	निकटस्थ राजकीय औषधालय का नाम व दूरी		
		नाम		दूरी
	१	२		३
				मील
१	रतसंड़ ..	ऐलोपैथिक	आयुर्वेदिक औषधालय पुर ..	४ १/२
२	खरासार ..	,,	,, पुर ..	४ १/२
३	नरही ..	,,	,, चितबड़ा-गांव	३ १/२
४	नऊ बरार कोडेराहा	,,	,, टोला सिमन राय	३ १/२
५	बीरपुरा ..	आयुर्वेदिक	,, पुर ..	४ १/२
६	चितबड़ागांव ..	,,	,, नरही	३ १/२
७	पुर ..	,,	,, रतसंड एवं खरसर	४ १/२
८	सहेतवार ..	,,	,, हरपुर	६ १/२
९	हरपुर ..	,,	ऐलोपैथिक सदर औषधालय, बलिया	६
१०	परसिया ..	,,	,, ,, ..	८
११	बेलसरा ..	,,	,, ,, रतसंड़	३ १/२
१२	कोटवानरायनपुर	,,	ऐलोपैथिक औषधालय, नरही	१२

क्रम संख्या	राजकीय औषधालय का नाम	निकटस्थ राजकीय औषधालय का नाम व दूरी		
			नाम	दूरी
	१		२	३
				मील
१३	रतनपुरा ..	,,	आयुर्वेदिक औषधालय, सहतवार	७
१४	टोला सिवानराय	,,	ऐलोपैथिक औषधालय, नऊ बरार कोडेराहा	३ १/२
१५	रेयोती ..	,,	आयुर्वेदिक औषधालय, चकिया	६ १/२
१६	चकिया ..	,,	,, दुबेचपारा	३
१७	दुबेचपारा ..	,,	,, चकिया	३

अवध प्रदेश सरकार

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २०१ पर)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) विधेयक

---

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये।

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय:

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२-५३ के लिये ९४,७२,९०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ९४,७२,९०० रु० (चौरानबे लाख, बहत्तर हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड परपजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)--			
२	मालगुजारी ..	१००	..	१००
६	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	१,३१,६००	..	१,३१,६००
१०	सिंचाई (इर्रीगेशन) और जल-विद्युत् स्थापना (हाइड्रोएलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय ..	४००	..	४००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२,०७,५००	..	२,०७,५००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	२,६१,४००	..	२,६१,४००
१८	शिक्षा ..	१००	..	१००
१६	चिकित्सा (मेडिकल) ..	४७,४००	..	४७,४००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१००	..	१००
२१	कृषि-संबंधी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च) ..	२००	..	२००
२४	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	१,५८,४००	..	१,५८,४००
२६	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	४५,०००	..	४५,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन (सर्विसेज एंड परपजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	उद्योग ..	१००	..	१००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	६९,०००	..	६९,०००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)	१३,५०,०००	..	१३,५०,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांटस इन-एड-आफ सिविल वर्क्स) ..	१००	..	१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ)	५०,००,०००	..	५०,००,०००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	५०,१००	..	५०,१००
४२	योजना और एकीकरण ..	६,०००	..	६,०००
	योग-क ..	७३,५७,९००	..	७३,५७,९००
	ख--राजस्व लेखे (Revenue Account) के बाहर पूंजी व्यय (Capital Expenditure)--			
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत् निर्माण कार्यों (हाइड्रोएलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन (कंस्ट्रक्शन) ..	८,५४,८००	..	८,५४,८००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर-पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१००	..	१००
	योग--ख ..	८,५४,६००	..	८,५४,६००
	ग--जमायें और ऋण और अग्र-ऋण (डिपाजिट्स ऐन्ड लोन्स ऐन्ड ऐडवान्सेज)			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवान्सेज) ..	१२,६०,१००	..	१२,६०,१००
	योग-ग ..	१२,६०,१००	..	१२,६०,१००
	बड़ा योग ..	९४,७२,६००	..	९४,२२,६००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की माँगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संक्षिप्त निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये, जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—४५ एल० ए०—१९५२—८३०